राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का 34 वां दिवस [संख्या 26

सोमवार,

दिनांक 26 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक म. प. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(चिकित्सा, राजस्व, सहकारिता, सिचाई, विद्युत, विधि, सार्वजनिक निर्माण, वन एवं सामुदायिक विकास (विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

श्रीमती गौरी पूनिया ।

मकराना को अस्पताल

737. **श्रीमती गौरी पूनिया** (मकराना): क्या चिकित्सा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) मकराना शहर में ऐलोपेथिक अस्पताल किस श्रेणी का है तथा यह अस्पताल कौन से सन् में खुला था ?

(2) इस समय मकराना की आवादी को देखते हुये क्या राज्य सरकार महसूस नहीं करती कि उसे अपग्रेड किया जाये ?

(3) राज्य सरकार अब इस अस्पताल को कब तक अपग्रेड करेगी ।

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) छठवीं श्रेणी का है । सन् 1942 में खुला था ।

(2) विचाराधीन है ।

(3) निश्चित नहीं कहा जा सकता

श्रीमती गौरी पूनिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से नम्र शब्दों में कहना चाहती हूं । 30 वर्ष से अभी तक विचाराधीन चल रहा है, क्या राज्य सरकार को जानकारी नहीं है कि मकराना इन्डस्ट्रियल एरिया है और आये दिन यहां दुर्घटनायें होती रहती हैं ? कोई निश्चित उत्तर दीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : मैंने उत्तर दिया न, विचाराधीन है ।

श्रीमती गौरी पूनिया : विचाराधीन की कोई डेफिनेशन हो । विचाराधीन तो वहुत अर्से से चल रहा है । कोई निश्चित समय वताइये या आंशिक रूप से कार्यान्वित कीजिये । एक लेडी डाक्टर को कम से कम भिजवा दीजिये ।

श्री हरिदेव जोशी : जिस वजट को आप पास कर रही हैं उसमें एक्सपान्शन का

Page No 2

(श्री हरिदेव जोशी)
कोई प्रोविजन नहीं है । फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में एक्सटेन्शन के लिये कोई स्कीम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानसिंह ।

किसान को–ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. गंगानगर

738. **श्री ज्ञानसिंह** (भादरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:––

(1) क्या यह सही है कि किसान कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लि. श्री गंगानगर के तत्कालीन अध्यक्ष चौधरी मोती राम ने सन् 1960 में गंगानगर ट्रान्सपोर्ट सोसायटी के नाम पर मार्केटिंग सोसायटी से 12 हजार रुपये का ऋण लिया था जब कि गंगानगर ट्रान्सपोर्ट सोसायटी के अध्यक्ष भी चौधरी मोतीराम ही थे ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा बार बार लिखे जाने और आडिट की आपत्तियों के बावजूद अब तक वह पैसा वापिस नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सहकारिता, राज्य मंत्री (श्री जुझारसिंह): (1) जी नहीं । राशि गंगानगर मोटर ट्रान्सपोर्ट कोआपरेटिव सोसायटी लि.. गंगानगर को दी थी ।

(2) जी हां । बकाया राशि के विवाद में राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, 1965 की धारा 75 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है ।

श्री ज्ञानसिंह : ट्रान्सपोर्ट सोसायटी में किसने यह रकम उठाई है, क्या रसीद प्राप्त की है ?

श्री **जुझारसिंह** : ट्रान्सपोर्ट सोसायटी की तरफ से अलग अलग करके करीब 12 बार रकम उठाई गई है ।

श्री ज्ञानसिंह : क्या मोतीराम इसके अध्यक्ष हैं ?

श्री जुझार सिंह : अमरचन्द रोशन लाल के नाम से उठाई गई है ।

श्री ज्ञान सिंह : क्या मोतीराम जी ट्रान्सपोर्ट सोसायटी के अध्यक्ष हैं और मार्केटिंग सोसायटी की रसीद प्राप्त करनी चाहिये थी, वह भी नहीं की ?

श्री जुझार सिंह : यह कर्जा किस सिलसिले में मिला लेकिन 24 हजार का कर्जा 8-9-69 को दिया गया था उसके बाद समय समय पर कर्जा लिया है और वापिस रकम रिटर्न भी की है । अभी जो बकाया है वह 9228 रु. की राशि बकाया है । वसूली की कोशिश की जा रही है ।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं क्या आडिट आब्जेक्शन हुआ है ?

एक माननीय सदस्य : आप क्यों चिन्ता करते हैं, प्रश्न पूछने वाले भी कांग्रेस के ही हैं ……

श्री श्रीराम गोटेवाला : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में कई बार ऑडिट आबजेक्शन हुआ है। इसका उत्तरदायित्व श्री मोतीराम जी का मानकर चला गया है। अब क्या सरकार मोतीराम जी से शीघ्रातिशीघ्र वसूली का इरादा रखती है ?

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, व्यक्तिगत मोतीराम के नाम पर नहीं है। मोटर ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के नाम से उठाई गई है। अब इस पर फैसला करना है। पर्सनल रेस्पान्सिबिलिटी अगर कायम हो जाती है तो व्यक्तिगत रूप से वसूली की जायगी।

श्री गुरदयाल सिंह (करणपुर) : जिसने रेसपान्सबिलिटि फिक्स नहीं की उस अधिकारी के खिलाफ कोई एक्शन लेने की कार्यवाही की जायगी ?

श्री जुझार सिंह : रेकार्ड उपलब्ध नहीं हुआ है। प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। किससे वसूली की जायगी, इसका निर्णय कर लिया जायगा।

श्री गुरदयाल सिंह सन्धु : किस किस से करनी है उस अफसर के विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही की जाय ? वह आज तक पता नहीं लगा सका।

एक माननीय सदस्य : इतने दिन तक कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री जुझार सिंह : कार्यवाही तो हुई है। सोसायटी लिक्विडेशन में आई है और लिक्विडेटर ने फैसला किया है इसको रेसपान्सबिलिटी श्री मोतीराम पर पर्सनल रूप में है। लिक्विडेटर का जो फैसला था उसको रद्द कर दिया गया। उस पर अब कार्यवाही हो रही है। एक आर्बीट्रेटर कायम किया हुआ है इसका फाइनल करके फैसला करने वाले हैं।

श्री ज्ञान सिंह : कर्जा देने से पहले मार्केटिंग सोसायटी की तरफ से कोई प्रस्ताव है या कोई कार्यकारिणी का प्रस्ताव है ? और क्या कोई रसीद प्राप्त की गई है ? अध्यक्ष महोदय ये सब बताने की कृपा करें।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय अभी रेकार्ड उपलब्ध नहीं है इसलिये निवेदन नहीं कर सकता हूं। इनको 36, 298 रुपये दिये थे जिसमें से 27, 90 रु. वापिस किये हैं। बाकी को वसूल करने के लिये, जल्दी से कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या 739.

श्री अध्यक्ष : श्री फारुक हसन।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखिये)

श्री बिरदा राम।

श्री ज्ञान सिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या, आडिट रिपोर्ट ....

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न ले लिया गया है।

श्री बिरदा राम।

जालोर क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था

740. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : [श्री बिरदा राम (जालोर) की अनु-

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
परिस्थिति में]: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) चम्बल की बिजली सिरोही होते हुये भीनमाल–जालौर कब तक पहुंचा दी जायेगी ?

(2) जालौर क्षेत्र में बोवलसर से बिजली देलदरी, नून सरत, मड़गांव, बाकरा रोड़, मूरा मोक कलापुरा, बाकरा, रेवतड़ा तक बिजली कब तक पहुंच जायेगी ?

(3) मागली प्याउ से धानपुर कब तक पहुंच जायेगी ? क्या यह सही है कि इस क्षेत्र में काफी तादाद में कुये हैं तथा बिजली होने पर गरीब काश्तकार फायदा उठा सकते हैं ?

विद्युत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1 व 2) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है।

(3) मागली प्याऊ एवं मागली धानपुर नाम के कोई ग्राम 1961 की सेन्सस बुक में नहीं है। अतः प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जालौर डिस्ट्रिक्ट का हैड क्वार्टर है और इम्पारटेन्ट टाउन है और अभी जो फालना से जालौर लाइन जा रही है उसमें रेगुलर बिजली नहीं मिलती है इसलिये इसके लिये बिजली पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य को शायद पता है सिरोही से भीनमाल और सिरोही से जालौर का प्रश्न सेकेन्डरी है और उदयपुर–सिरोही का जो प्रश्न है वह प्राइमरी है। उसके लिये एफर्ट्स किये जा रहे हैं और यह सारी स्कीम कन्सीडरेशन में है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

हिन्डोन सब-डिविजन में सिवाय चक भूमि

741 **श्री उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) हिण्डौन सब डिविजन, जिला सवाई माधोपुर में सरकार ने कितने बीघा जमीन सिवाय चक या चरागाह से सिवाय चक कर निकाली तथा उसमें से 1971-72 में भूमिहीन हरिजनों को कितनी कितनी एवं कहां कहां अलाट की गई ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सिवाय चक जमीन से अधिकतर जमीन उन्हीं किसानों को दी गई जिनके पास या तो काफी धन है या लाठी है ? यदि हां, तो क्यों ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) हिण्डौन सब-डिविजन जिला सवाई माधोपुर में 255 एकड़ भूमि चरागाह से सवाई चक में निकाली है। अग्रिम ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री उम्मेदीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जो जमीन अलाटमेंट हुई है इसमें हरिजनों के ऐसे व्यक्तियों को जमीन दे दी गई है जो वहां नहीं रहते थे या फिर उन लोगों को

(श्री उम्मेदी लाल)
जमीन दी गई है जो नेता लोग हैं। कोटा में रहते हैं उनको यहां जमीन दे दी गई।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के अनुसार बड़ापुर के हरिजनों को भूमि अलाट की गई है। जो हरिजन हैं, वह वहां के रहने वाले नहीं है तो मैं जांच करवा लूंगा।

श्री उम्मेदी लाल : अध्यक्ष महोदय, बडापुर में जमीन का अलाटमेंट हुआ है उसमें सैकड़ों एप्लीकेशन्स हरिजनों की आई और केवल 14 बीघा हरिजनों को दी गई और उस जमीन में भी जो 14 बीघा दी गई घर सिंह नाम का काश्तकार है उसने, अध्यक्ष महोदय, 14 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया और यह कहा यह जमीन मैंने दिलाई है इसलिये उन चमारों से 4100 रुपया ले लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री भरत राम।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में जानकारी है जो माननीय प्रश्नकर्त्ता ने मुद्दे उठाये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : वर्तमान में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री उम्मेदी लाल : स्पष्ट है, अध्यक्ष महोदय, उन लोगों से 4100 रुपया लिया है और बुरी तरह परेशान किया है और रुपये लेकर कहा, अब तुम्हारा कोई सवाल ही नहीं है। न तो उसको अलाट हुई, लड़ कर ली है।

श्री परसराम मदेरणा : जांच के आदेश दे रहा हूं।

प्रश्न संख्या 742

श्री अध्यक्ष : श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 743

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री करणसिंह।

मुख्य अभियन्ता कार्यालय के कर्मचारियों का स्थानान्तरण

744. श्री करणसिंह (डीग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता के कार्यालय में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 5 साल से अधिक इसी कार्यालय में कार्य कर रहे हैं ?

(2) सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका एक साल में दो या इससे अधिक स्थानान्तरण किया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर नहीं आया है इसलिए स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : Postponed.

श्री हनुमान सहाय

Page No 6

थाना चन्दवाजी क्षेत्र के मुकदमों का चालान

745. श्री **हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा तहसील बैराठ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय है ? यदि हां, तो फिर शाहपुरा से 10 मील दूर स्थित थाना चन्दवाजी के मुकदमों के चालान जयपुर न्यायालय में प्रस्तुत क्यों किये जाते हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय मिल सके, इस दृष्टिकोण से पुनः विचार कर थाना चन्दवाजी क्षेत्र के मुकदमों का चालान शाहपुरा मुंसिफ मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हो सके यह आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

अकाल राहत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): (1) जी हां, चूंकि थाना चन्दवाजी आमेर सब-डिवीजन में है और उसका क्षेत्राधिकार मुंसफी जयपुर में है। अतः थाना चन्दवाजी के मुकदमात जयपुर में ही पेश होते हैं।

(2) जी नहीं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामसिंह, श्री मोहरसिंह।

सिद्धमुख नहर का निर्माण कार्य

746. श्री **रामसिंह** (सादुलपुर)

श्री मोहरसिंह (चूरू) :

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि सन् 1972–73 में सिद्धमुख नहर निर्माण चालू जायेगी ?

(2) क्या अब तक काम चालू हो गया ? यदि हां, तो इस पर कितना खर्चा किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राजगढ़ तहसील का जो क्षेत्र सिद्धमुख नहर के अन्तर्गत आता है, वह अकालग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिद्धमुख नहर का निर्माण चालू कराया जावेगा ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं, पंजाब व हरियाणा राज्यों से स्वीकृति न मिलने के कारण अभी काम आरम्भ नहीं किया जा सका है।

(3) क्योंकि यह योजना अभी स्वीकृत नहीं है, अकाल राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत इसे आरम्भ करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **मोहरसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था और आज मंत्री महोदय कहते हैं कि कोई आश्वासन नहीं दिया गया–क्या यह सही है कि आश्वासन दिया गया था कि इस साल में काम चालू हो जायेगा ?

श्री **मूलचन्द** : आश्वासन सम्बन्धी जानकारी नहीं है।

श्री **मोहरसिंह** : मेरा प्रश्न ही यही है फिर आपने उत्तर क्या दिया ?

श्री **मूलचन्द** : आपके प्रश्न में आश्वासन का कोई जिक्र नहीं है।

श्री **मोहर सिंह** : प्रश्न ही मेरा इस प्रकार है।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि यह जो योजना बनी है सिद्धमुख कैनाल की यह दो तीन स्टेट्स से सम्बन्धित है··

श्री मोहर्रसिंह : मेरा तो सीधा सा प्रश्न है कि आपने आश्वासन दिया था क्या ? और आप कहते हैं कि प्रश्न में नहीं पूछा गया है। आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना देता हूं।

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग 1 में आश्वासन का जिक्र किया है जिसका हमने कहा है जी नहीं। जहां तक इरिगेशन मिनिस्टर का प्रश्न है उनकी जानकारी में नहीं है कि यह आश्वासन दिया गया या नहीं।

श्री मोहर्रसिंह : यह इरिगेशन मंत्री जी ने ही दिया था। उनकी जानकारी में नहीं है तो फिर इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, सिद्धमुख प्राजेक्ट को हाथ में लेने का प्रश्न है यह मसला तीन राज्यों के बीच का है और जब तक तीनों राज्यों का एग्रीमेन्ट नहीं हुआ हो तो किस प्रकार से आश्वासन दिया जा सकता है। जहां तक राजस्थान सरकार का प्रश्न है, सिद्धमुख प्रोजेक्ट बनाया जाये और राजस्थान की कुछ तहसीलों में पानी मिले और वह एरिया सिंचित हो इस संबंध में कारस्पोन्डेन्स भारत सरकार के बीच में और राजस्थान सरकार के बीच में चल रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ।

श्री मोहर्रसिंह : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न पन्द्रह बीस साल से चल रहा है और कब तक निर्णय होगा ? सदन में आश्वासन दे दिया और उसके बाद आश्वासन से मुकर रहे हैं, बड़ी गम्भीर बात है। हम तो कहते हैं कि इसको अकाल राहत कार्य में चालू कर दिया जाये चाहे इसकी 700 क्यूसेक्स की केपेसिटी हो या फिर 2500 क्यूसेक्स पानी की केपेसिटी हो। यह परमानेन्ट नेचर का काम है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष जी, हर इरिगेशन प्राजेक्ट कुछ न कुछ उत्पादन क्षमता अपने आप में रखता है। जहां तक इसका प्रश्न है यह सही है कि 15 साल से इस संबंध में बातचीत चल रही है। इसका संबंध केवल सिद्धमुख प्रोजेक्ट बनाने से ही, नहीं है रावी और व्यास के पानी को जिसको हमने मुख्य नहर में डाला था और उस समय तय हुआ था कि जो पानी भाखरा से ले रहे हैं उसको छोड़ा है और सिद्धमुख नहर से पानी मिलेगा और सादुल ब्रांच से है इसका संबंध। राजस्थान ने लिखा कि यह डिसीजन है कि फिलहाल तो पानी हम लेने के लिए तैयार हैं लेकिन 15 पर्सेन्ट शेयर हमारा है। इसलिए वह जब तक तय नहीं हो जाता और जब तक पंजाब एग्री नहीं करता है तब तक फैसला नहीं किया जा सकता है। शाहबाद कमाण्ड एरिया से आप जाना चाहते हैं सिद्धमुख एरिया के अन्दर तो जब तक पंजाब सरकार का एग्रीमेन्ट नहीं होता है तब तक कोई भी प्राजेक्ट हाथ में नहीं लिया जा सकता है।

श्री मोहर्रसिंह : क्या यह सही है कि पिछले सदन में एक साल पहले बताया गया था कि पंजाब का कोई झगड़ा नहीं है और

(श्री मोहर सिंह)
केवल रोपड़ से जानकारी लेनी है। हरियाणा सरकार जमीन एक्वायर कर रही है और एक्वीजीशन होते ही काम चालू हो जायेगा और आज मंत्री महोदय कहते हैं कि तीन स्टेटस का इन्टरस्टेट विवाद हो गया है।

श्री **परसराम मदेरणा** : रावी और व्यास के बारे में आज इन्टर स्टेट समझौता हुआ उसको मैंने कहा है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट ! श्रीमती कान्ता कथूरिया।

पी.बी.एम. अस्पताल, बीकानेर

747. **श्रीमती कान्ता कथूरिया** (कोलायत) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

बीकानेर के पी.बी.एम. अस्पताल में गत पाँच वर्षों में कितनी शैय्याओं का विस्तार हुआ तथा उसके अनुपात में कितना नर्सेज एवं चतुर्थ श्रेणी स्टाफ बढ़ाया गया ? क्या वहां के वार्डों की नर्सिंग सेवा से सरकार सन्तुष्ट है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : पी.बी.एम. अस्पताल में बन्ध्याकरण (महिला) नसबन्दी की दस शैय्यायें 1969 में बढ़ीं। जिसके लिये सी.ए.एस. डाक्टर 1, स्टाफ नर्स 1, मिड वाइफ 1, तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2 बढ़े। सन् 1972 में 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पी.बी.एम. मर्दाना चिकित्सालय में बढ़े। वर्तमान में जो भी नर्स स्टाफ उपलब्ध है उनके द्वारा मरीजों की सेवा पूरी तरह करने की चेष्टा की जाती है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रिन्सिपल महोदय ने दस बार लिखा होगा कि वहां पर स्टाफ पूरा नहीं है इसलिए मरीजों की देखरेख ठीक तरह से नहीं हो सकती और स्टाफ को बढ़ाया जाये और जहां तक नर्सेस का सवाल है 38 एप्रूव्ड पैटर्न से कम हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 39 नम्बर में कम हैं—क्या यह सही है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : प्रश्न विचाराधीन है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं कि यह कमी है उसकी पूर्ति करने के लिये गवर्नमेन्ट विचार करती है ?

श्री **हरिदेव जोशी** : अभी निश्चय नहीं किया है।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : कब तक निश्चय कर लेंगे ?

श्री **हरिदेव जोशी** : तय नहीं किया है।

श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : अभी जो स्टाफ है वह एप्रूव्ड पैटर्न से कम है उसके लिए क्या पोजीशन है।

श्री **हरिदेव जोशी** : पोजीशन यह है कि जो एप्रूव्ड संख्या है बैडस की उससे ज्यादा बैड्स हैं। इसे मैंने मैडिकल की डिमाण्ड के दिन कहा था कि कई ऐसे हास्पीटल हैं खासतौर से बड़े शहरों में शैय्यायें बढ़ाई गई हैं। अब पैटर्न के ऊपर एप्रूव्ड नार्म्स के अनुसार एक्सपेन्शन करना है। यह प्रश्न

Page No 9

(श्री हरिदेव जोशी)
सभी से सम्बन्धित विचाराधीन है–जयपुर का भी है, बीकानेर का भी है, उदयपुर का भी है, अजमेर का भी है, जोधपुर का भी है, अलवर का भी है और इस प्रकार से कई हास्पीटल्स का है। इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और जल्दी ही निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक सवाल। एक्सपेन्शन के अलावा भी बीकानेर हास्पीटल में 1010 शैय्यायें हैं उसके पैटर्न के हिसाब से भी तो स्टाफ पूरा होना चाहिए ?

श्री हरिदेव जोशी : जो सैंक्शन्ड स्टाफ है उसमें कमी है तो जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जायेगा। अनाथॉराइज्ड बैड्स बढ़ा दिये जाते हैं लोकल डाक्टर्स के द्वारा।

श्रीमती कान्ता कथूरिया : अभी तक जो सैक्शन्ड बैड्स हैं उसके अनुसार 38 स्टाफ नर्सेस कम हैं......

श्री हरिदेव जोशी : उसको जल्दी पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी !

नामान्तरणकरण के मामले

748. श्रीमती नगेन्द्र बाला (बीगोद) [श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : की अनुपस्थिति में]: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार नामान्तरणकरण पंचायतों की जगह खुद ही सीधा कर देते हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) नागौर जिले में ऐसे कितने मामले हैं जिनका नामान्तरणकरण सीधा तहसीलों में किया गया है ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या ऐसे नामान्तरणकरण करना अवैधानिक नहीं है ? अगर है, तो ऐसा करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिए इसे पोस्टपोन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : Postponed

श्री भगराज चौधरी।

जालोर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत सिचाई कार्य

749. श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जालौर जिले में क्रेश प्रोग्राम के तहत चालू सिंचाई कार्य करवाड़ा, लाखावास, मुडथलासोली, बासड़ाधनजी, चेखला, तरवानिया पर लगे मजदूरों को गत दिसम्बर एवं जनवरी के कार्य की मजदूरी का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भुगतान करने में इतना विलम्ब क्यों किया गया क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

कृषि-मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जालौर जिले में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत चालू सिंचाई विभाग के पांच कार्यों करवाड़ा बांध, लाखावास, मोरासिल्ली, बांसड़ाधनजी और तरवानिया पर काम करने वाले मजदूरों को 1-12-72 से 15-12-72 को मजदूरी के भुगतान में कुछ देरी हुई । दिसम्बर माह की बाकी अवधि के व जनवरी, 73 के मस्टर रोल समय पर ही पास हो गए थे । देरी का कारण यह था कि मस्टर रोलों पर जिलाधीश द्वारा कुछ एतराज लगाये गये जिनके कारण मस्टर रोल जिलाधीश, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता के बीच कुछ समय पत्र-व्यवहार में रहे । इस सम्बन्ध में कोई अधिकारी विशेष दोषी नहीं है, अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि माह जनवरी, फरवरी और दिसम्बर का इन कार्यों के लिए भुगतान नहीं किया है और मस्टर रोल पेश होने वाली बात कही है लेकिन मजदूरों को भुगतान नहीं किया है इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मुझे आज प्राप्त हुई है करवाड़ा बांध के सभी मजदूरों का भुगतान 15-1-73 तक का कर दिया है, लाखावास का पेमेन्ट 15-1-73 तक का 5-3-73 को कर दिया है, बांसड़ाधनजी का पेमेन्ट भी कर दिया है, तरवानिया का 31-1-73 तक का पेमेन्ट 13-3-73 को कर दिया है और मोरासिल्ली का भी 15-1-73 तक का 21-2-73 को कर दिया है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इस समय कलेक्टर जालौर बता रहे हैं कि हमारे पास बजट एक्सीड हो गया है और उधर कह रहे है कि रुपया लैप्स हो रहा है तो क्या स्थिति है ? पैसा मिलता ही नहीं है । काम कर दिया लेकिन वह कहते हैं कि बजट है ही नहीं । उसकी क्या स्थिति है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह बात सही कि जो धनराशि कलेक्टर जालौर को क्रेश प्रोग्राम के लिए आवंटन इस वर्ष के लिए की गयी थी अब उनके पास 600) रुपये थी, जैसा मुझे बताया है । राजस्थान को क्रेश स्कीम फार रूरल एम्प्लायमेन्ट के लिए 26 जिलों को तीन करोड़ 25 लाख रुपये का प्रावधान था और हमने इसको और 90 लाख इन्क्रीज करने के लिए भारत सरकार को लिखा था कि हमें और आवश्यकता होगी और उसके अगेन्स्ट में 25 लाख और दिये । इस प्रकार 350 लाख का टोटल आउट ले 72–73 के लिए सी.आर.पी. प्रोग्राम के लिए था जिसमें से 31-3-73 तक 2 करोड़ 76 लाख और 6 हजार की बुकिंग हो चुकी है और राज्य सरकार इस बात से आश्वस्त है कि जो 3 करोड़ 50 लाख का टोटल आउट ले है वह मार्च, 73 तक हो जाएगा । मुझे खुद को देखकर हैरत हुई कि शिन्दे साहब ने जो स्थिति 23 मार्च, 1973 को लोक सभा में कही और 2 करोड़ 78 लाख 6 हजार की जगह उन्होंने केवल 2 करोड़ का फीगर कहां से पकड़ लिया, मैं समझता हूं वह तथ्यात्मक और सही सूचना उन्होंने लोक सभा को नहीं दी है ।

श्री अध्यक्ष : श्री चतुरभुज ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या मंत्रीजी ने भारत सरकार को इस बारे में सही स्थिति से अवगत कराया है।

श्री परसराम मदेरणा : ऐसे मामलों में कहीं पर जो स्थिति पकड़ में आती है राज्य सरकार तत्परता से ध्यान देती है और तत्परता से अवगत कराया जाता है। मैं आज ही चिट्ठी भेज रहा हूं।

श्री भीमसेन : प्रश्नों के जवाब तो राज्य सरकार की तरफ से ही भेजे जाते हैं जो जवाब पार्लियामेंट में दिये जाते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : आप जाकर शिन्दे साहब से पूछिए।

श्री भगराज चौधरी : मेरे प्रश्न का जो उत्तर दिया गया है मैं समझता हूं कि वह ठीक उत्तर नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न तो खत्म हो चुका।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन कार्यों पर जो मजदूर माह दिसम्बर से लगे हुए हैं उनको आपने फरवरी तक का भुगतान अभी तक नहीं किया है, यह मेरी जानकारी है। आपने जो जवाब दिया है वह ठीक नहीं है। आप इस सम्बन्ध में कलेक्टर या सम्बन्धित अधिकारियों को हिदायत दें कि वे मौके पर जाकर तुरन्त भुगतान करें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने जो इन्फार्मेशन दी है उसके अनुसार 15 जनवरी तक भुगतान चार जगहों का कर दिया गया है। फरवरी के भुगतान की बात मैंने कब कही है ?

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 15 जनवरी तक का भुगतान कर दिया है तो 15 मार्च तक भी दो महीने का समय निकल चुका है और दो महीने की मजदूरी का आप भुगतान नहीं करें तो मजदूर अपना काम कैसे चलावें। मजदूर मजदूरी करके सुबह शाम का सामान लाकर काम चलाते हैं और अपना गुजारा करते हैं तो दो महीने तक भुगतान नहीं करें क्या अब भी राज्य सरकार यह कह सकती है कि किसी को भूख से नहीं मरने दिया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री चतुरभुज।

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जिलाधिश के पास में सी. आर. पी. प्रोग्राम के हैड के अन्दर केवल छः सौ रुपये बाकी हैं और जो छः सौ रुपये बाकी हैं उनका भुगतान कर देंगे और बाकी जो राशि है उसका भुगतान तो सी. आर. पी. हैड में रुपया मिलने पर 1 अप्रेल के बाद ही कर सकेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय दूसरे फण्ड से भुगतान करने के लिए पहले नहीं करेंगे। दूसरे फण्ड से भुगतान करने के लिए किसी ग्राण्ट या और कोई बजट से प्रावधान होना चाहिए।

श्री परसराम मदेरणा : इसका सम्बन्ध महारावल साहब मेरे से नहीं, इरिगेशन से नहीं है, यह सी. आर. पी. प्रोग्राम डवलपमेंट डिपार्टमेन्ट डील करता है और वे ही

Page No 12

(श्री परसराम मदेरणा)

फण्ड उपलब्ध कराते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेन्ट इसको डील नहीं करता है। पंचायत समितियां ही वह काम करवाती हैं और कलेक्टर के पास ही पैसा रहता है। इरिगेशन केवल कंस्ट्रक्शन की एजेंसी है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मंत्री महोदय, यह तो आपके आपस का मामला है, एडमिनिस्ट्रेटिव।

प्रश्न सं. 750

श्री अध्यक्ष : Next question, श्री चतुरभुज।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री ब्रजेन्द्रपाल।

सवाई माधोपुर जिले के ओवरसियरों का वेतन

751. श्री ब्रजेन्द्रपाल (करौली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर जिले के ओवरसियरों को आठ माह से वेतन नहीं मिला है? यदि हां, तो ऐसे कितने ओवरसियर हैं?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : जी हां। क्रेश योजना के अन्तर्गत सवाई माधोपुर जिले में तीन ओवरसियरों को वेतन का भुगतान नहीं हो सका है।

श्री ब्रजेन्द्रपाल : कारण क्या है भुगतान नहीं होने का?

श्री मूलचन्द : इसका कारण यह था कि यह जो तीन ओवरसियर यहां लगाए वे रेगुलर पोस्ट के थे जब कि जो निर्देश हैं क्रेश प्रोग्राम योजना के अन्तर्गत उस हिसाब से इनका व्यय अधिक होता था और इस वजह से भारत सरकार ने एतराज किया है। डिपार्टमेन्ट ने इस पर पुनः जल्दी से जल्दी भुगतान करने के लिए अभी अभी चिट्ठी लिखी है कि जल्दी भुगतान कर दिया जाय और कोई ऐतराज हो तो वह बाद में किया जावे।

प्रश्न सं. 752

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 753

श्री शंकरलाल जाट !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 754

श्री जवाहरमल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 755

श्री रामनारायण चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री रामगोपाल !

बिलासी नदी पर बांध

756. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि किशनगंज तहसील की बिलासी नदी पर बांध के लिए

Page No 13

(श्री रामगोपाल)

राज्य सरकार की ओर से सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो कब और इसकी अब क्या स्थिति हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष ही इस योजना को कार्यान्वित किया जावेगा ? यदि हां, तो इससे कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां। संशोधित सर्वेक्षण 1971-72 में किया गया था और अब तखमीने की तकनीकी जांच की रही है।

(2) जी नहीं। इस योजना के निर्माण होने के बाद लगभग 8000 एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी।

श्री रामगोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि तकनीकी जांच कब तक कर दी जावेगी ?

श्री मूलचन्द : निश्चित अवधि तो मैं नहीं बता सकता लेकिन जांच की जा रही है।

प्रश्न सं. 757

श्री अध्यक्ष : श्री भोमाराम चौधरी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 758

श्री रमेशचन्द्र सैनिक।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री नारायणसिंह।

तहसील दांतारामगढ़ में विद्युतिकरण का कार्य

759. श्री नारायणसिंह (दांतारामगढ़) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील-दांतारामगढ़ को इसी वर्ष में ग्रामीण विद्युतिकरण योजना के अन्तर्गत लिया जा रहा है ?

(2) क्या उक्त क्षेत्र की योजना तैयार की जाकर केन्द्रीय सरकार को भेजी जा चुकी है। यदि नहीं, तो देरी का क्या कारण है ?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही उक्त योजना स्वीकृत करवा कर इसी वर्ष से कार्य आरम्भ कराने का विचार रखती है ?

विद्युत् मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं।

(2) जी हां। स्कीम बनाई जाकर ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को इस मास में भेज दी गई है।

(3) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम द्वारा स्कीम स्वीकृत होने व अन्य औपचारिकताएं पूरी होने पर ही कार्य आरम्भ किया जा सकेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुरदयालसिंह।

मृतक पशु डालने का स्थान

760. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चक 6 बी बी, तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में गांव

Page No 14

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)
की ग्राबादी के साथ लगता हडोरोडा (मृतक पशु डालने का स्थान) मंजूर किया जाने के कारण गांववासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत ग्रसर पड़ता है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार गांव की आबादी के साथ लगता हडोरोडा किसी दूर स्थान पर तब्दील करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री **गुरदयालसिंह संधु** : जब यह कहा जाता है कि वहां पर मृतक पशु डालने का स्थान मंजूर ही नहीं किया गया है तो मौके पर स्थान की जरूरत तो है।

श्री **परसराम मदेरणा** : स्थान तो है वहां मौके पर लेकिन उससे कोई लोगों की हैल्थ पर ग्रसर नहीं पड़ता।

श्री **गुरदयाल सिह संधु** : आबादी के साथ स्थान होने से, घरों के ग्रागे स्थान होने पर जो मृतक पशु डाले जाते हैं तो लोगों के हैल्थ पर कैसे प्रभाव नहीं पड़ता, यह तो बड़े ग्रफसोस की बात है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री प्रतापसिंह।

गूदोलाव झील किशनगढ़

761 श्री **प्रतापसिंह** : (**किशनगढ़**) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) किशनगढ़ स्थित गूदोलाव झील की मरम्मत व विकास का दायित्व किस विभाग पर है ?

(2) क्या सम्बन्धित विभाग ने विगत 25 वर्ष में इस झील पर कोई विभागीय धनराशि खर्च की है ?

(3) क्या यह सही है कि इस झील से सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है ? यदि हां, तो वार्षिक राजस्व ग्राय कितनी है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त झील में पूरा पानी भरने पर झील के टूटने का खतरा उत्पन्न हो जाता है ? यदि हां, तो इस खतरे को टालने के लिए सरकार क्या कोई कदम उठायेगी ?

(विराम)

श्री **अध्यक्ष** : Government is not ready.

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया है।

श्री **प्रतापसिंह** : स्थगित कर रहे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : Yes postponed.

प्रश्न सं. 762

श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री चिम्मनसिंह भाटी।

ग्राम हलवट के पास बांध का निर्माण

763. श्री चिम्मनसिंह भाटी (भीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की खारची तहसील की ग्राम पंचायत भगोड़ा में हलवट गांव के पास गढवाली नाल कटान्द्रा नामक स्थान पर एक बान्ध बनाने का प्रस्ताव है ?

(2) क्या इस कार्य का सर्वे व एस्टीमेट तैयार हो चुका है ? यदि हां, तो इसकी कुल लागत कितनी होगी व इस बान्ध से कुल कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

(3) क्या यह सही है कि कुछ लोग इस जगह केवल एनीकट बनवाना चाहते हैं जब कि इस क्षेत्र का बहुमत बल्कि 95 प्रतिशत जनता बान्ध बनाने की मांग कर रही है ? यदि हां, तो बांध का कार्य कब प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मूलचन्द) : (1) जी हां, पाली जिले की खारची तहसील की ग्राम पंचायत भगोड़ा में हलवट गांव के पास गढ़वाल की नाल एनीकट बनाने का प्रस्ताव है।

(2) जी हां, इस कार्य की सर्वे के उपरान्त तखमीना तैयार किया जा चुका है जिसकी कुल अनुमानित लागत 32,600) रुपये की है। इससे भूमि की सिंचाई न होकर केवल कुओं के पानी का स्तर ही ऊंचा होगा।

(3) यह क्षेत्र हेमावास के कैचमेंट में आता है अतः यहां केवल एनीकट बनाना ही सम्भव है जिसका कार्य 25-1-73 से आरम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न सं. 774

श्री अध्यक्ष : श्री मोहम्मद गफ्फार अली।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 765

श्रीमती नगेन्द्रबाला।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 766

श्री शंकरलाल (पाली)

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्री केसरीमल।

रायपुर भूंठा ग्राम का कुआ

7 7. श्री केसरीमल (ब्यावर) : क्या राजस्व मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के रायपुर भूंठा ग्राम में एक व्यक्ति के पास ऐसा कुआ है जिसमें अथाह पानी है और उस पानी से वह व्यक्ति अपनी खेती के अलावा अन्य किसानों की सैंकड़ों वीघा खेती की सिंचाई करता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वह व्यक्ति सिंचाई पेटे की खेतों की पैदावार काएक तिहाई और किसी किसी से आधा भाग वसूल

Page No 16

(श्री केसरीमल)
करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कुए को अपने हाथ में लेकर किसानों को इस भारी लूट से बचाने तथा बिचौलियों की प्रथा समाप्त करने का विचार रखती है ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इसलिए कृपया पोस्ट-पोन करें।

श्री **अध्यक्ष** : Postponed.

प्रश्न सं. 768

श्री नत्थासिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 7‹9

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न सं. 411–स्थगित प्रश्न

श्री राजेन्द्रसिंह।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 587, ! श्री भंवरलाल भदादा।

स्थगित प्रश्न

दिनांक 16-3-73

भीलवाडा जिले में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की बकाया

587. श्री **भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भीलवाड़ा जिले में कैश प्रोग्राम के अन्तर्गत काम करने वाले मजदूरों का कब तक का पेमेन्ट हो चुका है ?

(2) आज दिन तक किस किस काम का कितना कितना पेमेन्ट किस किस महीने का देना है ?

(3) यह देय पेमेन्ट क्यों नहीं हो रहा है ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर अभी नहीं आ पाया है। अतएव इसको पोस्टपोन किया जाए।

श्री **भंवरलाल भदादा** : इसका काम भी वहां पर हो चुका है।

श्री **हरिदेव जोशी** : इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा हैं।

श्री **अध्यक्ष** : Postponed.

प्रश्न संख्या 738

श्री फारुक हसन।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 742

श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 743

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 750

श्री चतुर्भुज।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 752

श्री जेठमल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 753

श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

प्रश्न संख्या 754

श्री जवाहर मल ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 755

श्री रामनारायण चौधरी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 757

श्री भोमाराम ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 758

श्री रमेश चन्द्र सैनिक ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 762

श्री मनोहर कोठारी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 764

श्री मोहम्मद गफ्फार अली ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिये इसका उत्तर दिलवा दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 764

मेडिको लीगल केसेज

664. श्री केदार नाथ (गंगानगर), श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) की अनुपस्थिति में : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेडिको लीगल केसेज़ में जो एक्स-रे प्लेटों को उपयोग में लिया जाता है उनका भार एस. एम. एस. हॉस्पिटल पर पडता है? यदि हां, तो 71-72 और 72-73 में कितने मेडिको लीगल केसों की एक्स-रे प्रिन्ट तैयार की गई और उन पर कितना खर्चा आया ?

(2) क्या यह सत्य है कि मेडिको लीगल केसों के कारण आम मरीज़ों के केसों को पूरी तवज्जह नहीं दी जाती है और उनके एक्स-रे प्लेटों के कोटे पर प्रभाव पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि मेडिकल ज़्यूरिस्ट के डिस्पोजल पर जो मौजूदा स्टाफ है वह बहुत ही कम है ?

(4) क्या राज्य सरकार मेडिको लीगल केसों के लिये पुलिस बजट से राशि हासिल करने को उचित नहीं मानती ?

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां, वर्ष 71-72 व 72-73 की एक्सरे प्लेटों की संख्या व व्यय निम्न प्रकार है:—

वर्ष	एक्स-रे प्लेटों की संख्या	प्लेटों का मूल्य
1971-72	1760	8800
1972-73	2192	10960
(2-3-73)		लगभग

Page No 18

(श्री हरिदेव जोशी)

(2) जी नहीं

(3) जी हां

(4) जी नहीं।

प्रश्न संख्या 765

श्री अध्यक्ष : श्रीमती नगेन्द्र बाला।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 766

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 768

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 769

श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 411

श्री राजेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को प्रश्न सूची में मेरा प्रश्न था और श्रीमान ने यह फर्माया था कि आगे की तारीख में लिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि वह पोस्टपोन किया गया है। प्रश्न सूची 5–6 दिन पहले छप जाती है। लेकिन स्थगित प्रश्न अपने आप अगली सूची में आ जायेगा।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बन्ध-गोपालपुरा

739 श्री फारूक हसन (सवाई माधोपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बन्ध गोपालपुरा (ढ़ील) से निकलने वाली मुख्य नहर के आस पास स्थित कई गांवों की जमीन में आबपाशी नहीं होती? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि बनास नदी के चरिणका देह से लिफ्ट इरिगेशन के लिए कोई सर्वे किया गया था? यदि हां, तो इस योजना को क्यों नहीं बनाई जाती?

(3) उक्त योजना के बन जाने से कितनी जमीन की आबपाशी हो सकती है?

(4) ग्राम श्यामपुरा तहसील सवाई माधोपुर में क्या कोई सिंचाई विभाग का बंध स्थित है? यदि हां, तो बंध का पानी किस कार्य में लिया जाता है?

(5) क्या उक्त श्यामपुरा बंध से ग्राम ओलवाड़ा ऐंड़ा, हिंगौनी व निंदोनी की जमीन में पिलाई की जा सकती है?

उत्तर

(1) बान्ध से निकलने वाली मुख्य नहर के सिंचित क्षेत्र में जो भी गांव आते हैं उन सभी में आबपाशी होती है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) इस योजना पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया गया था लेकिन उपलब्धियों के अनुरूप व्यय की धन राशि अत्यधिक होने के कारण योजना को लेना संभव नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, इस बन्ध से केवल पेटा काश्त होती है।

(5) जी नहीं, क्योंकि इन गांवों की जमीन ऊंची है।

बामनवास तहसील में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर

74?. श्री भरत लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कुल कितनी ऐसी तहसीलें हैं जिनमें प्राईमरी हैल्थ सेन्टर नहीं हैं और उनके नाम क्या हैं?

(2) बामनवास तहसील में प्राईमरी हेल्थ सेन्टर न होने का क्या कारण है तथा सरकार कब तक इस तहसील में प्राईमरी हैल्थ सेन्टर खोल देगी? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) 5 तहसीलें क्रमशः हनुमानगढ़, टी बी, अनूपगढ़, किशनगंज व बामनवास।

(2) तहसील मुख्यालयों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सहकारिता आन्दोलन में सुधार

743. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सहकारिता आन्दोलन राजस्थान में सफल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या इसे सफल बनाने के लिये राज्य सरकार निकट भविष्य में कोई सुधार के कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। सफल रहा है।

(2) सहकारिता आन्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये हर पंचवर्षीय योजना में एक समूचा प्रोग्राम होता है।

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ग्राम मंदोलाई

750. श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्राइमरी हैल्थ सेन्टर ग्राम मांदोलाई में कितना स्टाफ स्वीकृत है?

(2) क्या स्वीकृत स्टाफ के अनुसार उक्त सेन्टर पर डाक्टर नियुक्त हैं? यदि हां, तो कितने? यदि नहीं तो क्यों?

(3) क्या उक्त सेन्टर के लिये जीप गाड़ी भी स्वीकृत है? यदि हां, तो गाड़ी क्यों नहीं भेजी गई है?

Page No 20

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मांदोलाई में निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं :–

क्र. सं.	नाम पद	स्वीकृत पद
1.	चिकित्सा अधिकारी	1
2.	औषधि संयोजक ग्रेड II	2
3.	" " " III	2
4.	मिडवाईफ	4
5.	एल. एच. वी.	1
6.	एस. आई.	1
7.	ड्राईवर	1
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	7

(2) जी हां। डाक्टर कार्यरत है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) जी हां। यूनिसेफ द्वारा वाहन अलाट कर दी गई है। प्राप्त होने पर दी जावेगी।

किशनगढ़-मकराना सड़क

752. श्री **जेठमल बरवड़** (परबतसर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि किशनगढ़ से मकराना सड़क में खड्डे पड़े हुए हैं जिससे बसों व ट्रकों वालों को भारी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो इस सड़क की मरम्मत कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

जी हां।

रिपैयर कार्य प्रगति पर है।

भूरक्या कलां ग्राम के निवासियों को दिया गया ऋण

753. श्री **शंकरलाल जाट** (कपासन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ज़िला चित्तौड़गढ़ में सन् 1967 में जो भयंकर बाढ़ आई थी उस बाढ़ग्रस्त गांवों के व्यक्तियों को जैसे नारजीकाखेडा, चारनखेड़ी, भूरक्या कलां तहसील बड़ी सादड़ी में मध्यकालीन ऋण दिया गया था ? यदि हां, तो क्या यह उनसे वसूल हो गया ? यदि नहीं हुआ तो क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों के व्यक्तियों को उतनी राशि नहीं दी गई जितनी उनके नाम लिखी गई थी और वसूल करते समय उनसे सब राशि वसूल करली गई जब कि शेयर की राशि ऋण वसूल करते एडजस्ट करनी चाहिये थी, नहीं की गई है ?

(3) क्या यह सत्य है कि गांव भूरक्या कलां व गांव चारन खेडी के करीब 35 व्यक्तियों ने केन्द्रीय सरकारी बैंक चित्तौड़गढ़ को निवेदन भी किया था ? यदि हां, तो अब तक उनके शेयर की राशि जो कि ऋण देते समय एडजस्ट नहीं की गई थी वह वापिस नहीं देने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। दिया गया मध्यकालीन ऋण वसूल हो गया है।

Page No 21

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी नहीं। शेयर की राशि ऋण राशि वसूली करते समय एडजस्ट किया जाना संभव नहीं। सदस्यों के खातों में जमा रहती है।

(3) जी नहीं। प्रश्न पैदा नहीं होता।

गंगापुर-रायपुर सड़क

754. श्री जवाहरमल (सहाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या गंगापुर से रायपुर वाया बोराणा, करेड़ा सड़क जिला भीलवाड़ा को 'ए क्लास' रोड़ मान रखा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर बहुत से गड्डे पड़ गये हैं ? यदि हां, तो अब सरकार कब तक इस सड़क को डामर रोड़ बनाकर पूर्ण कर देगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) सड़क की दशा साधारण है। डामर कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

झुन्झुनूं जिले के गांवों को बिजली

755. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) झुन्झुनूं जिले के ग्राम भारु मेहरा दासी, भोजासर, वाजीसर तथा सोनासर को बिजली लाईन देने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है ?

(2) क्या इन गांवों का विद्युतिकरण करने के प्रयोजन से अन्तिम सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो कब तथा इनको कब तक बिजली लाईन से जोड़ दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम भारु, भोजसर मेहरवासी व बाजीसर की सर्वे कराई जा चुकी है। प्रथम दो गांवों की स्कीम विचाराधीन है। अन्तिम दो गांवों की स्कीम लाभप्रद नहीं पाई गई। ग्राम सोनसर की सर्वे करने के आदेश दे दिये गये हैं।

(2) सर्वेक्षण की स्थिति प्रश्न एक के उत्तर में बताई गई है। इन ग्रामों को कब बिजली की लाइन से जोड़ दिया जायेगा, अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

सांभर-नांवा सड़क पर डावसी रपट का कार्य

757. श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

क्या यह यह सही है कि जब मंत्री महोदय भगवानपुरा होस्पीटल का उद्घाटन करने पधारे थे उस समय ग्राम सभा में सांभर-नांवा रोड़ पर डावसी रपट का कार्य एक माह में शुरू कराने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो रपट का कार्य कब शुरू करवा दिया जायेगा और अब तक कार्य शुरू नहीं कराने का क्या कारण है ?

Page No 22

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

कार्य शीघ्र आरम्भ कराने को कहा था। प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

हिण्डौली तहसील की सिंचाई योजनाएं

758. श्री **रमेशचन्द्र सैनिक** (हिण्डौली): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या बूंदी जिले की हिण्डौली तहसील में लघु और मध्यम सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत आई हुई भूमि में कुछ ऐसी भी भूमि है जिसमें पानी नहीं दिया जाता और कमाण्ड घोषित की हुई है? यदि हां, तो इस प्रकार की भूमि का कुल कितना क्षेत्रफल है और किन किन योजनाओं के अन्तर्गत आता है? सूची मय खसरा नम्बरों को दर्शाते हुये सदन की मेज पर रखने कृपा करें।

(2) क्या इस प्रकार की भूमि को जिसमें कि पानी नहीं दिया जाता हो और फिर भी कमाण्ड घोषित कर रखा है को कब तक अन कमाण्ड घोषित की जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। इस प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल 3885.46 एकड़ है जो निम्न योजनाओं के अन्तर्गत आता है:—

(1) गुढ़ा बांध	1672–48	एकड़
(2) बूंदी का गोथरा	515–92	,,
(3) पेच की बावड़ी	1697–06	,,
	3885–46	,,

खसरा नम्बरवार सूची संलग्न है।

(2) जिस भूमि को पानी नहीं मिलता है उनको डिकमाण्ड घोषित कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नाथद्वारा में चिकित्सा की सुविधा

762. श्री **मनोहर कोठारी** (नाथद्वारा): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरीय क्षेत्र के लिए डाक्टरों की संख्या निर्धारित करने और उनकी नियुक्ति करने हेतु क्या कोई निर्देशक सिद्धान्त बनाये गये हैं?

(2) क्या राज्य सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाथद्वारा नगर में उसकी स्थायी जनसंख्या के अतिरिक्त वर्ष भर औसतन पांच हजार यात्री वहां बने रहते हैं?

(3) क्या यह सही है कि सन् 1938 के पहले भी ठिकाने द्वारा नगर में जनाना और मर्दाना अस्पताल अलग अलग चलाये जाते थे और दोनों ही जगह स्वतन्त्र डाक्टर रहते थे? यदि हां, तो डाक्टरों की संख्या और स्वास्थ्य सुविधा आदि की दृष्टि से तब में और आज में क्या अन्तर है?

(4) क्या नगर की स्थिति और जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबन्ध पर्याप्त है? यदि नहीं,

Page No 23

(श्री मनोहर कोठारी)
तो क्या सरकार डाक्टर बढ़ाने का विचार रखती है ?

(5) क्या सरकार जिला चिकित्सा अधिकारी का मुख्यालय उदयपुर से नाथ–द्वारा लाये जाने में कोई कठिनाई अनुभव करती है ? यदि नहीं, तो उसका कब तक निर्णय कर लिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं। चिकित्सा विभाग में राशनलाईज पेट्रन के अनुसार चिकित्सकों की संख्या निर्धारित की जाती है जिसमें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र का भेदभाव नहीं है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। किन्तु एक्स रे, प्रसूतिगृह वार्ड की सुविधा में वढोतरी की गई है।

(4) जी हां। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) जी नहीं। फिलहाल कोई ऐसा मामला विचाराधीन नहीं है।

कोटा जिले में नहरों से सीपेज

765. श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति लाडपुरा व पंचायत समिति सुल्तानपुर में कुल कितनी जमीन ऐसी है जो नहरों से होने वाले सीपेज के कारण ऊसर हो गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) कितनी कृषि भूमि ऐसी है जिस पर पानी भरा रहता है ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में नहरों से होने वाले सीपेज के कारण कृषि भूमि बेकार हो रही है और दिनों दिन स्थिति बहुत खराब हो रही है जिससे किसानों के लिए भविष्य की बरबादी का कारण बन रही है।

उत्तर

(1) कोटा जिले की पंचायत समिति लाड़पुरा व सुल्तानपुर में नहरों से होने वाले सीपेज एवं अन्य कारणों के कारण लगभग 16270 एकड़ भूमि क्षतिग्रस्त है। सूची संलग्न है।

(2) इन दोनों पंचायत समितियों में अनुमानतः 1849 एकड़ भूमि ऐसी है जो पानी भरा रहने के कारण अथवा क्षार आदि के कारण पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुकी है। केवल पानी भरा रहने के कारण कितनी भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसकी सूचना अलग से उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां, यह सही है कि नहरों की सीपेज एवं अन्य कई कारणों से कोटा जिले की कृषि भूमि खराब हो रही है।

(कृपया परिशिष्ट–2 देखिये)

पाली तहसील की अधूरी सड़कें

766. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पाली तहसील में विभाग की व गत अकाल की कितनी और कौन कौन सी सड़कें बे मरम्मत अधूरी और टूटी पड़ी

Page No 24

(श्री शंकर लाल)
हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन सड़कों की मरम्मत करने व अधूरी सड़कों को पूरा कराने का क्या कार्य-क्रम विभाग द्वारा बनाया गया है ? और उसमें कितनी सड़कों के लिये अकाल राहत कार्यों, क्रेश योजना व डी. पी ए. पी. में प्रस्ताव भेजे गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) यह प्रस्ताव कितनी कितनी धन राशि की स्वीकृति के लिये और कब कब भेजे गये हैं ? सूची में उल्लेख करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) अकाल राहत कार्यों में बनी सड़कें इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं। वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित कर दी गई हैं।

(3) वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

मण्डल वन अधिकारी के विरुद्ध जांच

768. **श्री नत्थीसिंह (नदबई)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री वी. एस. सक्सेना मण्डल वन अधिकारी भरतपुर रह चुके हैं ? यदि हां, तो इस पद पर उनकी नियुक्ति कब हुई और यहां से उनका स्थानान्तरण कब हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अधिकारी ने अपने कार्यकाल में अनेकों घोटाले व गबन किये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार को ऐसी जानकारी कब प्राप्त हुई ? क्या इसकी कोई जांच की गई है ? अगर की गई तो उसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) जी हां, मण्डल वन अधिकारी भरतपुर के पद का दिनांक 12-6-67 को कार्यभार ग्रहण किया और 23-8-72 को भार मुक्त हुये।

(2) जी नहीं। जांच की गई थी। जांच से शिकायतें निराधार पाई गई।

ग्राम गोरखिया में भूमि का आवंटन

769. श्री **विजयसिंह** (मांडल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या श्री चांदू आत्मज श्री कालू हरिजन और श्री प्रभु आत्मज श्री छीतर हरिजन, निवासी गोरखिया तहसील मान्डल को गत वर्ष कृषि भूमि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो उक्त भूमि के आराजी नं. और रकबा बताने का कष्ट करें।

(2) क्या आवंटित भूमि उक्त व्यक्तियों को सुपुर्द कर दी गई है ?

उत्तर

(1) सन् 1971 में भूमि आवंटित की गई थी। ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी नहीं।

कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-3-73)

बैंकों के चुनाव

411. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) राजस्थान में सी. सी. बैंक एवं पी. एल. एम. बैंक के चुनाव कहां कहां कराये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या राज्य सरकार ने कोई बैंकों के चुनाव स्थगित करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो किस जगह के और किस पद के ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि चुनाव के दौरान राज्य सरकार चुनाव स्थगित नहीं करा सकती ? यदि हां, तो टौंक के पी.एल. एम. बैंक के स्थानों का चुनाव होने की क्या तिथियां निर्धारित थी ?

(4) क्या यह सही है कि एक सीट का स्थगन आदेश दिनांक 12-1-73 को प्राप्त हुआ जब कि इस सीट पर एक ही प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया था ?

(5) क्या सरकार इस आदेश को कानून की नजर से गलत नहीं समझती ? यदि हां, तो इसे वैकेट क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सी. सी. बैंक एवं पी. एल. एम. बैंक के चालू सहकारी वर्ष में चुनाव कराए गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, निम्न बैंकों के अंकित पदों के चुनाव स्थगित कराने के आदेश चालू सहकारी वर्ष में दिए हैं :

1. दी सैन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक लि. टौंक संचालक

2. टौंक जिला भूमि विकास बैंक के संचालक मण्डल के चुनाव की तिथि 20-1-73 थी।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। आदेश प्राप्त होने तक चुनाव परिणाम घोषित नहीं किया गया था।

(5) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट-5 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जीवनदेसर में आवंटित भूमि

393. **श्री गुरदयालसिंह सन्धु** (करणपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि श्री कुरड़ा राम को जीवनदेसर बरानी में 39 बीघे 7 बिस्वे बारानी भूमि व 31 आर.बी.आई. में 5 बीघे नहरी भूमि अलाट की गई ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(श्री गुरदयाल सिंह सन्धु)

(2) क्या जिस आधार पर श्री कुरड़ा राम को भूमि दी गई है उसी आधार पर सरकार दूसरे ऐसे व्यक्तियों को भी भूमि देने के लिये तैयार है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। भूतपूर्व सैनिक होने के कारण आवंटित की गई।

(2) नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

तीन एकड़ भूमि को लगान से माफ करने की घोषणा

394. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1967-68 अथवा इसके आस पास, राज्य सरकार ने 3 एकड़ भूमि को लगान से मुक्त करने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नोटीफिकेशन की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त घोषणा की क्रियान्विति कुछ समय तक की गई ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां,

यह सही है कि जिन काश्तकारों के पास 1-4-67 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 19 की धारा 53(1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई थी उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी, उनसे खरीफ की फसल से भू-राजस्व नहीं लिये जाने का आदेश दिया गया था जिसकी प्रति संलग्न है।

(2) जी हां,

5-12-67 को उपरोक्त आज्ञा को स्थगित किया गया व 12-3-68 को उपरोक्त आज्ञा निरस्त कर दी गई।

(कृपया परिशिष्ट—6 देखिये)

उदयपुर शहर की पन्द्रह मील की परिधि में अलाट की गई भूमि

395. श्री **भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) उदयपुर शहर की 15 मील की परिधि में गत दस वर्षों से आज तक किन किन व्यक्तियों को कितनी कितनी भूमि कब कब और कहां कहां राज्य सरकार द्वारा सीधे ही अलाट कर दी गई है ? उसकी तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिन व्यक्तियों को भूमि अलाट की गई है उनमें कौन कौन राज्य कर्मचारी है? वे उस समय किस किस पद पर कार्य कर रहे थे ? इन व्यक्तियों ने भूमि के आवंटन के लिए किस किस तारीख को आवेदन पत्र दिया था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(राजस्व मंत्री) :

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई आवंटन नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

कृषकों को पास बुकों का वितरण

396. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कृषकों को पास बुक दिये जाने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा किस तिथि को की गई थी ?

(2) घोषणा की तिथि से 31 जनवरी, 1973 तक अभी तक कितने जिलों में कितनी पास बुकों का वितरण किया गया है ?

(3) जिलेवार वितरण के पश्चात् 31 जनवरी 1973 तक कितने कितने किसानों के हाथों में पास बुकें पहुंच चुकी हैं ? कृपया जिलेवार संख्या दें व कब तक पास बुकें वितरित कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) यह घोषणा राज्य सरकार द्वारा 29-12-64 को की गई थी।

(2) सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

गांधी शताब्दी वर्ष में आवंटित भूमि

397. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

अनुसूचित जातीय व्यक्तियों को गांधी शताब्दी वर्ष में कितनी भूमि आवंटित की गई तथा उसमें से कितनी भूमि का कब्जा इन्हें मिल गया ?

उत्तर

गांधी शताब्दी वर्ष में राजस्थान में अनुसूचित जाति के 50,117 व्यक्तियों को 1,92,759 एकड़ भूमि आवंटित की गई, तथा उसमें से 1,81,135 एकड़ भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

ग्राम पंचायत मावली क्षेत्र में भूमि पर नाजायज कब्जे

398. **श्री गिरधारीलाल भार्गव** (हवा-महल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मावली के अधिकार क्षेत्र में स्थित बिना नाम जमीनों पर कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर मकानात अथवा अन्य तामीर कर ली हैं ? यदि हां, तो किन किन लोगों ने कब कब और किस किस किस्म की तामीर करायी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। यह सही है कि ग्राम पंचायत मावली के अधिकार क्षेत्र में स्थित बिना

(राजस्व मंत्री)
नाम भूमि में कई व्यक्तियों ने नाजायज कब्जा कर मकानात अथवा अन्य तामीर कर ली हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तहसील लाड़पुरा में भूमि का आवंटन

399. श्री **मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी) व श्री **श्रीराम गोटेवाला** (किशनपोल जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले की तहसील लाड़पुरा में आवंटन समिति ने दिनांक 4-2-73 से 9-2-73 तक भूमि का आवंटन किया है ? अगर हां, तो कहां कहां, कब कब कितना कितना ?

(2) कृपया ग्राम, केन्द्र, रकबा व नाम बताने का कष्ट करें ?

(3) क्या यह सही है कि आवंटन के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं ? अगर हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) तहसील लाड़पुरा में आवंटन समिति द्वारा दिनांक 4-2-73 से भूमि का आवंटन नहीं किया गया बल्कि दिनांक 7-2-73 से 9-2-73 तक किया गया है। अग्रिम ब्यौरा संलग्न सूची 'क' में अंकित है।

(2) ब्यौरा संलग्न सूची 'ख' में अंकित है।

(3) जी हां। आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है और पटवारी हलका के समय पर अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत न करने के कारण उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। ग्राम लाड़पुरा, कैथून व अभयपुरा ग्रामों की भूमि आवंटन के विरुद्ध 26 व्यक्तियों ने 61 आवंटितियों के खिलाफ अतिरिक्त जिलाधीश के न्यायालय में अपील भी पेश की है, जिनमें सुनवाई की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नदबई तहसील में सैटिलमेन्ट का कार्य

400. **श्री नत्थासिंह** (नदवई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नदबई तहसील का सैटलमेन्ट अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि होगा, तो कब तक ?

उत्तर

यह सही नहीं है।

तहसील नदबई का सैटलमेन्ट सम्वत् 2028 से 2047 तक यानि 1 जुलाई, 1971 से 30 जून, 1991 तक का किया गया है।

जिलाधीश कार्यालय सीकर में नियुक्तियां

401. **श्री केशरदेव** (लक्ष्मणगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिलाधीश कार्यालय सीकर में सन् 1962 से अब तक कुल कितने कनिष्ठ

Page No 29

(श्री केशर देव)
लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, पटवारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त किये गये तथा इनमें से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के कितने हैं ? अब तक कितने कनिष्ठ लिपिक लीव रीजर्व में लिये जाकर उन्हें नियमित किये गये ?

उत्तर

कोई वरिष्ठ लिपिक नियुक्त नहीं किया गया। क. लि. 42, अनु. जन जाति के 31, पटवारी 111 अनु. जाति के 8 एवं अनु. जन जाति के 2, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 23 अनु. जाति के 7 एवं अनु. जन जाति के 3, लीव रिजर्व क. लि. का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

चक 431 आर. बी. आई. के मोगे से पानी

402. **श्री गुरदयाल सिंह सन्धु** (करणपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चक 31 आर.बी. आई. के मोगे से श्री कुरड़ा राम की 39 बीघे 7 बिस्वे बारानी भूमि को किस आधार पर पानी दिया जाता रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने उपरोक्त पानी बन्द रहने का आदेश दिया था मगर एस. ई., सिंचाई विभाग ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए 1972–73 में भी श्री कुरड़ाराम को पानी दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस विषय में एस. ई. के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर श्री कुरड़ाराम का पानी बन्द करायेगी ?

उत्तर

(1) श्री कुरड़ाराम को राजनीतिक पीड़ित होने के नाते चक 31 आर. बी. (1) के मोगे से पानी दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं।

करेरुआ एवं निधारा माइनर्स का पानी

403. **श्री रामलाल** (मेड़ता): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील वाड़ी उप जिला धौलपुर में करेरुआ एवं निधारा माईनर्स से पानी उन खेतों को जो नहर की बराबर सतह पर है रोक कर सदा से लिया जाता रहा है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि कुछ दिनों पहले रोका डाल कर पानी लेने पर किसानों पर जुर्माना किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

धौलपुर उप जिले में सिंचाई की दरें

404. **श्री रामलाल** (मेड़ता) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर उप जिले में सिंचाई की दरें क्या हैं ?

(श्री रामलाल)

(2) क्या यह सही है कि गेहूं जिसकी सिंचाई एक फसल में नहर के पानी से तीन व चार बार होती है उसकी सिंचाई वसूली 6 रुपये 25 पैसे प्रति बीघा है ?

(3) क्या यह सही है कि चना जिसको एक या दो बार पानी दिया जाता है उसकी आबपाशी की वसूली सात रुपया प्रति बीघा से की जाती है ?

(4) क्या यह सही है कि गेहूं एवं चना मिलाकर बोये हुये खेत पर पिलाई की जावे तो 13 रुपये प्रति बीघा है ?

(5) उक्त दरों को निर्धारित करने का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) धौलपुर उप जिले की सिंचाई की दरों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं, गेहूं की सिंचाई की दर पार्वती बांध पर 7-50 प्रति बीघा (12-00 प्रति एकड़) है तथा पुराने बन्धों जैसे राम सागर, उर्मिला सागर पर सिंचाई की दर 6-87 प्रति बीघा (11-00 प्रति एकड़) है।

(3) जी नहीं, पार्वती सिंचित क्षेत्र में चना की सिंचाई दर एक पानी लेने पर 4-37 प्रति बीघा (7-00 प्रति एकड़) है तथा अन्य पुराने बन्धों पर 4-81 प्रति बीघा (7-70 प्रति एकड़) है। चना में दो या दो से अधिक पानी की सिंचाई की दर बंध पार्वती पर 7.50 प्रति बीघा (12-00 प्रति एकड़) है तथा पुराने बंधात पर 8-25 प्रति बीघा 13-20 प्रति एकड़) है।

(4) जी नहीं, पार्वती सिंचित क्षेत्र में गेहूं एवं चना मिलाकर (गोचनी) पर 7-5 प्रति बीघा (12-00 प्रति एकड़) तथा अन्य पुराने बंधात पर 10-31 प्रति बीघा (16-50 प्रति एकड़) है।

(5) सिंचाई की दरें राजस्थान सिंचाई एवं जल निकास नियम 1955 के नियम 22 के अन्तर्गत निर्धारित की जाती है।

(कृपया परिशिष्ट–9 देखिये)

संगीता माईनर का ठेका

405. श्री **बेगाराम चौहान** (रायसिंह नगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

तहसील सूरतगढ़ में अनूपगढ़ शाखा से संगीता माईनर निकालने का ठेका किस सन् में दिया गया था और यह कब तक पूरा होगा और कब तक संगीता माईनर के टेलों पर पानी पहुंचेगा ?

उत्तर

तहसील सूरतगढ़ में अनूपगढ़ शाखा से संगीता उप शाखा निकालने का ठेका सन् 1969–70 में स्वीकृत किया गया था और खुदाई का कार्य सन् 1971–72 में सम्पूर्ण हो गया। उपशाखा के लाईनिंग का कार्य वर्ष 1973–74 तक पूरा होने की संभावना है लाईनिंग पूरी होने पर टेलों तक पानी पहुंच जावेगा।

जिला गंगानगर की 'एफ' एवं 'एच' नहर में पानी

406. **श्री मनफूल राम** (केसरीसिंहपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला गंगानगर की 'एफ' नहर 'एच' नहर से अधिक चलती है ? यदि हां, तो क्यों ? कृपया गत पांच वर्षों के नहर 'एफ' के अधिक चलने का पूरा ब्यौरा सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

दोनों नहर लगभग बराबर चली हैं। गत पांच वर्षों में खरीफ व रबी में जितने रोज एफ. व एच. नहरें चली हैं उसकी सूची सलंग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

पंचायत समिति क्षेत्र पदमपुर में मुफ्त दी गई भूमि

407. **श्री गुरदयालसिंह संधू** (करणपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) पंचायत समिति क्षेत्र पदमपुर में किस किस पंचायत ने कितने भूमिहीन व हरिजन परिवारों को आबादी भूमि मुफ्त दी है ?

(ख) उक्त क्षेत्र में कितने ऐसे भूमिहीन व हरिजन परिवार हैं जिनके पास आबादी भूमि दी नहीं है और उन्हें आज तक आबादी भूमि दी नहीं गई ? उन्हें भूमि नहीं देने के क्या कारण हैं तथा उन्हें कब तक भूमि दे दी जावेगी ?

उत्तर

(क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) पंचायत समिति क्षेत्र पदमपुर में अब 756 ऐसे भूमिहीन व हरिजन परिवार हैं जिनके पास आबादी भूमि नहीं है। उन्हें आबादी भूमि आवंटन की कार्यवाही चालू है और शीघ्र ही निकट भविष्य में भूमि आवंटन किये जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिए)

पंचायत समितियों के अध्यापकों को बकाया

408. **श्री चेतराम** (टोडाभीम) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समितियों के अध्यापकों को दो तीन साल से उनके मेडिकल रिएम्बर्समेन्ट की धनराशि का भुगतान नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस किस की कितनी कितनी धन राशि बकाया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हीं अध्यापकों को उनकी सालाना बढ़ोत्तरी की धन राशि भी नहीं मिल रही है ? यदि हां, तो क्यों तथा इससे कितने अध्यापक प्रभावित हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(पंचायत मंत्री)

(2) पंचायत समिति महुवा, बोंली, करौली, हिन्डौन, गंगापुर, सपोटरा, टोडाभीम, बामनवास के अध्यापकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की राशि बकाया नहीं है। पंचायत समिति खण्डार के 12 अध्यापकों में से 4 अध्यापकों की सेवा पुस्तिका न बनने से उन्हें वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की गई है एवं बाकी 8 अध्यापकों का अभी फिक्सेशन के कारण एरियर बकाया है। पंचायत समिति, सवाई माधोपुर के 15 अध्यापकों की वेतन वृद्धि लगाना शेष है। इन अध्यापकों की सेवा पुस्तिकायें अन्य पंचायत समितियों से आना शेष हैं।

पंचायत समिति बाडी द्वारा अनुदान के रूप में दी गई राशि

409. **श्री रामलाल** (बाड़ी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

पंचायत समिति बाड़ी द्वारा किन किन ग्राम पंचायतों को कितनी-कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गई है और जिन उद्देश्यों के लिए यह धनराशि दी गई थी क्या उनकी पूर्ति हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

पंचायत तामखेड़ा का मुख्यालय

410. **श्री शिव नारायण** (बारां) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि पंचायत तामखेड़ा का मुख्यालय ग्राम बमूलिया कलां में परिवर्तन करने हेतु कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो कब तक परिवर्तन कर दिया जावेगा ?

उत्तर

जी हां, जिलाधीश, कोटा से उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में सम्मति चाही गई थी जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। पुनः स्मरण पत्र प्रेषित किया जा चुका है। सूचना आने पर पुनर्सीमा निर्धारण समिति के समक्ष रख कर जल्द निर्णय लिया जावेगा।

जयपुर जिले की सड़कों पर व्यय की गई राशि

411. **श्री सुरेशचन्द** (कोटपुतली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले को वर्ष 1962 से अब तक सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य के लिये कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इस स्वीकृत राशि में से किस किस तहसील में किस किस सड़क पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा कोटपूटली तहसील में नई सड़क बनाने व मरम्मत कार्य में उपेक्षा की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्ष अधिक राशि प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) इस विभाग में खर्च के तहसील वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। सड़क वार व्यय की गई राशि सूची (ब) में अंकित है।

(3) जी, नहीं। योजना जिला स्तर पर बनाई जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील हिण्डोली एवं नैनवा विधान सभाई क्षेत्र की सड़कें

412. श्री रमेशचन्द्र सैनिक (हिन्डोली): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बून्दी जिले की तहसील हिण्डोली और नैनवा विधान सभाई क्षेत्र में गत 25 वर्षों में क्या कोई पक्की (डामर) सड़क बनी है? यदि हां, तो वे कहां से कहां तक कितनी लम्बाई की कब कब बनाई गई? और अब इनकी कैसी अवस्था है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है, कि बून्दी से नैनवा जाने वाली सड़क की हालत बहुत खराब है? यदि हां, तो इसके जीर्णोद्धार के लिए क्या किया जा रहा है?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में गणेश घाटी से देई तक वाया दबलाना और गणेश घाटी से नैनवा वाया बून्दी का मीठडा तक नई सड़कों के निर्माण का विचार रखती है? यदि नहीं, तो जब भी जिले में सड़कों के निर्माण कार्य पर विचार किया जावे, इन दोनों सड़कों को प्राथमिकता दी जा सकेगी?

उत्तर

(1) जी हां, सूची (अ) प्रस्तुत है। सड़कों की दशा साधारण है।

(2) सड़क के कुछ मीलों की दशा अच्छी नहीं है। बूंदी से 22 मील तक मरम्मत करा दी गई है।

(3) पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इस पर भी विचार कर लेंगे।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

हिरन नदी पर पुल

413. श्री जीथिंग भाई (कुशलगढ़): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में कुशलगढ़ के पास हिरन नदी पड़ती है और उस पर फिलहाल रपट ही बनी हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उस नदी पर पुल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

Page No 34

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत बनी सड़कों का चार्ज

414. श्री **राम रघुनाथ** (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत वर्ष 1959 से 1971 तक जो लाखों रुपयों के व्यय से सड़कों का निर्माण हुआ उन्हें सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अपने चार्ज में ले लिया है? यदि हां, तो नागौर जिले की सड़कों का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त सड़कों का चार्ज यदि नहीं लिया गया तो क्यों तथा अब कब तक चार्ज ले लिया जावेगा ?

(3) जो सड़कें चार्ज में हैं उनकी मरम्मत की क्या व्यवस्था है? आज तक नागौर जिले की सड़कों पर मरम्मत हेतु कितनी कितनी राशि किस किस वर्ष में स्वीकृत हुई ? सड़कों का नाम देते हुए अलग अलग ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) **जी नहीं**।

(2) **अर्थाभाव। सहायता विभाग से** निर्धारित श्रृंखला अनुसार मरम्मत धन-राशि प्राप्त होने पर सहायता कार्यों में बनी सड़कों का चार्ज लिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) नागौर जिले की सूचना एकत्रित की जा रही है जो आने पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

तहसील नोहर के गांवों का विद्युतिकरण

415. श्री **भीमराज** (नोहर) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में कितनी तहसीलें ऐसी हैं जहां पर सिवाय नगरपालिका क्षेत्र के कोई ग्राम में बिजली नहीं है ?

(2) राजस्थान में कितनी तहसीलें ऐसी हैं जिनमें पिछले पांच **वर्षों से** एक भी ग्राम में विद्युत् नहीं दी गई है ?

(3) क्या यह सही है कि तहसील नोहर जिला गंगानगर के एक **सौ** छिहत्तर ग्रामों में से नोहर और रावतसर के **और** किसी भी ग्राम में विद्युत् नहीं दी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील नोहर के अनेकों ग्रामों के विद्युतिकरण का मामला काफी लम्बे अर्से से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या ऐसे ग्रामों की सर्वे करा ली गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। वर्ष 1972–73 में किन-किन ग्रामों को विद्युत दे दी जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) **कहां कहां नगरपालिका है इसकी सूचना विद्युत् मंडल में नहीं रखी जाती राजस्थान में 7 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर सिवाय तहसील मुख्यालय के अन्य किसी ग्राम में बिजली नहीं है। सूची 'ब' संलग्न है।**

(2) **राजस्थान में 24 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें पिछले 5 वर्षों से एक भी ग्राम का विद्युतिकरण नहीं किया गया है ?**

(विद्युत् मंत्री)

(3) जी नहीं, 1961 की जनगणना के अनुसार तहसील नोहर जिला गंगानगर में 162 गांव थे जिनमें से नोहर और रावतसर के अतिरिक्त जोगीआसीयान भी विद्युतिकृत हैं।

(4) जी हां। नोहर तहसील के 12 ग्रामों का सर्वे किया जा चुका है जिनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है। वर्ष 1972—73 में नोहर तहसील के किसी ग्राम को विद्युत् देने की संभावना नहीं है क्योंकि इस वर्ष में इस तहसील के किसी भी ग्राम को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

तहसील छबड़ा के ग्रामों में विद्युतिकरण हेतु सर्वे

416. श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील छबड़ा जिला कोटा के कितने ग्रामों का विद्युतिकरण हेतु सर्वे कराया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) आगामी वर्ष में उक्त क्षेत्र के कितने ग्रामों को सिंचाई हेतु बिजली दिए जाने का लक्ष्य है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) तहसील छबड़ा जिला कोटा के 15 ग्रामों का विद्युतिकरण हेतु सर्वे किया गया है, जिनकी सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) आगामी वर्ष की योजना अभी नहीं बनी है। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

मांगरोल तहसील के ग्रामों में कृषि कार्यों के लिये बिजली

417. श्री **शिवनारायण** (बारां) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल में अन्ता, शीशवाली को छोड़ कर कृषि हेतु इस क्षेत्र के ग्रामों में अभी तक भी बिजली नहीं गई है ? अगर हां, तो क्यों तथा जिन जिन गांवों के लिए क्षेत्रीय विधायकों से बिजली लगाने हेतु ग्रामों के नाम मांगे गये थे उनमें कब तक बिजली दी जा रही है ?

(2) क्या यह सही है कि तहसील मांगरोल में ग्राम बबूलिया कलां बडवा, लिसाड़ी, हापाहेड़ी, मोराफेढ़ी, मीर्जापुर का बिजली देने हेतु सर्वे हुआ है ? यदि हां, तो बिजली इन गांवों के कुओं पर कृषि कार्य हेतु कब दी जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील मांगरोल में सीसवाली के अलावा ग्राम पाड़लिया, उदपुरिया, वोहत, भटवाड़ी, बम्बूरी और मऊ का भी विद्युतिकरण किया जा चुका है।

(विद्युत मंत्री)
तहसील अन्ता में, अन्ता के अतिरिक्त पलाया जागीर का भी विद्युतिकरण हो चुका है। शेष गांवों का प्रश्न विचाराधीन है।

(2) जी हां, तहसील मांगरोल के ग्राम बाबूलिया कलां, बडवा, लिसाडो छापा-हेडी, मोराभोड़ी और मिर्जापुर का सर्वे वर्ष 1971–72 में कराया गया था। परन्तु स्कीम रिपोर्ट लाभप्रद नहीं होने से इन्हें विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत नहीं किया जा सका।

कोटा–जयपुर बिजली की बड़ी लाईन से टौंक जिले को बिजली

418. श्री **अजीतसिंह** (टौंक) : क्या क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कोटा से जयपुर आने वाली बिजली की बड़ी लाईन से टौंक जिले को बिजली मिलेगी ? यदि हां, तो कब और कहां कहां स्टेशन बनवाकर कितने किलोवाट्स देने का विचार है ? पूरी योजना यदि बनाई गई हो तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां। कोटा से जयपुर जाने वाली 132 के. वी. लाईन को निवाई पर टेप करके 132/33 के. वी. का 12000 के. वी. ए. का सब स्टेशन बनाया गया है, जिससे टोंक जिले की विभिन्न तहसीलों को 33 के. वी. व 11 के. वी. लाईनों द्वारा विद्युत प्राप्त हो रही है।

बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतिकरण

419. श्री **मुंशीलाल महावर** (बस्सी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में विद्युतिकरण के लिए गत 25 वर्षों में कितने ग्राम स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ए. आर. सी. स्कीम के अन्तर्गत भूगर्भ जल मण्डल के सर्वे के अनुसार ग्रामीण विद्युतिकरण करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर सूचना विद्युत मण्डल में नहीं रखी जाती। बस्सी तहसील में अब तक 21 ग्रामों को विद्युतिकरण हेतु स्वीकृत किया जा चुका है। सूची 'अ' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) प्रश्न विचारधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

बामनवास एवं बौंली के सब स्टेशन

420. श्री **भरतलाल** (बामनवास) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बामनवास व बौंली सवाई माधोपुर के 11 के. वी. के

(श्री भरतलाल)
सब स्टेशनों को 33 के. वी. में बदला जाना नितान्त आवश्यक हो गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन सब स्टेशनों से आगे जो लाइन जा रही है उस पर विद्युत शक्ति उचित मात्रा में किसानों को नहीं मिली है जिसके कारण इस वर्ष ही किसानों को काफी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इन सब स्टेशनों के आस-पास के गांव के व्यक्ति कृषि उपयोग हेतु काफी तादाद में विद्युत लेने के उत्सुक हैं ? यदि हां, तो कब तक 33 के. वी. के सब स्टेशन बना दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी नहीं, उपभोक्ताओं को 11।4 के. वी. के सब स्टेशनों से विद्युत प्राप्त कराई जाती है।

(2) जी नहीं, कनेक्शन ट्रान्सफार्मरों की क्षमतानुसार ही दिये जाते हैं और कनेक्शन बढ़ने पर या तो बड़ी क्षमता के अथवा नये ट्रांसफार्मर स्थापित कर दिये जाते हैं।

(3) स्वीकृत ग्रामों में जिन व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र आते हैं उन पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं। इसके लिए 33 के. वी. सब स्टेशन बनाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक

421. श्री हनुमान सहाय (बैराठ) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा आय से अधिक व्यय किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? गत पांच वर्षों में बैंक द्वारा विभिन्न मदों में कितना व्यय किया है ? पूर्ण विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सच है कि बैंक की साधारण सभा द्वारा बजट प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया है ? यदि हां, तो अस्वीकृत व्यय की गई राशि का जिम्मेवार कौन है ?

(3) इस बैंक की कब-कब साधारण सभायें हुईं ? साधारण सभा की कार्यवाही की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावें।

(4) विगत पन्द्रह वर्षों में संचालक मण्डल के कब-कब चुनाव हुए और कौन-कौन व्यक्ति किस किस पद पर निर्वाचित हुए उसके नाम व पते दिये जावें ? क्या इस संचालक मण्डल के सदस्य विगत 15 वर्षों में अन्य किसी सरकारी संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्य रहे हैं ? यदि हां, तो सूची प्रस्तुत की जाय।

(5) क्या सरकार उचित समझती है कि एक ही व्यक्ति वर्षों तक एवं अनेक सहकारी संस्थाओं में तथा कम्पनीज एवं कामर्शियल संस्थाओं के सदस्य रहे ?

उत्तर

(1) जी नहीं। गत पांच वर्षों में किये गये व्यय की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No 38

(सहकारी मंत्री)

(2) साधारण सभा द्वारा पारित अनुमानित बजट वर्ष 67–68 व 68–69 के प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया है किन्तु इन वर्षों का लेखा साधारण सभा द्वारा पारित किया जा चुका है।

(3) बैंक की साधारण सभाएं निम्न तिथियों को हुई:-

1.	27 फरवरी	1960
2.	16 जुलाई	1962
3.	27 दिसम्बर	1962
4.	14 मार्च	1965
5.	27 फरवरी	1966
6.	9 जुलाई	1967
7.	30 नवम्बर	1968
8.	4 अप्रेल	1969
9.	16 जनवरी	1971
10.	3 मार्च	1972
11.	4 फरवरी	1973

कार्यवाही की प्रतियां बैंक के सचिव से प्रेषित करने को कहा गया है। प्राप्त होते ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जावेगी।

(4) विगत 15 वर्षों में संचालक मण्डल के हुए चुनावों में निर्वाचित संचालकों की सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है उक्त संचालक जिन सहकारी संस्थाओं के सदस्य व पदाधिकारी रहे हैं इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

5. ऐसा कोई अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान नहीं है कि एक व्यक्ति अनेक सहकारी संस्थाओं का लगातार सदस्य न रह सके।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

चित्तौडगढ़ जिले में कन्ट्रोल रेट के कपड़े की दुकानें

422. **श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़)**: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कन्ट्रोल रेट के कपड़े की दुकानें किन किन स्थानों पर खुली हैं ?

(2) क्या ये सभी दुकानें नगरीय क्षेत्रों में हैं ? यदि हां, तो क्या ग्रामीण जनता के लिये भी कपड़ा खरीदने के लिये दुकानें निकट भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में खोली जायेंगी ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कन्ट्रोल कपड़े की दुकानें निम्न स्थानों पर खोली हैं :–

1.	चित्तौड़गढ़ सह.उप.हो. सेल भण्डार	क्षेत्र	चित्तौड़गढ़ तहसील व नगर
2.	गंगरार वृहत कृषि ऋणदात्री समिति	,,	गंगरार ,,
3.	क्रय विक्रय स.स. चित्तौड़गढ़	,,	बेंगू पंचायत समिति

(सहकारिता मंत्री)

4. श्री किशनलाल गुप्ता, क्षेत्र भैंसरोडगढ़ रावतभाटा तहसील व नगर

5. निम्बाहेड़ा क्रय विक्रय ,, निम्बाहेड़ा ,, सहकारी समिति

6. ,, ,, ब्रान्च ,, छोटी सादड़ी छोटी सादड़ी व नगर

7. ,, ,, ब्रान्च सादड़ी ,, बड़ी सादड़ी ,,

8. ,, ,, ब्रान्च भदेसर ,, भदेसर ,,

9. ,, ,, ब्रान्च डूगला ,, डूगला ,,

10. विकास कोप. ,, कपासन पंचायत मार्के. सो. कपासन, समिति व नगर

11. ,, ब्रांच खूमी ,, खूमी तहसील

12. कृषि सुधारक ग्राम ,, भूपालसागर सेवा स.स. भूपालसागर पंचायत समिति

13. महालक्ष्मी क्रय प्रतापगढ़ पं. सं. विक्रय स. प्रतापगढ़

14. ,, ,, ब्रान्च अरनोद ,, अरनोद पं. स.

(2) जी यह सही है ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी दुकानें खोली जा चुकी है।

बूंदी जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियां

423. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बूंदी जिले में कितनी क्रय विक्रय सहकारी समितियां इस समय कहां-कहां कार्य कर रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा खाद वितरण का कार्य चालू वर्ष में किया गया है ? यदि हां, तो 1972-73 के वर्ष में कितना खाद का कोटा दिया गया और उसमें से कहां-कहां किस-किस अनुपात से वितरण किया गया ? आंकड़े सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में इस जिले में खाद की भारी समस्या कृषकों के सामने आई थी और समय पर उनको खाद नहीं मिल सका था ? यदि हां, तो क्यों तथा इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) बूंदी जिले में एक क्रय विक्रय सहकारी समिति है जिसका मुख्यावास बूंदी है।

(2) जी हां। वर्ष 72-73 में जो खाद का कोटा दिया गया और उसमें से कहां-कहां किस-किस अनुपात में दिया उसकी सूचना संलग्न है।

(3) जी हां। लेकिन बाद में ज्यों-ज्यों खाद समिति को प्राप्त हुई क्षेत्र के कृषकों की मांग को पूरा किया गया है एवं चालू मांग को पूरा करने के लिए समिति के पास उचित मात्रा में खाद का स्टाक उपलब्ध है।

(कृपया परिशिष्ट 17 देखिये)

जालोर जिले के ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय

424. श्री **भगराज चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या आयुर्वेदिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले के ग्राम मुडथला सीली, थूर बासड़ाधनजी, डोरडा, पावली, राजीकावास, कलापुरा रानीवाड़ा खुर्द, धानोल आदि काफी बड़ी बड़ी आबादी के गांव एवं ग्राम पंचायतों के केन्द्र हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार चिकित्सा की सुविधा हेतु उपरोक्त ग्रामों में आयुर्वेद के औषधालय शीघ्र खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में औषधालय खोलने का प्रावधान नहीं है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि—

(1) सर्व श्री मोहम्मद गफ्फार अली, गिरधारीलाल भार्गव, भानुकुमार शास्त्री व अजीतसिंह, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी संघ की राजस्थान राजकीय मुद्रणालय की प्रान्तीय शाखा द्वारा राज्य व्यापी अनिश्चित काल की हड़ताल की घोषणा के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

(2) सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव, अजीतसिंह और भानुकुमार शास्त्री सदस्य विधान सभा ने आज रात से लघु उद्योग और घरेलू बिजली की खपत पर विद्युत मण्डल द्वारा कटौती किए जाने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव, अजीतसिंह और भानुकुमार शास्त्री, सदस्य विधान सभा ने केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री अन्ना साहब शिन्दे द्वारा लोक सभा में दिए गए इस वक्तव्य के सम्बन्ध में कि राजस्थान सरकार ने सूखा राहत के लिए दी गई राशियों को अनुत्पादक योजनाओं पर खर्च किया है, एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव, अजीतसिंह और भानुकुमार शास्त्री, सदस्य, विधान सभा ने जयपुर में मिट्टी के तेल के अभाव के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(5) दिनांक 16 मार्च, 1973 को श्री योगेन्द्र नाथ हांडा, सदस्य विधान सभा ने दैनिक गंगानगर पत्र के संपादक को जान से मार डालने की धमकी भरे पत्र प्राप्त होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की

(श्री अध्यक्ष)

सूचना दी थी। इसी प्रकार दिनांक 23 मार्च, 1973 को श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने कतिपय मार्क्सवादी नेताओं की जान से मार डालने की धमकी वाले एक पत्र की प्राप्ति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि इन दोनों विषयों पर सदन में गृहमंत्री महोदय 2 अप्रेल, 1973 को एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(6) दिनांक 12 व 13 मार्च, 1973 को सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री, गुमानमल लोढ़ा और गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने झाडोल तहसील में सिंचाई अधिकारियों द्वारा गेहूं के खेतों को पानी न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में गत दिनांक 11 मार्च, 1973 को राजनैतिक कार्यकर्ताओं को हथकड़ियां डालकर घुमाए जाने के सम्बन्ध में 2 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी थी। मैं चाहूंगा कि इन प्रस्तावों पर माननीय गृह मंत्री आगामी 30 मार्च 1973 को सदन में एक वक्तव्य देने की कृपा करें। मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(7) श्री निरंजननाथ आचार्य, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 12 मार्च, 1973 को विद्युत मंडल के 35 अभियन्ताओं को व्यास परियोजना में प्रतिनियुक्ति करने की स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस विषय में सदन में विद्युत मण्डल के बजट पर होने वाली बहस के समय चर्चा की जा सकती है अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(8) श्री मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने जस्टिस बाफना कमेटी के प्रतिवेदन के अनुसार दौसा में सीनियर सिविल एण्ड एडीशनल सैशन जज की अदालत की स्थापना न करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। यह मामला लगभग 14 वर्ष पूर्व की एक रिपोर्ट पर आधारित है और अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जयपुर में मिट्टी के तेल के वितरण की व्यवस्था के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : इसमें जानकारी चाही गई है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : दो मिनिट ही निवेदन करना चाहता हूं। यह व्यवस्था ठीक नहीं है। जौहरी बाजार या कहीं पर भी जायं बहुत लम्बी कतारें वहां पर लगी हुई हैं और जो गलियों में खुदरे व्यापारी हैं उनको तेल नहीं दिया जा रहा है। परसों वाइस गोदाम पर जो लोग मिट्टी का तेल लेने के लिये गए थे वहां उन पर पुलिस के द्वारा लाठी प्रहार किया गया है। इसीलिए यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह बहुत ही गंभीर प्रश्न है। बिजली के होते हुए भी मिट्टी का तेल स्टोव जलाने के काम में आता है। कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग अपने दीपक इसी से जलाते हैं। इसलिये यह गंभीर प्रश्न है। खाद्य मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में तुरंत व्यवस्था करनी चाहिये और सदन के अन्दर एक स्टेटमेंट इस बारे में देना चाहिये।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री शिन्दे का परसों अखबारों में यह वक्तव्य निकला है कि राजस्थान सरकार अकाल राहत कार्यों में जो कार्य कर रही है वे अधिकतर अनुत्पादक योजनाएं हैं और इन कार्यों में लगभग 70 प्रतिशत कार्य सडकों के हैं...

श्री अध्यक्ष : You don't differentiate between adjourndment motions in which information has been called for and those which have been rejected You treat both at the same level.

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक मिनिट उन्होंने यह भी कहा है कि जो सडकें बनाई जा रही हैं वे ऐसी बनायी जा रही हैं कि इस साल सड़क बनेगी और अगले साल वह साफ हो जायगी, गायब हो जाएगी। भारत सरकार के एक मंत्री ने यह कहा है कि राजस्थान राज्य इस प्रकार अनुत्पादक कार्यों पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य कर रहा है कि जिससे भविष्य में राहत नहीं मिलेगी। यह एक गंभीर प्रश्न है और राजस्थान को राज्य सरकार पर केन्द्रीय सरकार ने आरोप लगाया है। इसलिए अकाल राहत मंत्री जी इस सम्बन्ध में इस सदन में एक स्टेटमेन्ट देने की कृपा करें।

तीसरा निवेदन यह है कि आज रात्रि से बिजली में कटौती की जा रही है। पहले जो कटौती की गई थी वह बड़े बड़े कारखानों में की गई थी। परन्तु आज की रात्रि से, 26 तारीख की रात्रि से, लघु उद्योगों को भी बिजली की सप्लाई कम कर दी जाएगी। कुटीर उद्योगों को इससे बहुत नुकसान होगा। घरों में भी बिजली की कटौती की जा रही है और इससे असुविधा होगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भी बिजली मंत्री सदन में एक वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर के गवर्नमेन्ट प्रेस के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर रखी है। इनके द्वारा स्ट्राइक कर देने के कारण विधान सभा के ये जो लाल, गुलाबी और सफेद पन्ने वहां से छप कर आते हैं, वे नहीं आ सकेंगे। यह सब गवर्नमेन्ट प्रेस में ही छपते हैं। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और अलवर में भी स्ट्राइक चल रही है और जोधपुर के कर्मचारी कलक्टर को ज्ञापन देने के लिए गये थे और वहां से वापिस आए परन्तु अधीक्षक ने उनको काम पर लेने से इन्कार कर दिया। इससे दूसरे कर्मचारियों में भी असन्तोष व्याप्त हो गया है। राजस्थान में जितने भी गवर्नमेन्ट प्रेस हैं वहां के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर रखी है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्ट्राइक कर देने के कारण, बजट का जो नोटिफिकेशन होता है, असेम्बली की जो कार्यवाही छपती है, इन सब पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए मैं संबंधित मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कर्मचारियों ने जो 14 मांगें प्रस्तुत की हैं, उन पर विचार किया जाए। आज हालत यह है कि गवर्नमेन्ट प्रेस में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। कैदखाने जैसी व्यवस्था है। आशा है इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय अपना स्टेटमेन्ट सदन में देंगे।

Page No 43

श्री केशरीमल (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना यह है, यद्यपि मेरा एडजोर्नमेन्ट मोशन नहीं था, किन्तु मैं थोड़ासा जिक्र यह करना चाहता हूं कि यह मुद्रणालयों की स्ट्राइक चल रही है इसके लिए आपने सूचना चाही है।

श्री अध्यक्ष : बोल चुके हैं।

श्री केशरीमल : इसमें समय अधिक लम्बा हो जायगा। आप मंत्री महोदय से कहें कि वह उनसे बात करें ताकि जल्दी ही मामला निपट जाय और स्ट्राइक को लम्बा होने की स्थिति में न डालें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : पहले चार तारीख से हड़ताल होने वाली थी अब 23 तारीख से वह हो गई है आम हड़ताल और आपने जो आश्वासन दिया था कि उनके प्रमोशन के बारे में रूल्स वगैरह बनायेंगे और उसका मेमोरेण्डम बनाकर केबिनेट में पेश कर दिया है तो उसको आज ही बैठकर तय कर दें।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : बहुत पुरानी बात है।

श्री मूलचन्द सामरिया : वह पहले 14 साल पहले की बात हुई थी और आपके कमीशन द्वारा तय हो गया है, लेकिन अगर यह सरकार उस रिपोर्ट की वाजिब बात को

श्री अध्यक्ष : Please put a question so that a reply may be gi

श्री मूलचंद सामरिया : 14 साल पहले जब वहां की जनता को जो सरकार ने स्थापित किया था आयोग उसकी रिपोर्ट में सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए कहा गया। उसके मुताबिक सरकार कार्यवाही न करे और उस कार्यवाही में 14 साल का विलम्ब हो जाय तो मैं समझता हूं कि यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का विषय होता है इस तरह के प्रश्न का, जिसका कि सम्बन्ध सीधा किसान और गरीब जनता से हो और न्याय से सम्बन्ध हो और बाफना कमेटी ने सेपरेशन आफ दी जुडिशियरी फ्राम दी एक्जीक्यूटिव के लिए उसमें साफ यह बताया था कि कम से कम पर्सेन्ट केसेज और जो अपील वर्क है जयपुर में है वह दौसा क्षेत्र का है इसलिए वहां पर सिविल जज और एडिशनल सेशन्स जज की नियुक्ति की जाय। उस पर सरकार अपना फैसला नहीं देती है तो मैं समझता हूं कि इस तरह के आयोग बैठाने का फायदा ही क्या है जबकि उसकी सिफारिशों के मुताबिक काम न करें तो इससे ज्यादा निकम्मेपन की और क्या बात हो सकती है। अगर यह सरकार समझे कि चाहे वाजिब मामले हों, उनको भी जन-आन्दोलन के द्वारा ही तय करे तो मैं समझता हूं यह जानबूझकर जन-आन्दोलन पैदा करने वाले और उसके जन्मदाता होंगे। यह वाजिब मांग है इसको अविलम्ब पूरा किया जाय और आपके ही बैठाये हुए कमीशन की यह रिपोर्ट है।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम बाना, तहसील श्री डूंगरपुर

Page No 44

(श्री लूणाराम)

जिला चूरू में वर्षा से एकत्रित पानी की निकासी की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री डूंगरगढ़ कस्बे में वर्षा से एकत्रित पानी की निकासी की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चार याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम विग्गा, जिला चूरू स्थित जो माध्यमिक शाला में वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों को खुलवाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1972-73 के विवरण का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों के विवरण का उपस्थापन।

श्री चंदनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें 1972-73 के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

विधायी कार्य

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 का पुरःस्थापन

श्री मूलचन्द (राज्य मंत्री, खादी एवं ग्रामोद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा दी गई।

श्री मूलचन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापन हुआ।

राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1973 का पुरःस्थापन

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1973, को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरीय भूमिकर (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

राजस्थान यात्री तथा माल करारोपण संशोधन विधेयक, 1973 का पुरःस्थापन

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान यात्री तथा माल करारोपण (संशोधन) विधेयक, 1973 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

मंत्रीजी का वक्तव्य।

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, इसमें फैक्ट्स संकलित किये जा रहे हैं अतएव माननीय मंत्रीजी साढ़े तीन बजे इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री अध्यक्ष : It is not desirable every time. You have done it already and you are again doing it today. So you should give it today at 3 30. There will be no change.

अनुदान की मांगों पर विचार

मांग संख्या 25 व 13 का प्रस्तुतीकरण

श्री ओंकारलाल चौहान (मंत्री; समाज कल्याण) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 25, शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के संबंध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,94,41,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,30,79,000 रु. तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : मांग प्रस्तुत हुई।

मांग सं. 25 व 13 पर प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर)

1. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक

Page No 46

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नैतिक आधार पर अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 13 मुख्य-शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दिल्ली में राजस्थान भवन की दुर्दशा पर चर्चा के लिए)।

3, मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संचालक, स्थानीय निकाय द्वारा नगर परिषदों को दिये गये निर्देशों को पालना न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संचालक, स्थानीय निकाय में समय पर निर्माण कार्यों की स्वीकृति न दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय बीमा-विभाग के कर्मचारियों की उचित मांगों को राज्य सरकार द्वारा न मानने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद्य आयुक्त के मुख्यालय में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज. गैरेज में राज्य वाहनों का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन की अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान के डाक बंगलों में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

10. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामाजिक उत्थान नहीं हो रहा है, इस पर चर्चा के लिये)।

11. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डेयरी संयंत्र उपकरण इत्यादि के क्रय में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

12. श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100

Page No 47

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दिया जाय (समाज कल्याण संस्थाओं के पूजित अधिकारों को कम करने पर चर्चा के लिये)।

13. श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर): मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की कार्य शिथिलता पर चर्चा के लिये)।

14. श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण कार्यों में होने वाली गड़बड़ियों पर चर्चा के लिये)।

15. श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में सामाजिक विकास नहीं हो पा रहा है इस संबंध में चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में समाज कल्याण विभाग की गतिविधियों की अपर्याप्तता पर चर्चा के लिये)।

17. श्री दीपंकर (लाडनू): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

18. श्री नाथूराम (बागीडोरा): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित व्यक्तियों के लिए स्पेशल शेल चालू रखने के बारे में चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, उदयपुर में हो रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदिवासियों को बेरोजगारी भत्ता देने में विभाग की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 25, मुख्य-शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय-संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बांसवाड़ा जिले में डेयरी फार्म खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

22. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित

Page No 48

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जल समस्या के निवारण हेतु कुओं के बनाने के लिये जो दो हजार रुपया की राशि का प्रावधान रखा हुआ है उक्त राशि को रेगिस्तानी क्षेत्रों में बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये करने पर बल दिया जाना इस पर चर्चा के लिये)।

23. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जातियों के राजकीय एवं प्राईवेट होस्टलों में विद्यार्थियों के लिये खुराक, ड्रेस, बिस्तर, खेलकूद का सामान आदि के लिये राशि का सन् 73-74 में प्रावधान रखा है वह आज की मंहगाई देखते हुए कम पड़ता है इस पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन जातियों को जो राजकीय सर्विस में 28% के रिजर्वेशन का प्रावधान रखा हुआ है एवं रोस्टर प्रणाली निर्धारित की हुई है उसका नियुक्ति अधिकारियों (Appointing Authority) द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है और न उनके ऊपर उक्त प्रणाली के क्रियान्वन के लिये कोई सुपरवाईजिंग एण्ड कन्ट्रोलिंग आथोरिटी है और न उनकी गलतियों के लिये उन्हें दंडित किया जाता है, जिस पर चर्चा के लिये)।

25. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों को जो–

(1) राज्य सरकार द्वारा पेन्शन दी जाती है उसमें जो प्रक्रिया (Procedure) अपनाई जाती है उसे नियमों में परिवर्तन कर सरलीकरण करने के बारे में जोर

(2) पिछले छः माह से वृद्ध एवं अपंग व्यक्तियों को पेन्शन न मिलने के कारण उनमें असंतोष पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जन-जातियों के अधिकारों की रक्षा के लिये राज्य सरकार द्वारा कानूनी पैरवी के लिये जो राशि विभिन्न जिलों में निर्धारित की गई है वह बहुत ही अल्प है जिसे अधिक बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में डेयरी विकास तथा दुग्ध वितरण योजना की राज्य सरकार द्वारा योजना बनाने के उपरांत भी उसके लिये सन् 1973-74 के बजट में प्रावधान न रखने के कारण एवं इस विषय में उपेक्षा की नीति अपनाने के कारण के विषय पर चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मैला ढोने की कुप्रथा को बंद

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

करने के लिये राज्य सरकार के प्रयास विफल रहे हैं जिस पर चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन जाति के विद्यार्थियों के लिये विभिन्न जिलों में छात्र वृत्तियों की राशि का प्रावधान किया जा रहा है जो अल्प है जिसे बढ़ाने पर बल एवं छात्रवृत्तियों का वितरण भी समय पर नहीं दिये जाने के कारण असंतोष पर चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नागरिक रसद विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय बचत संगठन के प्रति जनता की रुचि बढ़ाने पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 28–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजकीय प्रवास भवन में सफाई, रेफ्रीजिरेटर की माकूल व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिये)।

33. श्री रावतराम आर्य (छापर) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलती है इसके बारे में चर्चा के लिये)।

34. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए नये छात्रावास खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में अनुसूचित जाति की कन्याओं के लिए छात्रावास खोलने के बारे में चर्चा के लिये)।

36. श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सामाजिक संस्थाओं को सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग न देने पर चर्चा के लिये)।

37. श्री गोकुलचन्द (कठूमर) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अलवर में अभी तक हरिजनों के लिए छात्रावास भवन न बनाये जाने पर चर्चा के लिए)।

38. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 50

(श्री गोकुलचन्द)
दिया जाय (अनुसूचित जातियों के छात्रों को अलवर जिले में अभी तक छात्रवृत्ति की रकम न मिलने पर चर्चा के लिए)।

39. श्री मोहर सिंह (चूरू) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू जिले में डेयरी योजना तथा शीत यंत्र लगाने में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

40. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार चूरू में डाक बंगला स्थापित करने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये)।

41. श्री शंकरलाल (पाली) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में डेयरी योजना को प्रोत्साहन देने हेतु चर्चा के लिये)।

42. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर डेयरी के कार्य की धीमी प्रगति पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर की डेयरी का कार्य तत्काल शुरू करने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तापासर पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने में विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

45. श्री जयनारायण (लसाड़िया) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की कार्यशिथिलता पर चर्चा के लिये)।

47. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्धे, बहरे और लूले लंगड़ों को हर सम्भव सहायता नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व जन जाति में युवा वर्ग की सही भावनाओं को समझकर उनकी हर स्थिति में सहायता की जावे ताकि युवा वर्ग देश की रक्षा करने में अग्रसर हो सके इस विषय में चर्चा के लिये)।

Page No 51

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

49. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में महिला समाज का संगठन पूर्वरूपेण होना चाहिये इस विषय में चर्चा के लिए)।

50. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू में व फागी तहसीलों में अनुसूचित जातियों व जन जातियों के उत्थान के अभाव पर चर्चा के लिये)।

51. श्री देवीलाल (सराड़ा) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा में पोषाहार क्रैश प्रोग्राम स्वीकृत कर चालू करने बाबत चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा को अनुसूचित जन जातियों के कल्याण हेतु प्राथमिक कन्या शालाएं बुनियादी पाठशालायें खोलने पर चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को पशुओं के क्रय हेतु सहायता देने हेतु चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति सराड़ा के जन जाति क्षेत्रों के विकास के कार्यों हेतु सहायता दिलाने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों व पंचायतों के आबादी हल्के में रहने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों को गृह निर्माण के लिये मुफ्त भूमि दिलाने पर चर्चा के लिये)।

56. श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गैर सरकारी सर्वेक्षण को समुचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया इस पर चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वेश्यावृत्ति के उन्मूलन में समाज कल्याण विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निकायों

Page No 52

(श्री गोपाल जोशी)
के संचालक कार्यालय में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

59. श्री झावरमल (फतेहपुर): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की हरिजन बस्तियों में विद्युत् एवं जल की उचित व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

60. श्री विजयसिंह (मांडल) मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिछड़े वर्गों के बेरोजगार स्नातकों को वृत्तियां देने में पक्षपात के कारणों पर चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प बचत विभाग द्वारा डाक दरों में बोगस खाते खुलवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

62. श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा नगरपालिका को विशेष अनुदान खास कर भंगी कष्ट निवारण योजना पर चर्चा के लिये)।

63. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचौर): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में डेयरी तथा दुग्ध वितरण योजनाओं के विकास के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

64. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला जालोर में अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कल्याण की योजनाओं के बारे में सरकार की उदासीनता की चर्चा के लिये)।

65. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों एवं जिला परिषद् सेवा आयोग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26-विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प बचत विभाग प्रमाण-पत्र की देय रकम के देने में कठिनाइयों को हल करने में असफल रहा इस पर चर्चा के लिये)।

67. श्री माणकचन्द सोगानी (अजमेर): मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39—सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उत्थान के प्रति राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

68. मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक 26—विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से

(श्री माणकचन्द सोगानी)
100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला परिषद सर्विस कमीशन के कार्यों में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

69. श्री मनोहरलाल (कामा) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परिवीक्षा अधिकारियों द्वारा खतरनाक व कठोर अपराधियों को सजा में रियायतें दिलवाकर अपराध को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकार की अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दशा सुधारने में असफल रहने पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग की अनुसूचित जनजातियों व अनुसूचित जातियों के सदस्यों को नियमानुसार राजकीय सेवाओं में चयन कराने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान विमुक्त जाति सेवक संघ की सहायता रोकने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पहाड़ी व गुरहरा में अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों के वाडों में नल व बिजली लगवाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर में भरतपुर जिले में डेयरी विकास व दुग्ध वितरण पर अपर्याप्त धनराशि आवंटित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (समाज कल्याण विभाग निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छुआछूत मिटाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

(श्री मनोहरलाल)

78. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय [छप्परहीन (आवासीय भूखण्डहीन) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़ी जातियों के व्यक्तियों को आवासीय भूखण्ड निःशुल्क प्रदान कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।

79. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जातियों के छात्रावासों की हालत बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भरतपुर जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारियों की सुरक्षा निधि खाते का हिसाब बीमा विभाग द्वारा सही न रखने पर चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कामा में पुरानी मस्जिद के सहारे मस्जिद व मस्जिद के स्कूल के लिए नगरपालिका कामा से देवस्थान विभाग की निःशुल्क भूमि दिलाने में असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा आयोग द्वारा कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची व स्थायीकरण सम्बन्धी कार्यवाही नियमानुसार करने में असफल रहने की स्थिति पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (एक पंचायत क्षेत्र में या तीन हजार की जनसंख्या पर चीनी व अन्य राशन पदार्थों की बिक्री हेतु दो दो डीलरों को नियुक्त करने में खाद्य विभाग की असमर्थता पर चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के चुनाव प्रत्यक्ष कराने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

85. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिका कर्मचारियों की सेवायें सुरक्षित कराने में स्वायत्त निकाय विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उचित सहायता न देने नगरपालिका कामा व डीग की आर्थिक स्थिति बिगड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

Page No 55

87. श्री बनवारीलाल (निवाई) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति के लोगों से छुआछूत किये जाने को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्तियों को राशि पर्याप्त नहीं रखी जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

89. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रत्याशियों को राजकीय नौकरियों में निश्चित कोटे के अनुसार भर्ती कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

90. (1) श्रीमती जमुना सोलंकी (केकड़ी)

(2) श्री सुन्दरलाल (सूरतगढ़) : मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान प्रान्त में समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाये जाने वाले राजकीय एवं विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावासों की दुर्व्यवस्था पर विचार करने पर चर्चा के लिये)।

91. मांग संख्या 25, मुख्य शीर्षक 39–विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोस्टर प्रणाली के क्रियान्वयन करने में राज्य सरकार द्वारा उदासीनता की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

92. श्री सांवरमल मोर (श्रीमाधोपुर) : मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तोल तथा माप निरीक्षकों द्वारा उचित देखरेख न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निकासों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने में संचालक द्वारा उचित कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये)।

94. (1) श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी)

(2) श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 1 0 रुपया कम कर दिया जाय (स्वायत्त शासन विभाग के उप संचालकों में दक्षता की कमी पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्वायत्त शासन विभाग के उप संचालक के पदों को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

96. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (स्थानीय निकाय के संचालक कार्यालय से नगरपालिकाओं के विभिन्न पदों को सृजन करने की स्वीकृति देने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (संचालक कार्यालय से समय पर नगरपालिकाओं को देय राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये)।

98. मांग संख्या 13, मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं के बजट पर समय पर स्वीकृति नहीं देने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 25 व 13 पर विचार

श्री अध्यक्ष : वैसे आपको जानकारी होगी कि आज साढ़े चार बजे मुख बन्द लगेगा अतएव उसी हिसाब से अपने भाषणों को नियमित करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्षजी, मेरे कटौती प्रस्ताव नैतिक आधार पर अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज नैतिकता के आधार वाली बात तो दूर रही लेकिन जयपुर शहर में जो शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं विशेष तौर से रामगंज स्कूल तो एक बूचड़खाने में चल रहा है। एक और बूचड़खाना है। और बकरे जहां पर कटते हैं वहां पर स्कूल चल रहा है।

इसी प्रकार से यहां पर जो समाज कल्याण वाली आज मांग है उस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो वृद्ध लोग हैं उनको जो पेन्शन देने के नियम हैं जिनके बारे में माननीय मंत्रीजी ने यहां पर यह आश्वासन भी दिया था, उसके बारे में निवेदन करूंगा कि उनको किस प्रकार से हास्पिटल में जाकर अपने एज का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, एम.एल.एज. के पास जाना और उनसे गरीबी का प्रमाण-पत्र लेना पड़ता है और फोटो एटेस्टेशन कराने में काफी कठिनाई होती है। उन सारी पद्धतियों के लिए सरलीकरण करने की प्रार्थना करूंगा।

फिर इसी प्रकार से यहां पर कई पोषाहार केन्द्र चल रहे हैं उन पोषाहार केन्द्रों से जितना लाभ होना चाहिए वह उन पोषाहार केन्द्रों से लाभ नहीं हो रहा है, और कई लोगों ने पोषाहार केन्द्रों को भी अपने लाभ का जरिया बना लिया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनकी जांच करायें। राजस्थान में पिछले दिनों हरिजनों पर कई स्थानों पर अत्याचार हुए हैं। थानों में उनको पीटा गया है, नलों पर हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया गया है। यह अत्याचार के समाचार राजस्थान के विभिन्न कोनों से आपको सुनने को मिले होंगे। यह दुखदाई है कि राजस्थान में हरिजनों का सामाजिक ध्यान नहीं रखा जाय, उनकी उन्नति न हो और राजनीति में भी इनके साथ अन्याय हुआ है। इन हरिजनों के साथ होने वाले अन्याय को रोका जाना चाहिए।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

आज राजस्थान में सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं हुई जब कि आपने घोषणा की थी कि वह शीघ्र ही दूर हो जायेगी। समाज कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट को मुझको पढ़ने का मौका मिला है। उसमें आपने ब्यावर और अजमेर का हवाला दिया है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर परिषद् में 15 अगस्त से सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त हो जाएगी आपने इस प्रकार की घोषणा की थी, लेकिन आज भी वह प्रथा जारी है। राज्य सरकार ने 60-61 में 40 हजार रुपया हाथ-गाड़ियों के लिए भी दिये थे जिसमें तीन तीन बाल्टियां रखी जा सकती थीं। वह 40 हजार मैला गाड़ियां जयपुर नगर परिषद् के पुराने स्टोर्स में पड़ी हुई हैं। वहां पर, उन पर जंग चढ़ गया है और उनके पहिए नहीं चल सकते हैं और उनकी बाल्टियों में पक्षियों के घोंसले बने हुए हैं। वह 40 हजार बिल्कुल निरर्थक जा रही हैं। उन गाड़ियों का उपयोग आप परिवार नियोजन में कर लें ताकि उनमें तीन तीन बाल्टियां होती हैं वे तीन तीन बच्चे उठाने के वह काम आ जायेगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज जयपुर शहर में सिर पर मैला ढोने की प्रथा समाप्त नहीं हो सकी है। आपका पैसा पड़ा हुआ है। आपने स्वयं ने स्टेटमेंट दिया था, 7 फरवरी को आपने कहा था कि नगर परिषद् को जो सहायता दी गई है उसका लाभ नहीं उठा सके हैं। जयपुर नगर परिषद् को चार लाख रुपये आपने दिये उनमें से आज लगभग 3 लाख रुपये यों के यों ही पड़े हुए हैं। चार टैम्पो खरीदे हैं उनमें से तीन बेकार पड़े हुए हैं और एक टैम्पो चल रहा है। चार लाख में से तीन लाख रुपये आज भी जयपुर नगर परिषद् के पास यों के यों ही पड़े हुए हैं।

आज जयपुर शहर में 3 लाख रुपये उन लोगों को देने के लिए कहा है, घोषणा की है कि जो गटर के तहारत बनायेंगे। आप 300 रुपये उनको देंगे जो कि इनकम टैक्स नहीं देते हैं। आज तीन लाख में से 2 लाख और कुछ हजार रुपये नगर परिषद् के पास यों के यों ही पड़े हुए हैं। लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपने गटर लाईन डालने के लिए कच्ची बस्तियों में उसके लिए पैसा दिया था ताकि जो कच्चे तहारत बने हुए हैं वे फ्लश में कन्वर्ट हो जायं। वह भी पैसा यों का यों ही पड़ा हुआ है।

तो मेरा कहना है, जयपुर नगर परिषद् को 40 हजार की पहले गाड़ियां दी हैं, वह जंग लगी हुई पड़ी हैं। खराब हो गई है। कोड़ियों में बिक नहीं सकती हैं। उनको बेचें तो 5-6 हजार मिलेगा। थोड़े दिनों के बाद उनके दो हजार मिलने वाले हैं। आपने हरिजनों की बस्ती बनाने के लिए 9 लाख रुपया यू.आई.टी. को दिया था। वहां आज तक मकान नहीं बने हैं। 80 हजार राजामल के तालाब के पास नले पास जो हरिजन बस्ती है, उसके बनाने के लिए दिये थे। उस नले के एक ओर कंवर नगर है। दूसरी ओर हरिजन बस्ती है। बीच में नाला जाता है। जो कि तोपखाना, पन्नीगरों के नाले में होता हुआ हरिजनों की बस्ती के बीच से होकर नाला निकलता है। आप हरिजनों की बहुत बात करते हैं। वहां पर जायेंगे तो ऊंची-ऊंची बात करते हैं। हरिजन बस्ती राजामल के तालाब में जायेंगे तो पता चलेगा।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान सुरक्षित किये हैं। उनको उस अनुपात से स्थान नहीं मिलते हैं। उनको कठोरता से स्थान मिलने चाहिए। उनका मुख्य धन्धा कुटीर उद्योग है। कई लोग जनजातियों के वनों से लकड़ी काट कर लाते हैं। लेकिन वनों की ठेकेदारी समाप्त हो गई है। जो मुख्य धन्धा वनों से लकड़ी काट कर लाने का था, उसके अभाव में अब वह भूखों मरते हैं। चाकसू के आस पास किसी नगर परिषद का अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है। मगर उस पर स्टे लगा दिया गया है। डायरेक्टर लोकल बाडीज की परिभाषा कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ नियम के आधार पर बना हुआ है। आज डायरेक्टर लोकल बाडीज में कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उनके विभाग ने यहां फिल्म कालोनी में इन्स्टीट्यूशन खोल रखा है। वहां के लोग आते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। वहां के लोगों के द्वारा प्रकाशन किये गये है। स्टेशनरी खरीदने के लिए फार्म खरीदने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है कि उनकी दूकान से खरीदें। उन्होंने स्टेशनरी की दूकानें खोल रखी हैं। यह जो इन्स्टीट्यूट है, उसकी कोई जांच नहीं की गई है। डायरेक्टर लोकल बाडीज ने सीनियारिटी की कोई लिस्ट नहीं बनाई है। राजस्थान लोकल बाडीज ने सीनियारिटी की लिस्ट नहीं बनाई है। इसके कारण किसी का भी ट्रांसफर छोटी नगर परिषद् में कर दिया जाता है। किसी का ट्रांसफर बड़ी में कर दिया जाता है। हमारे पास नाम मौजूद हैं। लोगों के जो बकाया पैसे हैं, लोगों को नौकरी करते समय वेतन में जो संशोधन किया जाना चाहिए था, उनको नौकरी करते समय लोगों के वेतन में संशोधन किया नहीं गया। रिटायर हो जाने के बाद, 70-71 में रिटायर होने के बाद कई अधिकारियों की उनकी पे रिवाइज की गई। कई लोगों को अलाउन्स दिया गया फूड इन्सपेक्टर की पे रिवाइज की गई। उनको 50 हजार रुपया दिया जा रहा है! जो वहां के क्लर्क हैं, उनको भी वहां अफसर बना दिया गया जिसके ऊपर कई केसेज हों उनको वहां पर फायर आफीसर बनाया जाता है। दो दो ट्रक वहां पर जल गये हैं। किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है।

(11.53 म.प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जयपुर फायर ब्रिगेड में एक भी ट्रक ठीक नहीं है, एक ट्रक ठीक है, जिसका हुस्नबानो नाम है। कहीं भेजो तो वहां जाते जाते उसका पानी समाप्त हो जायेगा। 110 कच्ची बस्तियां हैं। फायर गाड़ियां ठीक नहीं हैं। ट्रक पहले जल गये हैं। डेढ़ महीना पहले, उपाध्यक्ष महोदय, एक ट्रक में आग लग गई। वह ट्रक फायर स्टेशन के सामने आया। उन्होंने कहा कि हुक्म नहीं है, इन्दिरा गांधी का हुकम नहीं है। हुक्म लाओ तभी आग बुझेगी। ट्रक की आग नहीं बुझाई। दो ट्रक, एक का मुंह दक्षिण की तरफ एक का उत्तर की तरफ। उसका फोटो भी हमारे पास है। इतनी कच्ची बस्तियां हैं। अगर आग लग जाये तो आज पानी भी लाना पड़ेगा तो फायर स्टेशन से लाना पड़ेगा। बाइस गोदाम बहुत दूर है। आग

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लगेगी तो घाट दरवाजे से पानी लाना पड़ेगा। आज अयोग्य अधिकारी वहां बैठाये गये हैं। गटर में पानी नहीं है। मोदीखाना चौकड़ी में गटर लाइन भर गई थी। नलों में पानी नहीं गटर लाइन का पानी नलों में गया। जो लोकल बॉडीज में अनियमिततायें हैं, उनकी जांच कराने के लिए जांच आयोग बैठाया जाना चाहिए। वहां का कोई व्यक्ति हो, उसी को ठेका दिया जाये। जो भी चीज सप्लाई करेगा, वही व्यक्ति करेगा।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा, उदयपुर में ओवर एज डाक्टर है। उस ओवर एज डाक्टर को नियुक्त किया गया है। राजस्थान में 2,000 डाक्टर हैं। लेकिन ओवर एज डाक्टर को नियुक्त किया गया है। 40 हजार का पाउडर नगरपालिका के 10 साल के रिकार्ड में नहीं खरीदा गया है। 40 हजार का पाउडर खरीदा गया है। नगरपालिका के लोगों की हाजिरी जहां होती है तोपखाना में वहां उनको मंजूरी दे दी गई है। इसी प्रकार से आप राजामल के तालाब में, जहां आप पार्क बनाना चाहते थे, दूकान बनाना चाहते थे, सवा रुपया गज में जमीन बेचने के लिए अनुमति दे दी है। फायर ब्रिगेड की गाडी खरीदी जायेगी। जिसमें टंकी भी लगी होगी। लेकिन दो हजार में जो खरीदी गई है, उसका चेसिस खड़ा हुआ है। कमल एण्ड कम्पनी में चेसिस बना नहीं है। टंक लगा नहीं है। डायरेक्टर लोकल बाडीज ने समय समय पर आदेश दिये हैं। उनकी पालना करनी चाहिये थी। डायरेक्टर लोकल बॉडीज को चुनी हुई कौंसिल पर आदेश निकालने का कोई अधिकार नहीं था।

डाइरेक्टर लोकल बॉडीज ने कहा, कोई भी व्यक्ति कोईभी कौंसिल जमीन का नीलाम नहीं कर सकती। अगर जमीन का नीलाम करना चाहती है तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। इसी प्रकार से नगर परिषद को किराये पर कोई जमीन देनी हो, कहीं पर कोई, जमीन बेचनी हो, तो बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के दे नहीं सकती, बेच नहीं सकती। इसी प्रकार से नगरपालिका खुली हुई जमीन बेचना चाहती है, कहीं पर प्लाट्स काटना चाहती है तो उसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन राज्य सरकार समय पर अनुमति देती नहीं है, बल्कि विकास के कार्य के लिये टेण्डर, चालीस हजार की स्वीकृति के लिए डाइरेक्टर लोकल बॉडीज को भेजे जाते हैं। चालीस हजार से ऊपर के टेण्डर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए भेजे जाते हैं, वह स्वीकृति समय पर नहीं मिलने के कारण पैसा लेप्स हो जाता है और नगर का विकास कार्य नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से मकान के पास कोई छोटा टुकड़ा पड़ा है, कोई नगर परिषद से वह लेना चाहता है तो वह जमीन का टुकड़ा, स्क्रेप आफ लैंड है या नहीं—इसको तय कौन करेगा। डाइरेक्टर लोकल बॉडीज या नगर नियोजन विभाग—नगर नियोजन विभाग और डाइरेक्टर लोकल बॉडीज के बीच में इस मामले को लेकर झगड़ा है इसलिए वह करेगा नहीं। इस प्रकार एक जमीन के टुकड़े को बेचने का अधिकार भी नगरपालिका को नहीं है। स्क्रेप आफ लैंड के बारे में भी राज्य सरकार तय करेगी।

इसी प्रकार से रेट तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है। पुरानी रेट,

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

उसके बाद नई रेट, नई रेट के बाद नीलाम की रेट नीलाम की रेट के बाद मार्केट रेट। राज्य सरकार ने कहा कि मार्केट रेट के ऊपर नगर परिषद् को जमीन बेचनी चाहिये। नई रेट तय नहीं की इसलिए पुरानी रेट पर जमीन नगर परिषद् ने जमीन बेच दी है। नगर परिषद् ने नई रेट बना कर आज से दस वर्ष के पूर्व राज्य सरकार को भेजी थी, लेकिन अभी तक वहां से यह स्वीकृति करके नहीं भेजी है। मार्केट रेट कौनसी होगी, किस स्थान पर कौनसी रेट होगी-इसके सम्बन्ध में भी राज्य सरकार ने परिपत्र नहीं भेजा है। इस कारण से नगरिपरषद् के अन्दर भयंकर अनियमितता हो रही है। एक सरक्यूलर निकाला है उसके अन्दर यह कहा है कि पांच सौ रुपये तक की जमीन म्युनीसिपैलिटी बेच सकती है आक्शन के आधार पर बेच सकती है। उसके लिए कलेक्टर स्वीकृति दे सकता है। कोई नगर परिषद् एक टुकड़ा भी जमीन का बगैर नीलामी के आधार पर बेच नहीं सकती। उसके पास एक पैसे की जमीन बेचने का भी अधिकार नहीं है। उसके लिये भी कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक है। एक चुनी हुई कौंसिल है, वह एक पैसे की जमीन बेचना चाहे, एक रुपये की जमीन बेचना चाहे, दो रुपये की जमीन बेचना चाहे तो उसके लिए कलेक्टर की स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रकार नगर परिषद पर रोक लगाई गई है। किन सड़कों पर कहां पर थड़ी दी जायेगी या कहां पर किस प्रकार की बात होगी, किस किस्म की जमीन बेची जायेगी या किस किस्म की जमीन नहीं बेची जायेगी-इसके लिए नगर नियोजन विभाग से पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। नगर नियोजन विभाग के पास नगर परिषद् ने तमाम कच्ची बस्तियों में प्लाट देने की योजना बना कर भेजी लेकिन नगर नियोजन विभाग चुप बैठा रहा। उसके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस दे दिया कि जमीन बेच नहीं सकते, किराये पर नहीं दे सकते, फुटपाथ पर जमीन किराये पर दे नहीं सकते। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इन सारे आदेशों को, जो स्वायत्त शासन विभाग ने निकाले हैं, वापिस ले ले, या उन्हें अमली जामा पहनाये कि नगर परिषद् कार्यवाही करेगी तो हम रोकेंगे। आज जयपुर नगर परिषद द्वारा फुट-पाथ पर जमीन बेची जा रही है, परकोटे रोके जा रहे हैं, चूने के भट्टे अच्छी अच्छी बस्तियों में लगाये जा रहे हैं लेकिन स्वायत्त शासन विभाग उनको रोक नहीं सकता है। आडम्बर बनाकर एक तरफ जांच होती रहे लेकिन दूसरी तरफ मकान बनते जा रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा, इस पर रोक लगानी नहीं चाहिये, अपने आदेशों को आप तुरन्त हटा लें और कौंसिल को सक्षम बनायें, कौंसिल को ताकत दें। यह मेरी प्रार्थना है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर रोक लगाये रखना चाहते हैं तो उसका सख्ती से पालन करना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। समाज कल्याण विभाग के डाइरेक्टर हैं श्रीमान् सिंगल साहब, उनके बारे में चर्चा का विषय यहां पर बना हुआ है। संतोष शाह नाम का व्यक्ति है, वह क्वालिफाइड व्यक्ति नहीं है। उनको जिस काम पर लगाया जाना चाहिये उस पर नहीं लगाया गया है,

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

दूसरे काम पर लगाया गया है। इस ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सिंगल साहब ने इस प्रकार के कारनामे किये हैं, किसी अधिकारी की कहां नियुक्ति की है, परिवीक्षा अधिकारी किसको बनाया है, सांस्कृतिक अधिकारी किसको बनाया है। पहले एक दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था गांधी जन्म तिथि पर, अब सात सात दिन होता है और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम पहले होता था उसमें स्कूल के बच्चों को बुलाया जाता था और एक एक पैसा भी खर्च नहीं होता था। आज लाखों रुपये सांस्कृतिक कार्यक्रम के आधार पर खर्च किये जाते हैं। इतना ही नहीं, किस किस आधार पर युवतियों की नियुक्ति की गई है, कौन कौन युवतियां हैं, किन किन वजह से नियुक्ति की गई है, वह महिला कहां कहां मिली ? पहले वृद्ध महिलायें थीं, उनको हटा दिया गया और नई-नई को रखा गया, वह किस वजह से रखा गया ? मैं सदन के अन्दर नाम नहीं लेना चाहता हूं, यह सदन की परम्परा के अनुकूल नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी को वह सूची पेश कर दूंगा। आप देखिये, किस तरह की रंग रंगेली और कारनामे इस समाज कल्याण विभाग में हो रहे हैं। मैं समझता हूं, इस सम्बन्ध में इतना कहना उपयुक्त होगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, घाट गेट पर एक महिला आश्रम चल रहा है। जिसका पति छोड दे, या और प्रकार की किसी को शिकायत हो वह वहां जाकर भर्ती होंगी। लेकिन वहां पर उनकी पढाई की अव्यवस्था है। रात में कहां उन्हें जीप में बैठा कर ले जाया जाता है, किस प्रकार के कारनामे गरीब महिलाओं से कराये जाते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस सारे समाज कल्याण विभाग के लिए आप जांच आयोग विठा दें। मुझे तसल्ली इससे होगी और चालीस पेज का नोट जो बनाया है, समाज कल्याण विभाग में सिंघल साहब और संतोष शाह के कारनामों के आधार पर, जो महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अनैतिक कार्यवाही हो रही है उसके लिए जांच आयोग होगा तो मैं उसके समक्ष प्रतिवेदन रख दूंगा। यह जो आपने घाट दरवाजे पर महिला केन्द्र खोल रखा है उसमें गडबड़ियां हो रही हैं उसके बारे में मैं उसके सामने निवेदन कर सकता हूं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आज यह हालत है कि यह डिपार्टमेंट भली प्रकार से हर कार्य को करने की अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं सकता है।

मैं डेअरी विभाग की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आपने डेअरी खोल रखी है जयपुर में डेअरी को किस आधार पर किस रेट पर दूध बेचना चाहिए यह तय नहीं है। विधान सभा में जो बोतल मिलेगी वह कुछ भाव पर मिलेगी, तोपखाना देश में कुछ और भाव पर मिलेगी, दूसरे किसी स्थान पर किसी और भाव से मिलेगी। हास्पिटल और कई स्थानों पर दूध जाता है उसके लिए माननीय मंत्रीजी ने पिछली बार यह स्वीकार किया है कि दूध के ढोल में मक्खियां पाई जाती हैं अच्छी प्रकार का दूध नहीं जाता। इस प्रकार की शिकायत मुझे प्राप्त हुई है। माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें।

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

आज मैं निवेदन करना चाहूंगा आपने समाज कल्याण विभाग के तहत लड़के लड़कियों के निवासस्थान और पाठशालायें खोलने की व्यवस्था की है। जयपुर में डीफ एण्ड डम्ब स्कूल है उसमें अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसकी व्यवस्था ठीक करेंगे और अन्य स्कूल भी जयपुर में आप खोलें।

आपने रात में ठहरने के लिए स्थान खोले हैं, खोलने की व्यवस्था की है। जयपुर में रैन बसेरा खोलना चाहिए जहां गरीब रिक्शे वाले चले जायं, गरीब तांगे वाले चले जायं वहां पर उनको बिस्तर मिल जाय और वह वहां सो सकें। आलमारी में सामान रख लें। आज यह लोग फुट-पाथ पर सोते हैं। आप भिक्षावृत्ति समाप्त करना चाहते हैं तो आपको फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को रोकना पड़ेगा। जिन लोगों के पास अपना तन ढकने को कपड़ा नहीं है, वह खुले आसमान के नीचे सोते हैं, धरती माता की गोद में सोते हैं। फुटपाथ पर वह लोग सोयें नहीं, इसके लिए आपको रैन बसेरा खोलना चाहिए।

जयपुर में पहले अनाथालय बहुत थे। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यहां पर आज अनाथालयों का अभाव है। फिर आप भिक्षावृत्ति को कैसे रोकना चाहते हैं - हवा-महल की आज मरम्मत हो रही है, सुन्दर हो रहा है, मैंने देखा है कि फकीर वहां बैठे रहते हैं।

नारी के नाका में फकीरों का वास है, स्वामियों का वास है नारायण डूंगरी, जो मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में है, वहाँ पर फकीर बसते हैं। वहां पर आप चले जायं, वहां पर स्वामियों को और फकीरों को काम दे दें। अगर आप भिक्षावृत्ति को रोकना चाहते हैं। यह लोग अपना खून बेचते हैं सवाई मानसिंह हास्पीटल में (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) दो मिनिट। वह खून बेचते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खून बेचने के पच्चीस रुपये लेते हैं। वह खून इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनके पेट की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए आप उनको काम दें। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज राशन कार्ड के सम्बन्ध में इस प्रकार की दशा चल रही है नागरिक रसद विभाग की ओर से आठ रुपये खर्च करने के बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाता है, तीन रुपये का स्टाम्प, दो रुपये का स्टाम्प लेकर दरख्वास्त देते हैं, लेकिन अगर किसी के यहां बच्चा पैदा हो गया है तो उसको म्युनीसिपैलिटी से सर्टिफिकेट लाना होगा और लड़के की शादी हुई है तो बनारस से लिखा कर लाना पड़ेगा। इस प्रकार आठ आठ रुपये खर्च करने के बाद भी राशन कार्ड लोगों को नहीं मिल रहे हैं। रोडवेज की जो हालत है वह आपके सामने है।

बीमा विभाग के कर्मचारी बार बार आन्दोलन करते हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान नहीं देते।

देवस्थान डिपार्टमेंट की भी हालत खराब है और राजस्थान के जो भवन हैं वहां की भी हालत बहुत खराब है, वहां पर

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

लाइट की व्यवस्था नहीं। पिछली बार जब एस्टीमेट कमेटी के साथ मैं गया था तो वहां पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। राजस्थान के डाक बंगलों में भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, वहां न बिजली की व्यवस्था है, न पानी की और न ही वहां पर लॉन अच्छी तरह मेनटेन किया जाता है।

राजकीय प्रवास भवन की तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। आज वहां पर कोई कमरा खाली नहीं है, और जो सीढ़ी हैं वहां पर पहले कालीन या कपड़ा रहता था, अब वह कपड़ा भी गायब हो गया और वहां पर सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उसको आप स्वीकार करेंगे और एक जांच आयोग नियुक्त करेंगे जो इन बातों की जांच करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लूणाराम।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जिन लोगों को हम सहायता देना चाहते हैं उन लोगों तक वह सहायता नहीं पहुंचती और वास्तविक लोग सहायता से वंचित रह जाते हैं। चाहे वह सहायता कृषि से सम्बन्धित हो, चाहे उद्योग से सम्बन्धित हो, किसी भी प्रकार की सहायता हो, आज स्थिति यह है कि वह उन लोगों तक नहीं पहुंचती जिनको मिलनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : आज बहुत संक्षिप्त में ही कहें क्योंकि साढ़े चार बजे गुलेटिन लगने वाला है।

श्री लूणाराम : मैं जल्दी ही खत्म करूंगा।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तविक लोगों तक सहायता पहुंचे, इसके लिये अधिक विस्तार अधिकारियों की जरूरत है। कम से कम हर तहसील या हर पंचायत समिति के अन्दर एक समाज कल्याण विभाग के विस्तार अधिकारी की नियुक्ति की जाये, जो पिछड़े लोगों, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का सर्वे करे और जो वास्तव में सहायता लेने के लायक हैं, उन्हें सहायता दिलावे।

आज यह कहा जाता है कि समाज कल्याण विभाग के अन्दर भी, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये है, उसके अन्दर भी जिन लोगों को हम सहायता देना चाहते हैं उनको नहीं मिलती और जो इन जातियों में सम्पन्न लोग हैं उन्हें ही यह सहायता मिलती है, और जिनको वास्तव में जरूरत है, वह वंचित रह जाते हैं। आज अनुसूचित जाति का किसान है वह सिंचाई का सामान खरीदता है तो उसको किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है।

पीने के पानी के लिये मैं निवेदन करूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में एक कुए पर 50 हजार रुपये लग जाते हैं। वहां पर विभाग के द्वारा एक कुए के लिये केवल 2 हजार रुपये की सहायता सीमा रखी गई है। इसको बढ़ा कर कम से कम 10 हजार कर दिया जाये चाहे वह कुए के लिये हो चाहे कुन्ड के लिये ताकि वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो सके।

(श्री लूणाराम)

आज पश्चिमी राजस्थान के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अपना जीवन निर्वाह कृषि मजदूरी पर करते हैं लेकिन आज उनको औजारों की सहायता नहीं पहुंच पाती है, इसके लिये भी मंत्री महोदय विचार करके सहायता पहुंचायें ।

घुमक्कड़ जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, कुछ तो ऐसे हैं जैसे लोहार, बाकी के कालबेलिया आदि हैं, जिनका न कोई मकान है न कोई स्थान है । ऐसे लोगों के लिये एक जगह मकान बनवा कर उनको बसाया जाये तो अच्छा हो । इनके लिये भूमि अलाट की जाये और इनके लिये रिहायशी मकानों की व्यवस्था करनी चाहिये ।

वृद्ध अवस्था पेन्शन आपने लागू कर रखी है । अन्धे, अपंग और अपाहिज लोगों के लिये भी पेन्शन लागू हो गयी है लेकिन उनके नियम आपने बहुत स्ट्रिक्ट कर रखे हैं । किसी भी अन्धे, अपाहिज और अपंग व्यक्ति का यदि कोई भी रिश्तेदार है, मां, बाप या भाई मौजूद है, तो उसको सहायता नहीं मिलती, जबकि आज हकीकत यह है कि भाई हो चाहे बेटा हो, आज जो अपंग और अपाहिज हैं उसको समाज में कोई मदद नहीं करता, उसको घर में भी स्थान नहीं मिलता, और सरकार भी यदि उनको सहायता नहीं पहुंचायेगी, तो इन लोगों की हालत क्या होगी । इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के वृद्ध अवस्था वालों के लिये सहायता के नियम हैं, उसी प्रकार के नियम अन्धे, अपंग और अपाहिज लोगों के लिये भी होने चाहिये, उनके लिये नियमों का सरलीकरण करना चाहिये ताकि वह लोग सहायता से वंचित नहीं रह जायें । वृद्ध अवस्था पेन्शन के लिये आपने उम्र 65 साल की कर रखी है जो कि बहुत ज्यादा है । जब सरकार स्वयं अपने नौकर को 55 साल के बाद काम का नहीं समझती और उसको रिटायर करा देती है, जब कि सरकारी कर्मचारी को अच्छा खाने पीने को मिल जाता है, फिर भी उसको सरकार 55 साल के बाद काम के योग्य नहीं समझती, तो जो गरीब लोग हैं, जिनको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती, उनसे 65 साल तक क्या काम हो सकेगा । इसलिये इस उम्र को आप घटाकर 50 साल कर दीजिये ।

आदिवासी छात्रों और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रावास बहुत कम है । मैं निवेदन करूंगा कि हर तहसील में ऐसा छात्रावास होना चाहिये जहां यह छात्र रह सके । मेरे क्षेत्र के अन्दर एक स्वामी सीतल नाथ हैं जिन्होंने हरिजनों के लिये काफी काम किया है । उन्होंने वहां एक हरिजन होस्टल खोल रखा है जिसमें 30 छात्र रहते हैं । वह सारा गांव ही हरिजनों का है सीतल नगर । वहां तो समाज कल्याण विभाग से हर प्रकार की सुविधा मिलनी चाहिये ताकि हम उदाहरण दे सकें कि इस गांव को तो हर प्रकार से सहायता मिलती है ।

आज हरिजनों और आदिवासियों को मुकदमों में सहायता करने का प्रावधान है, लेकिन हरिजनों के अन्दर जो कुछ खराब आदतें हैं जैसे शराब पीने की, उन आदतों को मिटाने के लिए प्रचार और प्रसार की

(श्री लूणाराम)

आवश्यकता है। इन आदतों को मिटाने के लिये सरकार को कुछ कार्यवाही करनी चाहिये और यह तभी हो सकता है जब कि तहसील लेवल पर एक प्रसार अधिकारी हो जो कि हरिजनों में जाकर इन आदतों के खिलाफ उनमें प्रचार करे।

अब मैं पुरातत्व विभाग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। जहां तक हस्त लिखित लेखों का सवाल है, पुरातत्व विभाग अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इससे आगे बढ़कर, इस विभाग को हमारे गांवों में जो सदियों पुरानी पत्थरों पर लिखी हुई बातें हैं जिन्हें हम शिलालेख कहते हैं, वह आज टूटती जा रही हैं, और लोग अपने मकानों में उनको छुपा रहे हैं। इस विभाग को चाहिये कि उनका संकलन करे। इन लिखावटों से हमको पुराना इतिहास मिलता है। मैं चाहूंगा कि इन शिलालेखों का तहसील स्तर पर या पंचायत स्तर पर एकीकरण किया जाये और उन लेखों से हम फायदा उठायें तो अच्छी बात है।

इसी प्रकार से गांवों के अन्दर हमारी पुरानी लोक कथाएं हैं जो पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बताती है और इस प्रकार से वह चली आ रही है जिनके अन्दर इतिहास छुपा हुआ पड़ा है। मैं चाहूंगा कि इस प्रकार की जो लोक कथाएं हैं उनको संग्रहित करने के लिए भी पुरातत्व विभाग को गांवों में अपने आदमी भेज कर नोट करानी चाहिये जिससे बहुत बड़ा फायदा होगा।

नगर आयोजन के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं के लिये सरकार ने मास्टर प्लान बनाए हैं, उनके नक्शे बना दिये हैं लेकिन लोग उसकी कोई परवाह नहीं करते और अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं जिससे शहरों की सुन्दरता बिगड़ती है। आपने जो जमीन के रेटस् रखे हैं वह इतने हाई हैं कि कई लोग मकान नहीं बना सकते और वह फिर अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि आप इन रेटस् पर पुनः विचार करें और उनको कम करें।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

लोगों को रहने के मकान के लिये जमीन देना आपका दायित्व है। आपको इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोगों को रहने के लिये समय पर सस्ती जमीन मिल जाये, वर्ना वह अनधिकृत कब्जा कर लेते हैं।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह है नगर आयोजना विभाग के बारे में। यह है कि आप नगर आयोजना विभाग के अधिकारियों को यह आदेश दें कि वे इस बात का ध्यान रखें कि शराब की दुकानें बस स्टैन्ड के पास नहीं स्थापित करें और इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके मारफत राज्य सरकार से कि एक कमेटी बनाये और पहले उसकी जांच की जाय कि वे दुकानें कहां पर स्थापित की जायें। जब वह कमेटी निर्धारित कर दे कि फलां जगह वह दुकान स्थापित की जाय और अमुक स्थान पर बस स्टेण्ड रहना चाहिये।

(श्री लूणाराम)

इसी प्रकार मूल्यांकन विभाग के बारे में भी मेरा यही निवेदन है कि उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां पर पर कितना काम हो रहा है, उसका विवरण सही ढंग से होना चाहिये। वहां श्रम का अनुपात किस प्रकार से बनता है वह सही रूप से होना चाहिए। आज कल इसमें सही तौर से मूल्यांकन नहीं हो रहा है सो इसकी व्यवस्था सही तरीके से होनी चाहिये।

(समय समाप्त सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय एक दो बात कहकर समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार पर्यटन विभाग के बारे मे निवेदन करना चाहता हूं। हर जिला स्तर पर ऐसा कोई पर्यटन का स्थान नहीं जो उस क्षेत्र का हो, उसका विकास होना चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी पर्यटन का लाभ हो। इसके लिये मेरा निवेदन है कि जिला मुख्यालय पर ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वहां के लोग भी कुछ देख सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं डेयरी योजना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। हमारे बीकानेर क्षेत्र के अन्दर एक बड़ी डेयरी योजना बनने को जा रही है और उसमें मेरे क्षेत्र का भी नाम उसमे शामिल किया गया है, लेकिन उसकी गति अभी तक बहुत ही धीमी चल रही है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूँगा कि उस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाय। ताकि वहां की जनता को इसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं सार्वजनिक उद्यानों के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले में सार्वजनिक उद्यानों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत समिति और जिला परिषद् का जो सर्विस सलेक्शन बोर्ड है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज ऐसी व्यवस्था है कि हर जिला परिषद् के अन्दर, जब मीटिंग हो तो, पंचायत समिति जिला परिषद् सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के सदस्य वहां पर जाने चाहियें लेकिन अकसर ऐसा पाया जाता है कि वे लोग वहां पर नहीं जाते जिससे कई प्रकार के काम नहीं हो सकते हैं या ऐसा होता है कि मीटिंग भी नहीं होती है, जिससे भी काम में रूकावट आती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम दो महीने में एक मीटिंग की जाय ताकि पंचायत समिति और जिला परिषद् के काम में कोई दिक्कत नहीं आये।

उपाध्यक्ष महोदय, अब थोड़ा मैं नागरिक रसद विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आज 500 से ज्यादा जनसंख्या जिस गांव में हो वहां पर सस्ते अनाज की दुकान गांवों में खुल जानी चाहिए और इसके साथ साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हर गांव को दो मील की दूरी पर एक सस्ते अनाज की दुकान खोली जाय।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अब थोड़ा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान विभाग के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अभी आप समाप्त कर दें। जब विविध की मांग हो तब बोलना अभी स्थान ग्रहण करें।

श्री लूणाराम : उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट। देवस्थान विभाग के मन्दिरों के नीचे, जो जमीनें थी, जिससे उन मन्दिरों का काम चलता था वह सभी जमीन तो पुजारियों के नाम कर दी गई थी या जो मन्दिर के नीचे जमीनें थीं उन्हें वहां के पुजारियों ने बेच दी और उसका सारा पैसा, जो भी हाथ आया वह खा गये अब इन देवस्थान मन्दिरों की बहुत ही दुर्दशा हो रही है इसलिये मैं देवस्थान मंदिरों की दशा के साथ, जो देवस्थान विभाग ने नहीं सम्हाले हैं उनकी हालत अपने हाथ में लेकर सुधारने की ओर भी राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन मन्दिरों के नीचे जो जमीनें हैं, उनको हाथ में लेकर इन मन्दिरों की दशा सुधारी जाय।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

बस इतना ही निवेदन करके, मैंने जो कट मोशन दिए हैं उनका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्तसिंह नाहर !

श्री यशवन्त सिंह नाहर (बनेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो मांगे हैं उसमें विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन का विषय इतना लम्बा है कि अगर मैं इस विषय में बोलूं तो शायद जब तक मुख बन्ध नहीं लगे तब तक वह समाप्त नहीं हो सकता। इसलिये मैं ज्यादा विषय न लेकर सिर्फ एक ही विषय पर बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी सिर्फ सांख्यकीय विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम जब समाजवाद लाना चाहते हैं, आज जब हम क्लास लेस सोसाइटी की बात करते हैं लेकिन आज भी हमने कई प्रकार की क्लासेज इन गवर्नमेंट सर्विसेज में कर रखी हैं। जिसमें पहले चपरासी, क्लरीकल स्टाफ में एल. डी. सी., यू. डी. सी., असिस्टेन्ट, सेक्शन आफिसर और कम्प्यूटर, इन्सपेक्टर, स्टेटिकल एसिसटेन्ट, एसिसटेन्ट स्टेटीशियन वगैरह। इस प्रकार की कई क्लासेज हमने कर रखी है यह बहुत ही खराब है। यह मैं आपको बता रहा हूं, वह स्टेटिकल डिपार्टमेंट की बात बता रहा हूं जहां की स्थिति बहुत ही खराब है। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे जनरली तो दो एजेन्सीज होती हैं—गजेटेड और नोन गजेटेड लेकिन इस सांख्यकीय विभाग में इतनी केटेगरीज भर दीं है वहां पर एक केटेगरी तो काम करती है दूसरी केटेगरी सिवाय दस्तखत करने के कुछ नहीं करती। नोन गजेस्टेड स्टाफ वहां का जो है वह काम करता है और डाईरेक्टर से नीचे तक जितने भी गजेटेड आफिसर हैं वह सिवाय दस्तखत करने के कुछ नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि आखिर इनके रखने का क्या लाभ है? यह सारा एडमिनिस्ट्रेशन राइट फ्रोम दो बिलो से ही चल रहा है। इसके अलावा इसमें मैं आपको एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि वहां जितने भी लोअर कैडर के व्यक्ति हैं उनमें सिवाय दो चार को छोड़कर कोई भी व्यक्ति कनफर्म नहीं है। आज आपको दो चार काम्प्युटर्स को छोड़ दीजिये, जो कि कोई भाग्यशाली है, जिन्हें कनफर्म किया गया है बाकी 90 पर्सेन्ट से ज्यादा कोम्पूटर्स टेम्परेरी हैं। इसी प्रकार एसिसटेन्ट स्टेटिशियन

(श्री यशवन्त सिंह नाहर)

के पदों तक 90 परसेंन्ट लोग ऐसे हैं जो एडहोक प्रमोशन्स पर चल रहे हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 60 पर्सेन्ट आफिसर्स, जो कि डिप्टी डाईरेक्टर रेन्क के हैं, वे एडहोक व्यवस्था पर ही चल रहे हैं। अब जिस डिपार्टमेंट में सिवाय डाईरेक्टर के बाकी डिप्टी डाईरेक्टर, एसिस्टेन्ट डाईरेक्टर्स वगैरह आफिसर हैं वह सभी एडहोक चल रहे हैं और कई आफिसर्स इनमें ऐसे हैं जिन्हें दो दो पोस्ट पर एडहोंक प्रमोशन्स दिये हुए चल रहे हैं। इसका मतलब मैं यह समझता हूं कि यह कुछ व्यक्ति विशेष लोगों के लिए पोस्ट्स क्रियेट कर रखी है। आज इतना भारी भरकम स्टाफ सिर्फ आफिसर्स का दस्तखत करने के लिये ही बैठाया है। इसकी ओर राज्य सरकार को विशेष ध्यान देने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के पास कोई काम नहीं है कि वह आंकड़ों का जादू गवर्नमेंट और जनता में फैलाये हुए रहता है। लेकिन मैं आंकड़ों के बारे में इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि इनमे जितने भी आंकड़े इस विभाग द्वारा दिये जाते हैं वह 90 पर्सेन्ट आंकड़े फर्जी हैं। इसमें अधिकांश यह करते हैं कि कहीं पर तीन के चार कर दिया और कहीं पर कुछ बता दिया। पर कोई पता नहीं लगता कि इसमें क्या है ? खैर मैं आंकड़ों के जादू में न जाकर इतना निवेदन करूंगा कि इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाली ऐजेन्सी जो है वह एसिस्टेन्ट स्टेटिस्टिकल की पोस्ट है लेकिन आज सन् 1965 से मेरे समझ में नहीं आ रहा कि जो सन् 65 से इस स्केल में काम कर रहे थे असिस्टेन्ट स्टेटिस्टिकल अधिकारी, उन्हें अभी जिनमें करीब 13 व्यक्ति ऐसे हैं उन्हें डी.पी. सी. ने उनके प्रमोशन को नहीं मानकर उन्हें, जो कि उस पोस्ट पर कनफर्मड थे वापिस डी कनफर्मड कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह कनफर्मड से डी कनफर्मड करने की बात तो मेरे समझ में आती नहीं हैं क्योंकि कानून में कहीं भी कनफर्म से डीकन फर्म करना सही नहीं है। पता नहीं यह कौनसे कानून से उन्होंने ऐसा किया है लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है उसका असर दूसरी पोस्टस पर भी पड़ा है। आज जो ऊपर के अधिकारी हैं उपाध्यक्ष महोदय, जो कि सिर्फ दस्तखत करते हैं और बाकी पंखे के नीचे बैठे हवा खाते हैं वे तो मजा कर रहे हैं, बाकी यह काम करने वाला जो वर्ग है उसे कुचला जा रहा है। आज इस विभाग में ऐसे नियम बना दिये हैं कि अगर कोई व्यक्ति सेकण्ड क्लास नहीं हो तो वह आगे प्रमोशन नहीं पा सकता। आज छः व्यक्ति ऐसे हैं इसमें जिन्हें रिवर्ट कर दिया गया है। आप किसी नये व्यक्ति को फर्स्ट क्लास को सेकन्ड क्लास को एडहोक प्रमोशन्स दे देते है लेकिन अगर कोई डिपार्टमेंट का व्यक्ति है, जो कि करीब 15 साल से काम कर रहा है, उसको अनुभव है फिर भी आप उसे काबिल नहीं मानते हैं और जो नया सेकण्ड क्लास होता वह उस पर हावी हो जाता है। आज अपने मूल्यांकन विभाग में भी एक दो पोस्ट डिप्टी डाईरेक्टर्स की बढ़ाने जा रहे हैं यह तो मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि बजट को मांगे पास हो जायं लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि यह क्या काम कर रहे हैं सिवाय आंकड़े देने

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

ग्रौर वह भी फर्जी ग्रौर जो इसमें काम कर रहे हैं वह बेचारे पिस रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस विभाग पर खर्चा कम किया जाय आपको ऐसे विभाग में उस सेक्शन का ध्यान रखना चाहिये जो काम करने वाले हैं बाकी बेकार। ग्रापने इतनी बड़ी हायर्की खड़ी कर दी है इतनी पोस्टें आपने बजट में बढ़ा दी है, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार तो हम जो क्लासलेस सोसाईटी क्रियेट करना चाहते थे वह निर्माण नहीं कर सकेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राल इन्डियां बेसिस पर भी है। तो आपको एक नया रास्ता देना है। नया रास्ता ग्रापको राजस्थान को देना है। यदि ग्रापको विश्वास न हो तो कह दीजिये। इसीलिये मेरा निवेदन था कि ग्राप मेहरबानी करके इसको रिग्रोर्गेनाइज कीजिये। इवेल्युएशन ग्रौर स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट दो दुकनों में है। दोनों डाईरेक्टर साहब ग्रपने लिये तो नहीं कर रहे हैं, कहीं नये जोइन्ट डाईरेक्टर की पोस्ट तो नहीं क्रियेट हो रही है। 17-18 वर्ष एक ग्रादमी एक पोस्ट पर बैठा रहे ग्रौर नीचे वाले डिपार्टमेंट में बैठे हैं, कानूनी ट्रान्सफर दो साल में हो जाना चाहिये, जो बैठे हैं उनको सुविधा भोगने दीजिये, एक ग्रादमी 17 वर्ष से जमा बैठा है ग्रौर उनको मर्जी के माफिक पश्चिम वाले को पूर्व में भेज दिया जावेगा ग्रौर पूर्व वाले को दक्षिण में भेज दिया जावेगा, सब ही नौकरी करते हैं। डिपार्टमेंट में बदइन्तजामी हो सकती है लेकिन यहां तो रिश्वत की कोई गुन्जाइश नहीं है। इसलिये इस विभाग को रिग्रोर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है। कमीशन बैठा दीजिये। लेकिन वैसा कमीशन नहीं कि वही लकड़ी जलाने वाला ग्रौर वही पौध लगाने वाला वह कमीशन ग्रपने लिये ही स्थायी न बन जाय। यही मुझे निवेदन करना है।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री लक्ष्मण सिंह !

श्री **लक्ष्मण सिंह** (डूंगरपुर): मैं नहीं बोलना चाहता हूं।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मोहम्मद गफ्फार ग्रली !

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं म्युनिसिपेलिटीज, नगर विकास न्यास ग्रौर फैक्टरी एक्ट के तहत चलने वाली फैक्ट्रीज के सम्बन्ध में बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले मैं म्युनिसिपल ग्रफेयर्स का जिक्र करूंगा। म्युनिसिपल कमेटीज में हमारी डेमोक्रेसी के ग्रन्दर जहां हम लोयेस्ट लेवल से शुरू करते हैं, रिप्रेजन्टेशन देते हैं लोगों को जिसमें जनता को ग्रपनी ग्रावाज उठाने ग्रौर बुलन्द करने का मौका मिलता है।

पंचायतें, जिस पर तफसील के साथ बहस हो चुकी है, इतना ही कहना है कि वे पंचायतें, जो डिफेक्ट हो चुकी हैं, लाइफ जिनकी बहुत बढ़ चुकी है, नये चुनाव होंगे तब देखा जायगा। उसके बाद दूसरी यूनिट जो महत्व रखती है वह है म्युनिसिपेलिटी, इसके लिये मेरी गुजारिश यह है कि म्युनिसिपल ग्रफेयर्स राजस्थान में ग्रच्छे नहीं हैं ग्रौर मुख्तलिफ म्युनिसिपलिटीज से इस

Page No 70

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

प्रकार की शिकायतें आती हैं कि वहां पर भ्रष्टाचार पनप रहा है। जयपुर की म्युनिसिपैलिटी के बारे में बहुत शिकायतें आयी और मंत्री महोदय के सामने इस किस्म के केसेज पेश किये फहरिस्त उनके सामने रखी गयी। बहुत से कौंसिलर्स ने अपने नाम से, अपनी बीबी के नाम से अपने बच्चों के नाम से और अपने रिश्तेदारों के नाम से सड़कों तक की जमीन ले ली और उन्होंने उन पर कब्जा करके रखा है। यह स्टेट आफ अफेयर्स उस हालत में है जब हम यह चाहते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिये इन्तजाम में। यह स्टेट आफ अफेअर्स रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पर यह इल्जाम लगाते हैं कि भ्रष्टाचार है। हम पर भी इस प्रकार के इल्जाम लगाये जायं तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती है। हमें विश्वास है कि इस किस्म की घटनायें घटी हैं और मुकदमें मिनिस्टर महोदय के सामने लाये गये हैं उनकी तफतीश के बारे में बहुत जल्द अमलीजामा पहनाया जायगा। उन कौंसिलर जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको हटाया जायगा। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि म्युनिसिपैलिटी को थोड़े कारण से सुपरसीड कर दिया जाय लेकिन मेरी यह मान्यता है कि अधिक लोग भ्रष्टाचारी हों तो उस म्युनिसिपैलिटी को कायम नहीं रखा जाय; बल्कि उनको सुपरसीड करके जल्दी से जल्दी उसके चुनाव करायें जायें।

इसके अलावा मेरा कहना यह भी है कि म्युनिसिपैलिटी के जो साधन हैं उनके बारे में भी गवर्नमेंट की नीति स्पष्ट नहीं है और सही भी नहीं है। मेरी मान्यता यह है कि जो शहर पचास हजार या उससे ज्यादा आबादी के हों उन शहरों में म्युनिसिपल कौंसिल के बजाय म्युनिसिपल कार्पोरेशन का निर्माण करना चाहिये जिसमें उनकी जिम्मेदारियां आनी चाहियें। उनके रिसोर्सेज में इजाफा होना चाहिये। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वर्क्स उनको देने चाहिये और प्राइमरी एजूकेशन का बोझा भी उन पर डालना चाहिये। एजूकेशन डिपार्टमेन्ट की डिमान्ड पर मैं नहीं बोल सका था। किन्तु एक सुझाव के रूप में ही अर्ज कर देना चाहता हूं। यदि प्राईमरी एजूकेशन उनको नहीं देते हैं और युनिफोर्म कोर्स नहीं रखते हैं तो जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वे अपने साथ तंग नजरिया लेकर आगे जाते हैं और ऊंची कक्षा में पढ़ते हैं तो उनमें तसाहुल होता है। इसलिये एक कोर्स होना चाहिये। जो समाजवाद में विश्वास रखते हुई और धर्मनिर्पेक्षता में विश्वास रखते हुई वे चीजें उस कोर्स में आवें हमें मजहबी तालीम दी जाय तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन जो कोर्स प्रेस्क्राइब हो उसमें यह होना चाहिये कि हमारे संविधान के अनुकुल हो। प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। मैंने यह सुझाव रखा है तो मैंने अर्ज कर दिया कि जो पचास हजार और उससे अधिक आबादी वाले शहर हैं उनमें म्युनिनिसिपल कार्पोरेशन होने चाहिये और उन पर यह बोझ डालना चाहिये।

एक चीज मैं अर्ज करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटी के जो साधन हैं वे साधन भी बहुत सम्मिति हैं और हमने कुछ सुझाव भी रखे थे। जयपुर शहर में एक

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)
प्रगतिशील नागरिक मोर्चे का निर्माण किया था और उसके आधार पर कुछ लोगों को चुनाव में लड़ाया। अवाम ने, जनता ने साथ दिया और हम बहुत तादाद में प्रतिक्रियावादी तत्वों को हरा कर आये। हमने जनता से जो वादे किये उनको पूरा नहीं किया हमने सुझाव रखे और वे सुझाव आज मंत्री महोदय के सामने फिर रखना चाहता हूं।

मैंने एक सवाल यह रखा था कि हाउस टैक्स का सिस्टम बड़ा गलत है। आपने दस रुपये तक के किराये के मकान का भी हाउस टैक्स का बोझा डाल दिया राजस्थान में एक स्लेब के आधार पर हाउस टैक्स लगाना चाहिये और 30 रुपये तक के मकान को उससे बरी करना चाहिये। उससे ऊपर 6 परसैन्ट, 8 परसैन्ट और उससे ऊपर आप दस परसैन्ट ले लीजिये इस प्रकार का स्लेब रखना चाहिये था। इस पर संजीदगी से विचार कीजिये। आज छोटे से छोटा मकान भी 30 रुपये माहवार का होता है। बहुत से गरीब लोगों के मकानात हैं जिनमें ये खुद रहते हैं। या वेवाओं के मकानात हैं जो किराये पर चलते हैं जिनसे उनका गुजर बसर चलता है। उन पर भी हाउस टैक्स लगता है। यह गलत है। आज 30 रुपये की कोई कीमत नहीं है। इसलिए हमको इसमें स्लेब सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करके आमदनी के साधन बढाने चाहिये।

दूसरा सुझाव जो मैंने पहले भी दिया था, दोहराना चाहूंगा कि नगरपालिका का दूसरा महत्वपूर्ण आमदनी का जरिया है आक्ट्राय। आज जो आक्ट्राय के साधन का सिस्टम है वह किसी समझदार आदमी के दिमाग में तो आता नहीं, सरकार की समझ में कैसे आता है, यह मुझे पता नहीं। आज आक्ट्राय वजन पर ली जाती है। दस मन कास्मेटिक हुआ तो उस पर भी वही रेट और दस मन मिट्टी हुई तो उस पर भी वही रेट। गेहूं पर भी वही रेट, कपड़े पर भी वही रेट। हमने इसके लिए सुझाव रखा था कि जिन्दगी की जो जरूरी चीजें हैं उनको छोड़ कर बाकी पर आप कीमत के आधार पर आक्ट्राय लगाइये। इसमें भी लग्जरी की चीजों पर आप सबसे अधिक लगा सकते हैं पर वह भी हो कीमत के आधार पर। म्यूनिसिपल कौंसलरों को भी हमने बार बार इसके सम्बन्ध में कहा, पब्लिक मीटिंगों में भी कहा। पर यहां तो नक्कारखाने में तूती की आवाज सुनता नहीं कोई। केवल एक ही काम में वे लोग मशगूल हैं कि जितनी रिश्वतें खाई जा सकें और अपने अपने घर भरे जा सकें खाओ और घर भरो इस मामले में भी हमारी दृष्टि साफ होनी चाहिये। सरकार को ऐसे आधार कायम करने चाहिये कि नगरपालिका की आमदनी में वृद्धि हो सके।

इसके बाद यह देखा गया कि जो मकान और महल राजा महाराजाओं के पहले प्रिविपर्सेज और प्रिविलेजेज के कारण हाउस टैक्स से मुक्त थे उन पर आज भी असेसमेंट करके टैक्स लगाने में समय काफी लगाया जा रहा है। असेसमेन्ट के किस्से हम सुनते आ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता कि कितने साल इसमें हमें और लगेंगे। लाखों रुपयों की इनकी प्रोपर्टी है और यह आमदनी का अच्छा साधन नगरपालिका के लिए हो सकता है। पर इस में भी ढिलाई बरती जा

(मोहम्मद गफ्फार अली)

रहा है। इस मामले में सख्ती के साथ कदम उठाना चाहिये क्योंकि अब तो उनके विशेषाधिकार समाप्त हो चुके हैं और उन शासकों के दिन भी खतम हो चुके हैं। कसरत के साथ उनकी निजी प्रोपरटीं हैं, जहां तक मुझे जानकारी है जयपुर महाराजा की अकेले की जयपुर नगर में करीब 100 से अधिक प्रोपर्टीज होंगी। इसी तरह जोधपुर, बीकानेर उदयपुर आदि जगहों पर भी होंगी। इस मामले में भी सरकार को कोशिश करके हल निकालना चाहिये।

इसके अलावा म्यूनिसिपैलिटी के बारे में मुझे यह भी कहना है कि हर म्यूनिसिपैलिटी, जिसका समय खतम हो चुका और इलेक्शन ड्यू हो जाता है का इलेक्शन टालने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिये। आज पंचायतों के चुनावों को आठ दस साल हो गये। इसी तरह कई म्यूनिसिपैलिटीज का वक्त बढ़ा दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि जयपुर की म्यूनिसिपैलिटी का जिस समय चुनाव ड्यू हो उससे पहले खतम करें तो अच्छा है, नहीं तो कम से कम ओवर ड्यू न होने पावे और यह भी करें मन्त्री महोदय कि जो एन्क्वायरी उन्होंने करप्ट लोगों के खिलाफ की है उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है उससे हमें अवगत कराया जाय।

मेरा सुझाव है कि चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जांच का जहां सवाल हो और ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत हो तो उनके खिलाफ शहादत और सबूत देने के लिए जनता का भी आव्हान किया जावे। जहां तक सरकारी नौकरों का सवाल है उनमें अगर भ्रष्टाचार बढ़ता है, पनपता है तो वह उतना खौफनाक नहीं है, जितना जनता के चुने हुए लोगों में।

आज जितने कौंसलर हैं उनमें चालीस में से 25 के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। पर इनमें से केवल एक दफ्तिखार का तो जिक्र आया बाकी और किसी कौंसलर के खिलाफ कोई एन्क्वायरी की बात सुनने में नहीं आई। हालांकि यह सबको मालूम है कि काफी लोग भ्रष्टाचारी हैं। कईयों के नाम ठेके चल रहे हैं। प्लाट हैं, बहुत कसरत के साथ चलकर उन लोगों ने बेईमानियां की हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसे लोगों की जांच कराने में पब्लिक को पूरी तरह से साथ ले। उनको प्रोटेक्शन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप अपने अफसरों को प्रोटेक्शन देते हैं, हालांकि मैं तो इसे भी ठीक नहीं समझता, पर फिर भी देते हैं यह समझ कर कि इससे एडमिनिस्ट्रेशन में काफी ढिलाई आ जावेगी और प्रशासन का यह शीराजा बिखर जावेगा। पर चुने हुए लोगों के खिलाफ शिकायतें हों तो उनको संरक्षण इस तरह से मत दीजिये। इसलिए गुजारिश करूंगा कि इनकी जांच का तरीका बदला जावे, इसमें पब्लिक को भी लिया जावे शहादत और सबूत में।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

दो तीन सुझाव और रखूंगा। और तो कोई है नहीं मेरी पार्टी की तरफ से।

श्री उपाध्यक्ष : आज समय ही कम है। 3½ बजे काल अटेन्शन नोटिस है और 4½ बजे गुलेटिन हो जावेगा।

श्री मोहम्मद गफ्फारअली : इसलिए मेरा निवेदन यह है कि आप इस तरह का सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करिये कि जिसमें लोगों को इन्वाल्व किया जा सके । पहले भी सी. आर. पी. सी. के मातहत जूरी के मार्फत ट्रायल हुआ करती थी तो यह कोई बिल्कुल नई चीज तो नहीं है । मैं चाहता हूं कि जनता के चुने हुए लोगों के खिलाफ जांच हो तो जनता को जरूर शामिल किया जाना चाहिए ताकि उनका केरेक्टर जनता के सामने आ सके और अगर उनका मुंह श्याह है तो श्याह मुंह किसी को दिखाने का किसी को होंसला नहीं हो सके ।

नगर विकास न्यास के बारे में निवेदन करूंगा । मेरा खयाल यह था कि जो कलेक्टर अपोइन्ट किये गये थे वे कुछ काम करेंगे । पर वह उम्मीद नाउम्मीद में बदल दी गई । उनका ट्रान्सफर गवर्नर साहब के यहां कर दिया गया । अब उनको टाइम नहीं कि इसमें वक्त लगा सकें । हमारी मान्यता थी कि उनको करने का मौका था पर मौका उनको नहीं दिया । उसमें किसी का भी हाथ हो या गवर्नर साहब की भी नजर पड़ गई हो तो वे ही हों तो अलग बात है । अब वहां का हाल यह है कि नगर विकास न्यास के जिन अफसरों के खिलाफ भ्रष्टाचार के चार्ज हैं वे वहां टिके हुए बैठे हैं । हाल में पुलिस ने कुछ चालान किये थे । पुराने सेक्रेटरी के खिलाफ भी केस चलाने को स्वीकृति चाही थी । पर वह तो नहीं मिली और केवल दो छोटे कर्मचारियों के खिलाफ मुकद्दमा चलाने की इजाजद दे दी । स्वीकृति नहीं देने का यह तरीका गलत है । सरकार को स्वीकृति देनी चाहिये चाहे वह चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो और कोई हो, इल्जाम अगर किसी के भी खिलाफ है तो उनका मुंह साफ होना चाहिये । उजला होना चाहिये । मैं इसे पसन्द नहीं करता कि लोगों में कानाफूसी चलती रहे कि फलां चेयरमैन ने इतने पैसे खा लिये, फलां सेक्रेटरी ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतने पैसे बना लिये । हमारे इसके चेयरमैन या सेक्रेटरी करप्ट हों तो उनका करप्शन जनता के सामने आना चाहिये । अगर वे करप्ट नहीं हैं तो केस चलाकर उनका मुंह उजला साबित करना चाहिये । उनकी इमेज इम्प्रूव होनी चाहिये । चाहे फिर वे कोई भी हो ।

यू. आई. टी. के अध्यक्ष और सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के चार्ज हैं । पुलिस उन पर मुकद्दमा चलाना चाहती थी । पर सरकार ने इजाजत नहीं दी । लोग कहते हैं इजाजत इसलिये नहीं दी कि ये मिनिस्टर साहब के खास आदमी हैं । मुझे दुख होता है यह सुनकर कि एक करप्ट आदमी मिनिस्टर का आदमी हो सकता है, चीफ मिनिस्टर के पास उसको बिठाया जाता है और यह कहा जावे कि यह उनका खास आदमी है । इस पर राज्य सरकार को गौर करना चाहिये कि यह कहां तक सही है ?

श्री **केदारनाथ : यह** तो को-एग्जिस्टेन्स है ।

श्री **मोहम्मद गफ्फारअली : को-एग्जिस्टेन्स** की बात केदार साहब कहते हैं । करप्ट और ईमानदार दोनों साथ रहें । यह सम्भव नहीं है । करप्ट करप्ट रहेगा ।

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

ईमानदार ईमानदार। साथ रहा तो ईमानदार की ईमानदारी में भी लोग शक और शुबाह की नजर से देखने लगेंगे कि ऐसा क्या है इसमें। तो इसलिये मैं चाहूंगा कि बहुत जल्दी एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर करके जितने आपके चेयरमैन हुए हैं या सेक्रेटरी रहे हैं इनमें जिन जिन ने इर्रेगुलेरिटीज की हैं या करप्ट प्रेक्टिसेज से पैसा इकट्ठा किया है या भ्रष्टाचार फैलाया है और इसके चार्ज उनके खिलाफ हैं तो उनकी जांच पूरी करवाइये और उन पर मुकदमे चला कर फैसला कराइये ताकि यह यू. आई. टी. का घर आगे से साफ हो सके।

मुझे फैक्टरी एक्ट के बारे में भी अर्ज करनी है। 25 हजार रजिस्टर्ड फैक्टरियां राजस्थान में हैं इनमें से 13 हजार का तो रिन्युअल होता है बाकी 12 हजार का रिन्यूअल होता ही नहीं है। अब आया वे फंक्शन कर रही हैं या नहीं। फंक्शन कर रही हैं तो यह कहां तक वाजिब है। इन्सपेक्टर फिर क्या करता है? फैक्टरी एक्ट से कवर होती हैं उनको देखा जाय। जब अगर दूसरी एग्जिस्ट करती हैं और उनका रिवीजन नहीं होता है तो उनका चालान क्यों नहीं किया जाता है इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह के जो केस हैं अभी उनको देखा जाय।

बायलरों की बात है। बावनवास में एक बायलर फट गया। इन्सपेक्टर साहब बराबर विजिट नहीं करते। अपनी ड्यूटी निभाते नहीं। नहीं तो यह नौबत नहीं आती। इसके अलावा दस लाख रुपया सरकारी टैक्सों का इस फैक्टरी के खिलाफ आउटस्टेंडिंग है। तो क्या दिक्कत है, गवर्नमेंट उन फैक्टरीज को चेक करें और उनको बन्द कर दें। 10 लाख कैसे रिकवर करेगी? मेरे पास मिसाल है एक इन्सपेक्टर है। मिस्टर पालीवाल मैं इन्डीज्युवल नाम लेता नहीं, बुरा है, गंगानगर में है, उन्होंने 186·25 के लिये और जमा नहीं कराये और जब पार्टी के पास डिमान्ड नोटिस गया तो उसने कहा मैंने जमा करा दिये, रसीद मौजूद है। अब यह क्लियर केस है, इसको क्यों संरक्षण दिया जाय। अगर यह गलत है तो पार्टी के ऊपर कुछ एक्शन लिया जाय बहरहाल जो स्टेट आफ अफेयर्स हैं, उसको खत्म किया जाय।

प्रेस के बारे में निवेदन करना है। जो रूल चल रहे हैं, कुछ फैक्टरी एक्ट को और कुछ राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स ये सब चीजें चल रही हैं। मेरा कहना है ये सब रूल्स युनिफार्म होने चाहिये। मैंने सुझाव दिया था राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स से गवर्न हो सकते हैं जब तक आपके नये रूल्स नहीं बनायें जायं—राजस्थान सिविल सर्विस रूल्स से गवर्न करें इसलिये कि तमाम राजस्थान में आज प्रेस बन्द है। इतनी छोटी छोटी बातों को दो दो साल तक पेन्डिग रखते है इससे ज्यादा क्या मिजरेबिल हो सकता है। मैं अर्ज किया चाहता हूं जब तक नये रूल्स न बने उस समय तक राजस्थान सर्विस रूल्स लागू होने चाहिये। उन्होंने कहा है, यह हम पर लागू कर दीजिये। यह सही है कि दो ऐडवान्टेज नहीं ले सकते हैं। पेमेन्ट आफ वेजेज एक्ट

(श्री मोहम्मद गफार अली)
या राजस्थान सर्विस रूल्स के मातहत हमें गवर्न किया जाय।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

खतम करता हूं। इन सुझावों को जल्दी से जल्दी तय करिये वरना जो प्रेस बन्द हैं, आपके सारे कारोबार पर असर पड़ता है। आज असेम्बली चल रही है। आज ही पता चला, जो कागज मिले हैं वे चिपके हुये मिले हैं हमें उनको फाड़ना पड़ा है। इसलिये मेरी गुजारिश है इन चार महकमों में जो मैंने सुझाव रखे हैं, गौर फरमायें और उन पर उचित कदम उठाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केदारनाथ।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : मान्यवर मैं आपकी मारफत म्यूनिसिपैलिटीज के वर्किंग के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने मान्यवर बार बार मांग की है कि राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन इकाइयों को जिन्दा नहीं रखना चाहती है। मैंने आपके मारफत यह भी मांग की थी कि स्टेट के फाईनेन्सेस होते हैं ऐसे ही राज्य सरकार कितनी म्यूनिसिपैलिटीज को फाईनेन्स की पावर दी जाय, कितनी टेक्निकल पावर दी जाय, कितनी डवलपमेंट पावर दी जाय और इन सारे कामों के लिये राज्य सरकार एक कमेटी मुकर्रर करे। एक कमेटी का गठन भी हुआ था, उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन अभी राज्य सरकार चुप है। मान्यवर अभी 5–6 रिवाईज्ड टैक्स के बारे में सब जानते हैं। इसकी मीटिंग हुई कि नहीं हुई। वित्त मंत्री हमारे माथुर साहब थे एम. पी. उनके चेयरमैनशिप के अन्दर हुई। इसके तीन बार चेयरमैन बदले लेकिन कमेटी का मालूम नहीं पड़ा।

म्यूनिसिपैलिटी का मौजूदा एक्ट इसमें बुनियादी तौर पर तब्दीली लानी चाहिये। मान्यवर राजस्थान की हालत नहीं है आस पास के पड़ौसी राज्यों को देखें, चेयरमैन का चुनाव, राज्य सरकार यह मान ले डाइरेक्ट चुनाव होने चाहिये और एक साल तक अविश्वास का प्रस्ताव नहीं आये और एक साल बाद टू–थर्ड मेजोरिटी से अविश्वास प्रस्ताव आये। अगर म्यूनिसिपैलिटी के वर्किंग में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो मान्यवर इस प्रकार कोई स्टेबिलिटी नहीं हो सकती है। कारण कि चेयरमैन के चुनाव वार्ड्स का निर्माण गलत सही बनाना और उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। आज 60–70 म्यूनिसिपैलिटीज की हालत यही है। इतने डिफेक्शन्स हुये हैं। चेयरमैन का चुनाव डाइरेक्ट हो, एक साल तक की स्टेबिलिटी रखें और उसके बाद ही अविश्वास प्रस्ताव आये तो मैं समझता हूं म्यूनिसिपैलिटी के वर्किंग में काफी स्टेबिलिटी आ सकती है। मान्यवर इसके साथ सिंगल कान्स्टीट्यूएन्सी और उनकी लाइफ भी पांच साल होनी चाहिये। अगर यह बुनियादी तब्दीली चाहते हैं मान्यवर, और उसके साथ ही यह चाहते हैं चेयरमैन और मेम्बर्स के खिलाफ भ्रष्टाचार और इर-रेगूलेरिटीज के चार्जेज आयें तो लोकल बाडीज के तहत जांच नहीं होनी चाहिये। यह किसी न किसी तरीके से लिंक है। किसी न किसी तरह का इसमें एसोसियेशन होता है पोलिटिकल पार्टीज की मोहर इन

(श्री केदारनाथ)

पर होती है। गंगानगर में दो बार जांच हुई, मैं नहीं चाहता उसको यहां कहूं कितना क्या था, उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं लेकिन मान्यवर ट्रिब्यूनल कायम हो। अगर आप चाहते हैं इलेक्टेड लोगों की जांच की जाय तो डिपार्टमेंट की मारफत न होकर ट्रिब्यूनल के द्वारा हो। राजस्थान में लोकल बाडीज का जो तरीका है वह गलत है, पक्षपात से पूर्ण है। ये सब पोलिटिकल कन्सीडरेशन से होते हैं। आमतौर पर जितने सस्पेन्शन केसेज होते हैं–पालिटिकल इन्फ्लूएन्स से होते हैं। उसमें पोलिटिकली निर्णय होते हैं और फिर कह देते हैं हाई कोर्ट में चले जाओ, रिट में चले जाओ।

मान्यवर मैं यह चाह रहा हूं म्यूनिसिपैलिटीज के वर्किंग के बारे में यह स्टेबिलिटि नहीं लाये, इस तरह कनसेप्ट नहीं बदला तो म्यूनिसिपैलिटीज का भविष्य खराब ही रहेगा। वर्तमान में म्यूनिसिपैलिटी में जो लोकल बाडीज हैं उसमें म्यूनिसिपैलिटी में जा कर देखें झुग्गी झोपड़ियों की स्थिति आज वैसी की वैसी है, स्लम्स वैसे के वैसे ही पड़े हैं, कोई नये अलाटमेंट करते नहीं हैं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। मान्यवर, इनके पास किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं है। स्लम्स के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट पैसा देती है लेकिन राज्य सरकार कोई स्कीम भेजती नहीं है। सेन्टर से कोई पैसा नहीं आ रहा है। सारे राजस्थान में कितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं, कितने स्लम्स हैं उनकी स्कीम ये नहीं बनाते कि इतना पैसा लगेगा और इतने पैसे में इतना काम हो जायेगा, प्लानिंग का काम ही इनके पास नहीं है।

अब मान्यवर, जिनको शहर की सफाई का काम दें, अलाटमेन्ट का काम दें, उनके पास प्लानिंग न हो, कोई साधन न हो तो केवल इस तरह का एक ढांचा खड़ा कर देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। पैसा खर्च हो रहा है, बदनामी आ रही है, मान्यवर मैं चाहता हूं ड्रेनेज की, झुग्गी झोपड़ियों की स्लम्स की इनकी सारी की सारी प्लानिंग होनी चाहिये और जिसकी आबादी 50 हजार से ऊपर है, उसका मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिये। जयपुर का मास्टर प्लान बना, खेती की जमीनें हाऊसिंग सोसायटी ने लेली। हाऊस कन्स्ट्रक्शन की कोई स्कीम नहीं बची है। साधन सम्पन्न लोगों ने उन सारी जमीनों पर एन्क्रोचमेंट कर लिया।

अब क्या करेंगे, झुग्गी झोंपड़ी का प्लान इनके पास नहीं इसलिए मान्यवर, मैं एक बुनियादी बात और कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव नान-पार्टी बेसिस पर हो यह गलत तरीका है, इस देश के लिए खतरनाक तरीका है। मैं चाहता हूं कि जो बिल आज लोक सभा में आ रहा है कि जो भी डिफेक्शन करना चाहता है तो वह पार्टी से इस्तीफा दे दे। यही बात हमारे यहां म्युनिसिपैलिटीज और पंचायतों में होनी चाहिए ताकि हम लोगों को मालूम तो पड़ जाये कि कौन सी पार्टी से लड़ रहा है और उस पार्टी के क्या प्रोग्राम है। लोग कहते हैं कि यह सीलिंग को लागू नहीं करेंगे, अर्बन प्रापर्टी के ऊपर नहीं आयेंगे। तो ये इश्यूज जो पालिसी मैटर के हैं, यह म्युनिसिपैलिटीज में डिसकस नहीं होते इसलिए नान-पार्टी बेसिस पर चुनाव होना यह गलत तरीका है। और हम यह

(श्री केदारनाथ)

मान लें कि इस एक्ट में हम तब्दीली ले आयें और पार्टी बेसिस पर चुनाव हो और उसके बेसिस पर ही सिम्बल असाइन हों तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं, सब को मालूम हो जायेगा यह पार्टी कौन है और क्या काम करेगी और वही जो लोक सभा में बिल पास हो रहा है कि जो पार्टी बदले इस्तीफा दे दे और फिर चुनाव करें—अगर यह तरीका हम अपना लें तो कोई न कोई रास्ता मान्यवर निकल सकता है।

अब चुनाव तीन साल के लिए कर दिये हैं। जैसे हमारे लोक सभा और असेम्बली के चुनाव होते हैं पांच साल के अन्दर उसी प्रकार से यह चुनाव भी वक्त पर ही हो जाने चाहिए। अगर किसी का डिलिमिटेशन करना है तो कर लें आपके पास डिपार्टमेन्ट है, सारे अपरेटस हैं आपके पास तो सारा इन्तजाम कर लें, इलेक्टोरल रोल्स तैयार करा लें और ज्योंहि टर्म खतम होती है चुनाव ड्यू हो जाने चाहिए और चुनाव हो जाने चाहिए ताकि लोगों की इन इन्सटीट्यूशन्स के लिए आस्था बनी रहे। आज कई म्युनिसिपैलिटीज ऐसी है कि जहां चुनाव नहीं हुए हैं। डीलिमिटेशन नहीं हो रहा है, वह कब होगा मालूम नहीं इसलिए मान्यवर, मैं आपकी मार्फत यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज को आप पावर्स देना चाहते हैं और मंत्री महोदय हमारे डेमोक्रेटिक भी हैं, तो वह इस एक्ट में तब्दीली लायें और इसके लिए एक कमीशन नियुक्त हो, फाइनेन्शल मैटर्स में पावर्स का डिविजन हो। जैसे 50 हजार की शहर में प्रापर्टी हो तो उसके ऊपर 2 पर्सेन्ट टैक्स लगाये उसमें से म्युनिसिपैलिटीज को भी हिस्सा मिलना चाहिए। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स आज से दस साल पहले से लिया था और अब लगातार कीमतें बढ़ जाने के बाद उसकी आमदनी बहुत हो गयी है तो आप इसका पिछला तीन साल का एवरेज उनको भी दें। आक्ट्राय ड्यूटी का भी यही हाल है। इसने किसान लोग बड़े एजीटेटेड हैं। चुंगी हटाई गयी तो यहां भी मान्यवर तीन साल पहले फैसला हुआ था कि चुंगी को हटा देंगे और राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी और तीन साल की चुंगी को हटा देंगे। मैं समझता हूं कि चुंगी का सारा पेटर्न बदलने का आज मौका आ गया है और मंत्री महोदय चुंगी के सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या पालिसी है उनकी घोषणा करेंगे।

मान्यवर, दो शब्द गंगानगर के बारे में कहना चाहता हूं। जब से गंगानगर बसा उसमें न तो ड्रेनेज की स्कीम पास हुई, न झुग्गी झोंपड़ी के लिए जमीनें एक्वायर हुईं, पिछले पच्चीस साल में। वैसे के वैसे ही लोग बैठे हैं। गंगानगर की 'ए' क्लास म्युनिसिपेलिटी है और कम से कम 56 लाख की आमदनी है और हमारे यहां चेयरमैन साल में दो बार बदलते हैं। डिफेक्शन होता है, मैं खुद शर्मिंदा हूं कि यह मेरे इलाके में हो रहा है और मोचियों की जमीन, धोबियों की जमीन सब की सब बेच दी। धोबियों का घाट जहां पिछले 25–30 साल से था, वह जगह आपने नीलाम कर दी, धोबियों का मंदिर था उसकी जगह आपने नीलाम करदी। गांधी शताब्दी में ऐसे लोगों को प्लाट देने

(श्री केदारनाथ)

में उसके बावजूद भी आपने वहां की जमीन नीलाम करदी। यहां पर भी काफी एलीगेशन्स लगाये उसके लिए जांच माननीय मंत्री महोदय नियुक्त करेंगे लेकिन इस डिपार्टमेन्ट की यह स्थिति है। मेरा सजेशन है कि आप किसी को स्पेशल आफिसर नियुक्त कर दें कि जो यह काम करे। कहीं भी चेयरमैन के खिलाफ शिकायत आये तो लोकल बाडीज के तहत इस तरह की जांच न कराके आप उस स्पेशल आफिसर से करायें। गंगानगर की सबसे बड़ी म्युनिसिपेलिटी है और जब इन्डो-पाक लड़ाई हुई तो वहां की सड़कों पर बड़े व्हीकल्स चले तो हमने गवर्नमेन्ट से उनकी मेन्टीनेन्स की मांग की। लेकिन इस मद में बहुत कम पैसा मिला। अधिक मिलना चाहिए। बोर्डर की सबसे बड़ी मण्डी होने के नाते वहां कोई डवलपमेन्ट नहीं है, कामर्शियल मण्डी सबसे बड़ी है और आज उसकी क्या हालत है। गंगानगर में सफाई का कोई इन्तजाम नहीं और फिर आप मास्टर प्लान बनायें, एन्क्रोचमेन्ट को आप वाइप आउट करें और फिर नये ढंग से बसें--इतना बड़ा काम तो आप नहीं कर सकते इसलिए 50 हजार की आबादी जहां हो उसका मास्टर प्लान बन जाना चाहिए और फिर क्रैश प्रोग्राम भी। यह बातें मैंने म्युनिसिपैलिटीज के बारे में इसलिए कहीं कि आज म्युनिसिपैलिटीज के बारे में चर्चा चल रही है और मंत्री महोदय नयी हालात के मुताबिक नयी पालिसी की घोषणा जरूर करें और स्पेशल आफिसर नियुक्त करें तो अच्छी बात है। जहां जहां भी चेयरमैन के खिलाफ शिकायत हो स्पेशल आफिसर की मार्फत उसकी जांच हो।

एक बात और कहना चाहता हूं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के बारे में। जितनी जमीन भी आप लेण्डलेस को अलाट कर रहे हैं वह रिसोर्सलेस हैं। अगर हमने उनको साधन नहीं दिये तो वह कोई भी काश्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए राज्य सरकार उनको साधन दे, उनको मीन्स दे। अगर मीन्स नहीं दे पाये तो हमारी जो पालिसी है लैन्ड टू दी टिलर्स, हरिजन को अलाट करने की वह पालिसी फेल हो जायेगी। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जितनी भी जमीन आपने शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के लोगों को दी है 10 साल के अन्दर अन्दर वह करीब 8-9 लाख एकड़ जमीन होगी। ऐसा आप कहते हैं। तो क्या आपने कभी जांच करवाई है कि कितनी जमीन उनके कब्जे में है? कानूनी तौर पर गैर हरिजन के हाथ में वह जमीन नहीं जा सकती। हमारे पास तो इसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है उसके अनुसार करीब 95 परसेन्ट लोगों ने अपनी जमीन को मार्गेज कर दी है, बेच दी है। जो भूमिहीन हैं उनके कब्जे में जमीन नहीं है। इसका इन्तजाम आप क्या कर रहे हैं?

इसके अलावा मान्यवर, हमारे सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट की तरफ से हैंडीकैप के लिए और ओल्ड एज पेन्शन का जो इन्तजाम किया है वह भी हाफ हार्टेड है और इसका प्रॉसीजर बहुत टेढ़ा है, मुश्किल है। इसलिए मान्यवर जितनी भी विडोज हैं

(श्री केदारनाथ)
उनके पैंशन की व्यवस्था हो या न हो लेकिन उनके काम की गारन्टी होनी चाहिए। कोई न कोई काम उन विडोजको मिल जाये ताकि जो अडल्ट्रेशन और करप्शन की गुंजाइश है वह खतम हो जाये और उनकी लाइफ उससे बच सके। यह तरीका आपको बनाना चाहिए।

इसके अलावा मैं स्कॉलरशिप के लिए भी थोड़ासा कहूंगा। आपने बी.ए. और एम.ए. को स्कालरशिप देने के लिए लिखा है और यह कम से कम उन फेमिलीज के हैं जो कि पहले से ही रिसोर्सफुल हैं, जो कि 8 वीं क्लास पढ़कर छोड़ देते है, उनको स्कालरशिप की ज्यादा जरूरत है। जो शिड्यूल्ड कास्ट का पूवर तबका है, जो बिलो पावर्टी लाइन है उन बच्चों को स्कालरशिप की फेसेलिटी एक्सटेण्ड करें तब तो ठीक है। यह जो बी.ए. और एम. ए. के लड़के हैं वे ऊंची फेमिलीज के हैं इसलिए स्कोलरशिप का बेसिस बी. ए. और एम. ए. का नहीं होकर इकानामिक बेसिस होना चाहिए तो अच्छा हो।

अन्त में मैं डाक बंगलों के बारे में कहूंगा। दिल्ली में राजस्थान हाउस है जिसमें एम. एल. ए. ड्यूटी पर जाये तो ही ठहर सकते हैं और अगर उसके अलावा जाय तो नहीं ठहर सकते और यदि ठहरते हैं तो उनको पे करना पड़ता है। यह गलत चीज है। इसलिए मेरा सजेशन है कि राजस्थान हाउस में एक माह में दो दिन एम. एल.ए. के लिए रिजर्व रहना चाहिए, इतनी फेसेलिटीज उनको मिलनी चाहिए। और मान्यवर पूल की गाड़ियों के बारे में भी कहूंगा कि एम. एल. ए. को एक माह में दो दिन के लिए पूल की गाड़ी मिलनी चाहिए अगर एम. एल. एज. अपनी कान्स्टीट्यूऐंसी में घूमते हैं तो यह उनके साथ कोई पक्षपात नहीं है। आफिसर्स किस तरह से इसका नाजायज इस्तेमाल करते हैं, मैं अभी इस मामले में नहीं जाता, लेकिन एम.एल.ए. दो दिन के लिए अगर कांस्टीट्यूएन्सी में जाना चाहें तो उनको दो दिन के लिए पूल वेहिकल नहीं दे सकते। अभी अकाल पड़ा हुआ है और कहीं के भी एम.एल. ए. चाहे बीकानेर जाना चाहें, जैसलमेर या बाडमेर जाना चाहें, जयपुर के एम. एल. एज. वहां पर जाकर मौके पर स्थिति का अध्ययन करना चाहें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और दो तीन दिन के लिए पूल से उनको विहिकल मिल जाना चाहिए ताकि वे मौके पर जाकर स्थिति को देख सकें। उनकी जानकारी से सरकार को मदद मिलेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द जैन।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में 51-52 के अन्दर पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए एक विभाग बनाया गया था। उपाध्यक्ष महोदय, 55-56 में उसका नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया गया था। इस समाज कल्याण विभाग का जो कार्यक्षेत्र मोटे तौर पर रखा गया था कि पिछड़ी

(श्री फूलचन्द जैन)

जातियों के आर्थिक विकास का, शैक्षणिक विकास का, सामाजिक और उनके स्वास्थ्य सम्बन्धी आवास आदि का विकास कार्य करना और उनकी देखभाल यह विभाग करेगा। इसमें मुझे एक बात तो यह कहनी है कि जहां मैंने इस विभाग की रिपोर्ट को पढा है। पिछड़ी जातियों से हमने यह स्पष्ट तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को माना है। समाज के अन्दर और भी ऐसी जातियां हैं, और भी ऐसे वर्ग हैं जो इन दोनों के अन्दर कवर नहीं होकर के आज हमारे प्रदेश में और भी जातियाँ हैं। परन्तु इनके बारे में तो इसलिए यहां नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि जैसा कि इस रिपोर्ट से और आम तौर पर कार्यकलापों से लगता है, इस विभाग के दायरे के बाहर वे अपना काम मानते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की जन संख्या हमारे प्रदेश में 2.28 प्रतिशत है और उपाध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 46 के अन्दर यह राज्य सरकारों का दायित्व आ जाता है कि इन जातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास का काम राज्य सरकारें अपने दायित्व के तौर पर वहन करें। इसके समकक्ष ही जो धारा 244 है उसके अन्दर भी, उपाध्यक्ष महोदय, पिछड़े क्षेत्र के उत्थान का भार भी पूरी तरह से राज्य सरकारों पर आ जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग का जो प्रगति विवरण या उसके अन्दर जो कुछ भी अब तक इस विभाग ने काम किया है, मैं मानता हूं इस बात को कि हमने इस क्षेत्र में काफी काम किया है। पर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक सोशल अपलिफ्ट का, समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग के उत्थान का काम जो है वह हम उन लोगों के माध्यम से कर रहे हैं जो एक सोशल वर्कर, एक कनविक्शन के तौर पर, निष्ठा के साथ में उस समाज के उत्थान की भावना को सामने रख कर करें। हमारा यह विभाग, मैं ऐसा नहीं मानता कि जहां इन पर दायित्व अवश्य है परन्तु यह पूरा विभाग इस मनःस्थिति से काम करता हो। इसका अभाव नजर आता है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता पर दो तीन बातें कहना चाहता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में सन् 61 की जन गणना कराई गई थी उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का प्रतिशत आया वह था 6.43 और 3.16 जबकि उस समय अन्य जातियों का था 19.3। और सन् 71 के अन्दर भी मैं ऐसा सोचता हूं कि कोई बहुत अच्छी प्रगति हमने इस अनुपात में, जो कि दूसरों के बीच में इतना बड़ा फर्क है, उसको काफी हद तक दूर करने के अन्दर कोई अचिवमेंट किया हो, इस बारे में वैसे आंकड़े नहीं आए हैं।

इसी तरह से जो आज उनको शिक्षा की अधिक सुविधा से, सस्ते ढंग से मिल सके इसके साथ साथ में छात्रावास का जो कार्यक्रम विभाग द्वारा चलाया जाता है, विभाग की रिपोर्ट में उसका वर्णन दिया गया है, मैं ऐसा सोचता हूं कि और अधिक छात्रावास खोले जाने चाहिए जिससे कि हम अधिक अच्छे ढंग से इन जातियों के छोटे 2 बच्चों की शिक्षा का अधिक अच्छा प्रबन्ध कर सकें।

(श्री फूलचन्द जैन)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि सबसे मोटी बात यह है कि हम धन्धे के लिहाज से इन जातियों का किस प्रकार से उत्थान करने की बात सोचते है। इस रिपोर्ट में जो वर्णन दिया है 61 की जनगणना के अनुसार उसके अन्दर करीब करीब 72.20 और 87.88 परसेन्ट जो लोग हैं वे कृषि पर आधारित हैं और उसके साथ में सोशल वेलफेयर विभाग का 6.56 और अन्य घरेलू व्यापार का प्रतिशत 2.75 परसेंट है और जो दूसरे व्यापार आदि का कार्य है उसका प्रतिशत है 1.08 और 1.14। इसका मतलब यह है कि अधिकतर यह जो वर्ग है यह कृषि पर आधारित है। कृषि के बारे में, जिस पर कि 87 परसेंट और 72 परसेंट से अधिक भार है, उनकी स्थिति में, उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि आपने इन जातियों को काफी जमीन पिछले वर्षों में दी है। पर जैसा अभी प्रोफेसर केदारजी ने बतलाया कि उनके पास ऐसे साधन नहीं हैं कि जिससे जो कुछ थोडी बहुत भी जमीन मिले उसके ऊपर वह ठीक तरह से काश्त करके अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अगर वे चाहें सिंचाई के साधन बनाना और पांच हजार रुपये तक सहकारी बैंक से लेते हैं तो उसका ब्याज उनसे नहीं लेकर विभाग से लेते हैं। मैं समझ नहीं पाया, अगर मैं रेगिस्तानी क्षेत्र को बात करूं, मैं समझ नहीं सका कि पांच हजार रुपये के अन्दर क्या कोई कुंआ बन सकता है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करा सकता है। पांच हजार रुपये में क्या करेगा। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए रुपया देते हैं उससे उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे या नहीं। अगर वे पांच हजार में कुआ बना सकते हों तो पांच हजार दें लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि पांच हजार में शादी विवाह कर सकेंगे, कुंआ नहीं बना सकेंगे। फिर जब आप वसूली करेंगे तो वह आयेंगे कि हमारी किश्तें रोकी जायं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। यह तरीका गलत है और गलत तरीके को अपना कर हम उसमें उलझते हुए चले जायं यह अच्छी बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट को इस तरह से आर्गनाईज किया जाना चाहिए कि जिससे यह जो डिपार्टमेंट है, यह जो कुछ भी एक्टीविटिज चलाता है, उन एक्टीविटिज के अन्दर उन सोसायटियों को पूरी तरह से लाभ मिले। इस विभाग को अन्य विभागों की तरह से नहीं चला सकते हैं जैसे दूसरे विभाग चलाते हैं अलग 2 हैड्स रख दिये अलग 2 एलोकेशन कर दिये, रूटीन का प्रोसीजर बना दिया और फण्ड का अलाटमेंट कर दिया, इस तरह से करके हम सोसायटीज का अपलिफ्टमेंट नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय को कि इस विभाग को ठीक तरह से पुनर्गठित करें और पुनर्गठित करके इस विभाग के द्वारा लोगों को यह महसूस हो कि यह विभाग हमारी हर स्थिति के अन्दर मददगार के तौर पर हमारे

Page No 82

(श्री फूलचन्द जैन)

लिए काम करने की दृष्टि से है और कोई भी अफसर बैठता है तो वह हमारा वर्कर है और उनकी मदद से आगे बढाना चाहते हैं।

अब मैं थोडा म्यूनिसिपेलिटीज के बारे में भी दो चार बातें कहना चाहूंगा। म्यूनिसिपेलिटिज के बारे में मैं मोटे तौर पर यह कहना चाहूंगा कि जो बड़ी 2 सिटीज हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर हैं इनके बारे में तो चर्चा आती है या यह बात भी सही है कि आज जो छोटे 2 कस्बे है, गांव हैं उनके बारे में गम्भीरता से सोच कर सामुदायिक विकास योजनाओं के अन्दर और दूसरी योजनाओं के द्वारा उनका विकास योजनाओं के अन्दर और दूसरी योजनाओं के द्वारा उनका विकास भी करना चाहते हैं। पर जो ऐसे कस्बे हैं जहां पर छोटी 2, म्यूनिसिपेलिटीज हैं उनके लिए कोई डवलपमेंट का प्रोग्राम या प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार करके किसी भी ऐसी योजना के बारे में अभी तक न तो लोकल बाडीज डिपार्टमेंट के द्वारा कभी सोचा गया है और न ही इस बारे में कभी राज्य सरकार ने सोचा है कि इन कस्बों का विकास हम किस तरह से करना चाहते मैं चाहता हूं कि रूरल एरियाज के विकास के लिए, डवलपमेन्ट के लिए, जैसे बड़ी बड़ी सिटीज के डवलपमेन्ट के लिए सोचा जाता है, वैसे ही इन कस्बों का विकास म्युनिसिपेलिटीज के ऊपर छोड़ा गया है और राज्य सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जैसा म्युनिसिपल एक्ट है वह बड़ा डिफेक्टिव है। डवलपमेन्ट के लिए उनको कोई बहुत ज्यादा सुविधा दी गई हो, ऐसी बात भी नहीं है। अब मैं इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आर्थिक साधनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

म्युनिसिपेलिटी के अन्दर जो कृषि भूमि आ गई है वह कृषि भूमि रैवेन्यू डिपार्टमेन्ट के आधीन है। उन पर कोई मकान बना लेता है तो वे म्युनिसिपेलिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं। उनको आबादी में परिवर्तन करने के लिए, इस पर कार्यवाही करने के लिए म्युनिसिपेलिटी को अधिकार होना चाहिए। इस तरह के कई उदाहरण मेरे सामने आए हैं और उसके कारण प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। अतः मेरा निवेदन है कि इस बारे में एक बार बैठ कर, सामूहिक तौर पर सरकार को विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की जितनी भी रैवेन्यू की जमीन है वह म्युनिसिपेलिटीज को ट्रान्सफर कर दी जाए ताकि लेटर स्टेज पर, जो प्राब्लम्स आती है, वे दूर हो सकें।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपेलिटी के पास जो सबसे बड़ा सोर्स आफ इन्कम है वह जमीन को बेचने का। परन्तु चूरू जिले के अन्दर समझ में नहीं आता यह कैसी अजीब स्थिति है कि वहां पर म्युनिसिपेलिटी अपनी जमीन को नहीं बेच सकती है। कलक्टर ने उन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। पिछले कई वर्षों से म्युनिसिपेलिटी को यह अधिकार नहीं है। छोटे छोटे जो पीसेज आफ लैंड दस गज, चालीस गज उनको तो वह बेच सकती है, परन्तु जो उसके क्षेत्र में जमीन है उसको नहीं बेच सकती है। बढ़ती हुई आबादी को देख कर

(श्री फूलचन्द जैन)

जब हम लोगों को जमीन मुहैय्या नहीं कर सकते हैं तो कस्बों की क्या हालत होती है यह आप सब जानते हैं। इस प्रकार म्युनिसिपेलिटीज निर्धारित रेट पर जमीन को नहीं बेच पा रही है। सुजानगढ़ कस्बे के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कारण से वहां पर आठ-नौ हजार इन्क्रोचमेन्ट के केसेज हैं और जिनके ऊपर लोगों ने अनधिकृत तौर पर कब्जा कर रखा है। हम उनको जमीन नहीं दे सकते और जमीन नहीं दे सकते तो खाली पड़ी हुई जमीन पर वे कब्जा कर लेते हैं और यह कब्जा 10।15 साल से चला आ रहा है और इस प्रकार के 8।9 हजार केसेज हो गए हैं। सारे राजस्थान के अन्दर जैसा कि मैंने यहां पर पहले कहा था ऐसे केसेज भारी तादाद में हैं। एनक्रोचमेन्ट के केसेज हरेक म्युनिसिपेलिटी के अन्दर पड़े हुए हैं। अगर इन पर निर्णय ले लिया जाए तो करोड़ों रुपयों की आमद राज्य सरकार और म्युनिसिपेलिटी की हो सकती है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेन्ट को इस पर गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो टाउनप्लानिंग डिपार्टमेन्ट है वह बड़े बड़े शहरों के लिए तो ठीक है। बड़े बड़े शहरों में टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का मोटे तौर पर दखल होना चाहिए, प्लानिंग के लिहाज से उसका दखल होना चाहिए। परन्तु जरा सी जमीन बेचने पर भी प्लानिंग डिपार्टमेन्ट का दखल हो रहा है और इसका दफ्तर है बीकानेर शहर के अन्दर। एक एक मिसल के लिए बीकानेर जाना पड़ता है। समय पर वे मिल नहीं पाते हैं और लोगों को बार बार वहां जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी अजीब स्थिति पैदा हो गई है कि टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट की स्वीकृति के बिना कोई भी जमीन का टुकड़ा म्युनिसिपेलिटी नहीं बेच सकती है। इसलिए टाउन प्लानिंग का यह जो ज्युरिसडिक्शन छोटी छोटी नगरपालिकाओं के लिए भी कर रखा है वह हटाया जाना चाहिए वरना उपाध्यक्ष महोदय, इस विभाग के अधिकारियों को अपने एरिया के अन्दर दौरा करना चाहिए और एक निश्चित टाइम के अन्दर वे वहां की फाइलों का डिस्पोजल कर दें और इसके लिए तरीका व्यवहारिक रूप का होना चाहिए। जैसे सुजानगढ़ नगरपालिका कोई लम्बी चौड़ी नगरपालिका नहीं है और न उसका कोई मास्टर प्लान ही है। वहां पर टाउन प्लानिंग का कोई काम नहीं है फिर भी टाउन प्लानिंग विभाग की स्वीकृति को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। इससे निश्चित ही वहां के लोगों की परेशानियां बढ़ जाती है। अगर यह जरूरी है तो सरकार को म्युनिसिपेलिटी और टाउन प्लानिंग डिपार्टमेन्ट के बीच में कोआर्डिनेशन बिठाना चाहिए। वैसे किसी हद तक म्युनिसिपेलिटी की मिसलें एस. डी. ओ. और कलेक्टर तक जाती हैं। इसलिए इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं को जो मनोरंजन कर दिया जाता है वह 1951 की रेवेन्यु के आधार पर दिया जाता है। 1951 के बाद इन पिछले 20/22 वर्षों में

(श्री फूलचन्द जैन)

मनोरंजन कर से सरकार की आमद बढ़ी है परन्तु नगरपालिकाओं का जो शेयर है वह 1951 के आधार पर ही दिया जा रहा है। इसलिए नगरपालिकाओं को मनोरंजन कर का बढ़ा हुआ हिस्सा मिलना चाहिए। आज अधिकतर नगरपालिकाएं घाटे में चल रही हैं और उनके अपने विकास के या आमद के कोई साधन नहीं हैं•••

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

•••केवल एक मिनिट। अगर हम यह चाहते हैं कि नगरपालिकाएं घाटे में नहीं चलें तो उनके डवलपमेन्ट के पाइन्ट आफ व्यू से मनोरंजन कर को प्रपोरशनेटली बढ़ाना चाहिए। यह एक गंभीर सवाल है और इसके बारे में सरकार को गंभीरता के साथ विचार कर निर्णय लेना चाहिए। इसी तरह से मोटर व्हीकल्स टैक्स का जो हिस्सा मिलना चाहिए वह भी म्युनिसिपेलिटीज को नहीं मिल रहा है। इस तरह यह जो म्युनिसिपेलिटीज की रोजाना की तकलीफ है उसके ऊपर सरकार को कोई पोलिसी डिसीजन लेकर इन छोटी मोटी तकलीफों को दूर करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती निर्मला कुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, विविध सामाजिक कार्यो पर जितनी धनराशि व्यय की जा रही है वास्तव में उसका सही लाभ पिछड़े हुए लोगों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है इसका चित्रण करना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। प्रश्न यह उठता है कि पिछड़ा हुआ वर्ग किस को कहें? राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है इसलिए कुछ ही जन संख्या को छोड़ कर समस्त व्यक्ति पिछड़े हुए वर्ग में आते हैं? निःसन्देह समाज कल्याण विभाग ने इस क्षेत्र में काफी कार्य किया है और पिछड़े हुए वर्गों को दो मुख्य समुदायों में विभक्त किया है। एक तो वह सामान्य व्यक्ति, जो सदियों से उपेक्षित रहा है अर्थात् अनुसूचित जाति और जन जाति के व्यक्ति और दूसरे असामान्य व्यक्ति अर्थात् शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से बाधित व्यक्ति। इन लोगों के लिए समाज कल्याण विभाग ने क्या कार्य किये हैं, उनके बारे में मैं कुछ अपने सुझाव यहां पर व्यक्त करना चाहूंगी।

आज राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की जो जन संख्या है वह काफी अधिक है जिसका प्रतिशत 28 है। इतनी बड़ी जन संख्या सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई रहेगी तो एक बहुत बड़ी खाई होगी और इस खाई के कारण हमारा समाज, हमारा प्रदेश विकास के ऊपर नहीं बढ़ सकता है।

समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुविधायें दी गई हैं। राजकीय स्तर पर करीब 133 और निजी संस्थाओं द्वारा 131 छात्रावास चलाए जाते हैं। निजी संस्थाओं को सरकार की ओर से करीब 90 प्रतिशत ऐड दी जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी धनराशि देकर

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

के हम इन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ? निजी संस्थाओं द्वारा इन बच्चों का शोषण किया जा रहा है। कई तरह की फीस उनसे ली जाती है। उनको न समय पर ठीक प्रकार से भोजन मिलता है और न उनको ठीक प्रकार के कपड़े ही दिये जाते हैं। इस प्रकार की वस्तुएं खरीद ली जाती हैं जिनका कि होस्टल में कोई उपयोग नहीं होता है और निकृष्ट वस्तुएं खरीद ली जाती हैं। इस तरह से बच्चों को छात्रावास में न अन्य किसी तरह की सुविधाएं ही दी जा रही हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि ये जो निजी संस्थाओं द्वारा छात्रावास चलाए जा रहे हैं उनको तुरंत ही राज्य को अपने हाथ में ले लेना चाहिये क्योंकि इतनी बड़ी धनराशि को व्यय कर के भी हम इन के बच्चों के भविष्य को नहीं सुधार पा रहे हैं, इनका विकास नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही इन छात्रावासों के बारे में भी एक और बात कहनी है। हम इस अलगाव के सिद्धांत को कहां तक चालू रखेंगे। अनुसूचित जाति और जन जाति के बच्चों को हम सामान्य बच्चों के साथ मिक्स अप नहीं होने दे रहे हैं। इस प्रकार से अलगाव का सिद्धांत कायम रखेंगे तो कई पीढियों तक इस खाई को नहीं पाट पाऐंगे इसलिये इस अलगाव के सिद्धांत को छोड़ कर सामान्य बच्चों के साथ ही अनुसूचित जाति और जन जाति के बच्चों के भी रहने को सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिये।

छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है यह सराहनीय कदम है। बेरोजगार स्नातक और स्नातकोत्तर को यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह आवश्यक है, वह अवश्य ही दी जानी चाहिये। बेकारी का जो अजगर है वह इन लोगों से भी दूर नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है वह ठीक है वरना इनमें भी फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है और इनमें इतनी प्रगति का जो कार्य हुआ है उसकी गति रुक जाती है।

अब मैं एक ही बात कहना चाहती हूं कि छात्रवृत्तियां दी जाती है अनुसूचित को देखकर। आज समाज में बहुत से ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो बहुत अधिक पिछड़े वर्ग से आये हैं, परन्तु वह अनुसूचित की परिभाषा में नहीं आते, अनुसूची में उस जाति का नाम वर्णित नहीं है तो यह अनुसूची पूर्णतया डिफेक्टिव है। इसमें कई ऐसे पिछड़े हुए वर्ग, पिछड़े हुए समूह का नाम नहीं आया और साथ हीं कुछ ऐसे समूहों का भी नाम है जो कि आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नहीं हैं। इसलिए अनुसूची में पूर्णतया परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

जमीन का जो आवंटन किया गया है यह भी एक अच्छा ही कदम है, परन्तु मुझे यह देखने को मिला है कि कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जमीन पर कब्जा नहीं मिला है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र चित्तौडगढ़ में गांधी शताब्दि के अन्तर्गत कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को चन्देरिया के पास वहां की भूमि का आवंटन किया गया, परन्तु उसका कब्जा उनको नहीं मिला है। तो समाज कल्याण विभाग का कर्तव्य यह होना

(श्रीमती निर्मला कुमारी)
चाहिये कि जिन लोगों को भूमि का आवंटन होता है उनकी तुरंत देख-रेख करे परन्तु होता क्या है कि समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आफिस तक ही अपना कर्त्तव्य सीमित रखते हैं, केवल फाइलों और कागजात पर ही अंकुश रखते हैं, वह यह नहीं देखते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों का पुनर्वास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी गति किस तरह से चल रही है।

जिन लोगों को जमीन का आवंटन किया जाता है वह दिन प्रति दिन की आवश्यकताओं के लिये जमीन को या तो उसको बेच देते हैं या गिरवी रख देते हैं जब तक उनको आर्थिक सहायता नहीं दी जायगी-खाद, बीज कृषि के यन्त्र या उपकरणों के लिये तब तक हम यह सोचेंगे कि केवल जमीन का एलाटमेंट करने से ही विकास हो जायगा वह अभी भी नहीं हो सकेगा।

बच्चे सभी की आशाओं के केन्द्र हैं, मानवता के आधार हैं। उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिये पौष्टाहार केन्द्र स्थापित किये गये हैं, परन्तु उन पौष्टाहार केन्द्रों की संख्या, जो है वह केवल 355 हैं इतने बड़े प्रान्त के लिये यह संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन पौष्टाहार केन्द्रों में भी कई प्रकार की अनियमितताएं होती हैं। कोई भी पौष्टाहार के लिये पदार्थ खरीद लिये जाते हैं जो कि पुराने होते हैं या बच्चों के स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद नहीं होते हैं कई बार एक ही चीज बार बार बच्चों को दी जाती है जिससे वह मानसिक रूप से बच्चों में उससे मोनोटोनी हो जाती है, तो स्थिति को बदलकर जो पौष्टाहार की वस्तुएं या पौष्टिक तत्व बदल बदल कर दिये जाने चाहिये।

इसके अतिरिक्त एक और बात मुझे निवेदन करना है वह यह है कि अस्पृश्यता का जो कलंक है वह अभी हमारे समाज से नहीं उठा है। चाहे 1955 में अस्पृश्यता विरोधी कानून बना दिया हो। आज भी हमें अस्पृश्यता के उदाहरण देखने को मिलते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र, चित्तौडगढ में हाई स्कूल में एक हरिजन अध्यापक, जो हरिजन कास्ट से है, उनका पानी का मटका अलग रहता है इसके साथ-साथ एक और चीज देखने को मिली कि चित्तौडगढ महा विद्यालय में एक व्याख्याता समाज-शास्त्र के हरिजन नियुक्त किये गये। उनके साथ जो अभद्र व्यवहार पी. डब्ल्यू. डी. के, जो कर्मचारी थे, उनके द्वारा किया गया उसका मुकदमा चल रहा है परन्तु अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस प्रकार से यह कलंक शिक्षित लोगों में भी बना हुआ है। एक उच्च स्तर के व्यक्ति हैं उनके साथ में इस प्रकार का भेदभाव का व्यवहार किया जाता है तो एक सामान्य व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है। उनके बारे में तो केवल कल्पना ही कर सकते हैं।

समाज कल्याण विभाग शारीरिक रूप से जो असामान्य व्यक्ति हैं उनके लिये क्या क्या किया है उनके बारे में संक्षिप्त रूप में कुछ कहना चाहूंगी। शारीरिक रूप से जो शिथिल हो जाते हैं, वृद्ध व्यक्ति जो हैं उनके

Page No 87

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

लिये जो पेन्शन की व्यवस्था की गई है, वह केवल 30 रुपया है जो अपर्याप्त है। रशिया में 50 रूबल तक एक व्यक्ति पर खर्च किया जाता है जब कि हमारे यहां बहुत ही कम रहता है। इसकी ओर ध्यान देंगे। मैं तो यही सुझाव देना चाहती हूं कि धनराशि देने के बजाय यदि हम वृद्धगृहों का निर्माण करें जहां पर वृद्ध शारीरिक रूप से और चिकित्सा संबंधी सुविधाएं प्राप्त कर सकें और खाने पीने की उनकी व्यवस्था हो सके शैक्षणिक व्यवस्था हो सके, तो यह अधिक उपयुक्त होगा।

बाधित व्यक्तियों में अन्धे, गूंगें, बहरे और विकलांग आते हैं। प्राचीन समय में दैवी प्रकोप समझकर मरने के लिए उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता था, परन्तु आज स्थिति बदल गई है। आज समाज कल्याण विभाग द्वारा उनको सुरक्षा दी गई है, परन्तु उस सुरक्षा से हमें सन्तोष नहीं है आज अन्धे व्यक्तियों को हम देखें एक सैम्पल सर्वे के आधार पर तो विश्व में 1 करोड़ 40 लाख व्यक्ति अन्धे हैं जबकि हमारे भारत में उनकी संख्या 50 लाख है। यदि इतनी बड़ी संख्या हमारे देश में ही उपलब्ध है तो फिर राजस्थान में इसकी संख्या जो है उसका रेकार्ड एवेलेबल नहीं है, काफी होगी। तो यह अन्धापन जो है उसको दूर करने के लिए भी प्रयत्न किया जाना चाहिये। अन्धापन का मुख्य कारण है खाद्य-पदार्थों में मिलावट, पौष्टिक आहारों का अभाव, शुद्ध जल व वातावरण का नहीं मिलना और समय पर ठीक इलाज नहीं होना। इसके लिये जो है समाज कल्याण विभाग की ओर से इन कार्यों की रोकथाम के लिए इस ओर प्रयत्न किया जाना चाहिये।

अन्धे व्यक्ति बहुत कुछ समाज में कर सकते हैं। ब्रेल लिपि के मुताबिक उनका चहुमुखी विकास किया जा सकता है। इलेक्ट्रोनिक उपकरणों के माध्यम से इनका जीवन ही बदल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का इस्तेमाल अन्धे व्यक्तियों के लिए करें तो सम्भव है कि हम इनके जीवन को बदल सकते हैं। गूंगे और बहरे व्यक्ति भी समाज के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं यदि उनकी तरफ ठीक तरह से ध्यान दिया जाये तो। बम्बई में सेंट स्टीफेन्स नामक एक स्कूल है वहां ऐसे यन्त्र लगे हुए हैं कि उन पर गूंगे और बहरे बच्चों को सुनने और बोलने का अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। गूंगे और बहरे, जो बच्चे हैं, वह समाज के क्रियाशील सदस्य बन सकें, समाज के उपयोगी अंग बन सकें इसके लिये समाज-कल्याण विभाग को क्रियाशील होना चाहिये।

विकलांग व्यक्ति भी बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, जैसा कि हैलन लीकर का उदाहरण हैं हमारे सामने है कि विकलांग होते हुए भी समाज के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसी स्थिति में हमारे यहां जो विकलांग व्यक्ति हैं उनकी समुचित व्यवस्था की जाय तो वह समाज के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। एसिया में एक विकलांग व्यक्तियों की वर्कशोप है उसमें 40 करोड़ रूबल प्रतिवर्ष आमदनी होती है, परन्तु हमारे यहां की

(श्रीमती निर्मला कुमारी)

व्यवस्था में इतना अधिक विकास नहीं हुआ है जिससे कि विकलांग व्यक्ति समाज के ऊपर भार न बने रह सकें और समाज के उपयोगी अंग बन सकें। कृत्रिम उपकरण खरीदने के लिए विशेष प्रकार का अनुदान दिया जाना चाहिये।

सबसे पहली बात तो यह है कि विकलांग व्यक्ति क्यों होता है इनके ऊपर भी राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाया जाना चाहिये। विकलांग होने का मुख्य कारण लकवा, पोलियो, लेप्रोसी या कुष्ट रोग है। इनकी रोकथाम के लिए विशेष तौर से प्रयत्न होने की आवश्यकता है।

मानसिक रूप से जो बाधित व्यक्ति हैं उनकी ओर भी बहुत ही कम ध्यान राजस्थान में दिया गया है। मानसिक जो बाधित हैं इनका एक प्रकार तो यह है कि जन्मजात बाधित होते हैं और वह जो एक प्रकार का लकवा हो जाने की वजह से बाधित हो जाते हैं (समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनट और लूंगी यदि, उपाध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा दें तो इसको समाप्त करने में।

तो इसके इलाज की व्यवस्था होनी चाहिये। अमेरिका और जापान में इस प्रकार का इलाज शुरू हो गया है। मद्रास में भी इस ओर कुछ प्रयत्न किया गया है। जो बाद में मानसिक रूप से बाधित हुए हैं, लकवे की वजह से उनको ढूंढकर उनका इलाज करना समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का कर्तव्य है। ऐसे बच्चों को ढूंढकर उनका इलाज करवाया जाय ताकि इस प्रकार की जो परेशानी है वह समाज से हटाई जा सके।

अब मैं सामाजिक रूप से जो बाधित है, इस पाइन्ट पर आती हूं। इसके अन्दर भिक्षुक लोग आते हैं। यह हमारे समाज के लिए कलंक है। जयपुर के स्टेशन पर आते हैं तो वे इस तरह से पीछे लग जाते हैं कि हमें यह तक नहीं देखने देते हैं कि हमारा सामान कहां है ? यद्यपि भिक्षा निवृत्ति निरोधक कानून अन्य राज्यों में लागू कर दिया गया है। लेकिन राजस्थान में अभी तक लागू नहीं किया गया है। इस प्रकार से यहां पर भी भिक्षावृत्ति निरोधक कानून लागू किया जाये रिसिविंग सेन्टर हो वहां भिखारी पकड़ कर लाये जायें इन लोगों में जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हों, उनको मानसिक चिकित्सा के लिए भेजा जा सकता है। शारीरिक रूप से जो बाधित हों, उनको शारीरिक चिकित्सा के लिए भेजा जा सकता है। इसी प्रकार से जो बच्चे भिक्षावृत्ति के लिए तैयार किये जाते हैं, उनका भी समाज में उपयोग किया जा सकता है। बाल अपराध रोकने के बारे में जयपुर और अजमेर में ही प्रयास किया गया है। बाल अधिनियम अभी राजस्थान में लागू नहीं किया गया है। मॉरल एण्ड सोशल हाईजिनिक सेन्टर्स एण्ड आफ्टर केयर सेस के लिए 30 लाख 25 हजार की धनराशि रखी गई है। हम विवेचन करें तो वहां उनकी व्यवस्था ठीक नहीं है। अजमेर सेन्टर ले लें तो वहां पर पूर्ण सन्तोष हो सके, ऐसी स्थिति नहीं है। जो अनाथ और साधनहीन बनते हैं, जो वास्तव में विशेष परिस्थितियों से परेशान हो गये हैं वे बच्चे पशुवत् जीवन व्यतीत

Page No 89

(श्रीमती निर्मलाकुमारी)

कर रहे हैं, उनके लिए राजस्थान सरकार ने कुछ किया हो तो वह समुद्र में बूंद के बराबर है। जो प्राईवेट अनाथालय चल रहे हैं, उनको समाप्त किया जाना चाहिये। वह बेण्ड बाजे के साथ में बच्चों से भीख मगवाते हैं। उन बच्चों का वह शोषण करते हैं। जितने भी अनाथालय हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिये। इन अनाथालयों में जो अधिकारी नियुक्त किये जायें, वह बाल मनोविज्ञान के विशेषज्ञ होने चाहियें। इसके साथ-साथ निरीक्षक भी होने चाहियें जो समय-समय पर अनाथालयों में जाकर देखें कि बच्चों का भविष्य किस प्रकार बनाया जा रहा है। उनका भविष्य बिगाड़ा तो नहीं जा रहा है। इस प्रकार से किया जायेगा तभी सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उनको सुधार सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग में वैसे तो राजस्थान सरकार की तरफ से और भारत सरकार की तरफ से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लिए और पिछड़े हुए वर्ग के लिए लाखों रुपया खर्च होता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने कई छात्रावास खोले हैं। मैं उसके बारे में कुछ निवेदन करूंगा। कुछ तो सरकारी छात्रावास हैं, और दूसरे अनुदानित छात्रावास हैं। गत वर्ष तक 99 छात्रावासों के निरीक्षण हुए। बाकी छात्रावासो के निरीक्षण नहीं हुये हैं। जिनमें निरीक्षण हुआ है, उनमें पाया गया है कि कई गड़बड़ियां हुई हैं। छात्रावासों में बच्चों को पेटभर कर खाना नहीं मिलता है। स्टेशनरी, पुस्तकें आदि नहीं मिलती हैं। मैं थोड़े से उदाहरण दूं। पिछले तीन साल में जो राजस्थान सरकार ने जांच की है, उसमें 27 व्यवस्थापकों को निलम्बित किया गया है। उन पर गम्भीर आरोप थे। आरोप ये थे कि व्यवस्थापक छात्रावासों में शराब रखते थे। छात्रावासों में शराब पीते थे। उनमें गम्भीर अनियमितताएं व गबन पाया गया। इसलिए उनको निलम्बित किया गया है उनमें चोरियां की, बच्चों के पेट काट कर अपना घर भरा। ऐसे उन व्यवस्थापकों को वापिस उन्होंने बहाल कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय आपके द्वारा मैं निवेदन करता हूं कि जिन पर इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, उनको वापिस बहाल कर दिया है। ऐसे व्यवस्थापक रखते हैं, जो खुद शराबी हैं। बच्चों का पेट काट कर अपने परिवार का पेट भरते हैं। आटा-दाल ले जाते हैं फिर भी उनको रखा जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, 121 अनुदानित छात्रावासों में 90% अनुदान मिलता है। वहां हफ्ते में एक दिन दो, दिन बच्चों को छुट्टी दे देते हैं। उनको हाजिरी भर ली जाती है। इस प्रकार जो बचत होती है, उससे व्यवस्थापक अपने परिवार का पोषण करते हैं। इसलिए जितने भी छात्रावास चल रहे हैं, आदिवासी क्षेत्र में या जहां जहां चल रहे हैं, वह सरकार अपने हाथ में ले। इससे बच्चों का पोषण न होकर दूसरे लोगों का पोषण होता है। उनको वहां से हटा कर सरकारी छात्रावास खोलना चाहिए और हर साल वहां आडिट होना चाहिए। रसीदों से आडिट होता है। मौके पर आडिट नहीं होता है। दरअसल मौके

(श्री नाथूराम)

पर ग्राडिट हो तो समय पर खाद्य सामग्री नहीं मिलेगी। जो भोजन दिया जाता है, वह भी समय पर नहीं दिया जाता है। बिल बनाते हैं, समय पर कपड़े भी पहनने के लिए नहीं दिये जाते हैं। उन भोलेभाले बच्चों की सरकार व्यवस्था करें। इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पोषाहार कार्यक्रम है, वह एक पवित्र कार्य है। मैं ने गत वर्ष निवेदन किया था, कोटा में 28 हजार किलो गुड़ एक ग्रधिकारी ने खरीदा। वह गुड़ उपाध्यक्ष महोदय ऐसा था कि जानवर भी इसको नहीं खा सकते थे। डाक्टर की ऐसी रिपोर्ट है। ऐसा गुड़ दुर्बल महिलाग्रों को ग्रौर बच्चों को दिया जाता है। जहरीला गुड़ भोलेभाले बच्चों ग्रौर महिलाग्रों को दिया गया था। उस वक्त माननीय मन्त्री महोदय ने बताया था कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। लेकिन मुझे मालूम हुग्रा है कि ग्राज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है, उनको कोई सजा नहो हुई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सरकार या समाज कल्याण विभाग द्वारा कार्यवाही चले तो व्यवस्था ठीक हो सकती है। लोगों को राहत मिलनी चाहिए। समाज कल्याण विभाग की ग्रोर से पानी की व्यवस्था के लिए ग्रौर उत्पादन के लिए लोगों को पैसा दिया गया है। जो पैसा बांसवाड़ा क्षेत्र में दिया गया है उसका सही उपयोग नहीं हुग्रा है। पैसा तो बांट दिया जाता है। मौके पर सही इन्कवायरी नहीं होती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि किसी भी तरफ से धनराशि खर्च हो उसकी बराबर जांच होनी चाहिए। किसी ग्रधिकारी ने ग्रगर दुरुपयोग किया है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। किन्तु ग्राज भी वही हाल है जो पहले था। जो पीने के पानी का पैसा ग्राता है, तो बड़े बड़े कस्बों में दिया जाता है। जहां ग्रादिवासी या हरिजन रहते हैं, वहां पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता है। इसी तरह से बिजली का पैसा भी समय पर हरिजनों के मुहल्लों पर खर्च नहीं होता है। इसलिए सरकार से निवेदन करता हूं, जो भी पिछड़े वर्ग के लिए धनराशि ग्राती है उसकी समय पर ठीक व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी तरह से बेरोजगारी के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देता हूं। सरकार एक तरफ कहती है, ग्रादिवासी ग्रौर पिछड़े वर्ग के लड़के पढ़े लिखे नहीं मिलते। मैं कुछ ग्रांकड़े बता देना चाहता हूं। सरकार ने एक स्पेशल सेल कायम किया है, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी दिलाने के लिए है, उसमें 22 कर्मचारियों का ग्रमला है। वह ग्रसफल सिद्ध हुग्रा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापको बताऊं कि 31-12-72 को राजस्थान में मैट्रिक ग्रनुसूचित जाति के 2181 व्यक्ति थे, ग्रौर ग्रनुसूचित जन-जाति के 982, हायर सैकेण्ड्री 1804 ग्रनुसूचित जाति के ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के 583। इसी तरह से बी. ए. ग्रनुसूचित जाति के 471 ग्रौर ग्रनुसूचित जन-जाति के 186। एम. ए. ग्रनुसूचित जाति के 155 ग्रौर ग्रनुसूचित जन-जाति के 101। मैट्रिक से कम 16368 ग्रनुसूचित जाति के ग्रौर ग्रनुसूचित जाति के 4688। इस तरह से कुल योग 20979 ग्रनुसूचित जाति के व्यक्ति बेरोजगार हैं ग्रौर ग्रनुसूचित जन जाति के 6542

(श्री नाथूराम)

व्यक्ति बेरोजगार हैं। 1971 के अन्दर अनुसूचित जाति के नियोजन कार्यालय के माध्यम से 1687 काम पर लगे थे और अनुसूचित जन-जाति के 568। 1972 में 1566 अनुसूचित जाति के और 466 जन जाति के काम पर लगे। यह कमी सैल के कारण हुई। इस तरह से बेरोजगार व्यक्ति मारे मारे भटकते फिरते हैं, सरकार की तरफ से सैल कायम है, रोस्टर प्रणाली कायम है, वह नौकरी पर लगाने की ठीक व्यवस्था नहीं कर सकती। मैं निवेदन करता हूं कि बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसको दूर करना चाहिए। स्पेशियल सैल खत्म किया जाना चाहिए।

इसी तरह से सरकार ने उदयपुर में ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट खोल रखा है वहां एक प्रिन्सिपल हैं। जावर माइन्स का सर्वे कराया, और दूसरे व्यक्ति से सर्वे कराया और उनकी पत्नी के नाम से टी. ए., डी. ए. उठाया। आदिवासियों का नाम लेते हैं और दूसरे लोग अपना पेट भरते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आदिवासियों के नाम से आप केवल कागजों में कार्यवाही न करें, मौके पर कोई सर्वे हो या कोई कार्य हो, वह आदिवासी क्षेत्र में जो काम कर सकते हैं उन लोगों को लगाना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं लगाना चाहिए जो झूठे बिल बना कर पैसा उठायें।

पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां आदिवासी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी शिक्षा के लिए और छात्रावास के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च होना चाहिए, और पीने के पानी की व्यवस्था में, उत्पादन के कार्यों में हर तरह से ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि झूठे बिल बना कर दूसरे लोग अपना पेट भरें।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के लिये और भी कहीं पैसा खर्च हो रहा है, बांसवाड़ा जिले में, वहां ट्राइबल एरिया है। वहां राज्य सरकार की तरफ से, केन्द्र की तरफ से पैसा मिलता है। वहां के लोगों को मजदूरी पर लगाना है। भुखिया क्षेत्र ऐसा है, जहां 99 पर्सेन्ट आदिवासी हैं। इनमें से बी.ए. भी हैं लेकिन नौकरी के लिए मारे मारे फिरते हैं। उनको नौकरी पर नहीं लगाया जाता है और दूसरों को लगाया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में जो स्कूल हैं, छात्रावास हैं वहां आदिवासी लड़कों को नहीं लगाया जाता है। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने रिजर्वेशन कर दिया, 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन, लेकिन समाज कल्याण विभाग में इसकी पूर्ति नहीं हो रही है। इसका समाज कल्याण विभाग में भी पालन नहीं हो रहा है, नियोजन कार्यालय में पालन नहीं हो रहा है। मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करता हूं, समाज कल्याण विभाग को सर्वे करानी चाहिए, किस विभाग में कितने रिक्त स्थान हैं, उनमें 28 पर्सेन्ट का बराबर पालन कराना चाहिए...

श्री रामनारायण चौधरी : प्रमोशन।

श्री नाथूराम : प्रमोशन में गड़बड़ी होती है। प्रमोशन उन लोगों का नहीं होता है जो पिछड़े हुए वर्ग के लोग होते हैं उनका नहीं होता है और दूसरों का प्रमोशन

(श्री नाथूराम)

हो जाता है। जो वेकेन्सी निकलती है, उनकी समय पर व्यवस्था नहीं होती है, समय पर प्रमोशन नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासी लड़कों के लिए एज्यूकेशन के डाइरेक्टर यह कहते हैं, एम.एससी. नहीं मिलते हैं। कई आदिवासी लड़के बी.ए. हैं, एम. एस सी. और एम. ए. हैं, उनके सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग को परवाह नहीं है कि उन्हें कहीं पर नौकरी पर लगाया जाय। आदिवासी लड़के विज्ञान की शिक्षा को प्राप्त किये हुए अच्छे डिवीजन के नहीं मिलते हैं। ऐसी बात है, तो डिवीजन की जो व्यवस्था है उस डिवीजन के सिस्टम को हटा दिया जाय जिससे उन लड़कों की नियुक्ति हो सके और सर्विस में लग सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के साथ कई तरह की ज्यादती हो रही है। जैसा मैंने पिछले समय बताया था, समाज कल्याण विभाग के चाहे कानून सरकार ने अच्छे बनाये हों, जैसे सागड़ी प्रथा का कानून बनाया है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में हजारों की तादाद में सागड़ी हैं लेकिन समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कोई सर्वे नहीं की गई है, सौ सौ रुपये में आदिवासी अपने बच्चों को काम पर रखते हैं, ब्याज के पेटे में काम करते हैं और मूल रकम वापिस देनी पड़ती है। मैं आपके द्वारा समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करता हूं, आपके विभाग द्वारा, जहां पर सागड़ी प्रथा जारी है, वहां की जांच होनी चाहिए, और जो लोग सागड़ी में, काम कराते हैं लड़कों से, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। आज सौ दो सौ रुपये के ब्याज के पेटे काम करते हैं, रोटी के लिए काम करते हैं और साल दो साल में जब हटते हैं तो उन्हें रुपया वापस देना पड़ता है। सागड़ी प्रथा जहां जारी है, वहां के बारे में मंत्री महोदय बतायें कि आज तक आदिवासी क्षेत्र में कितने व्यक्तियों के ऊपर सागड़ी प्रथा के सम्बन्ध में कार्यवाही करके सजा दिलाई है।

इसी तरह से छुआछूत के केसेज हैं। आज हरिजनों के साथ वहां पर छुआछूत का व्यवहार चल रहा है। जैसा पिछले समय मैंने निवेदन किया था, आज उनके पीने के पानी के कुए अलग बनाते हैं, सार्वजनिक पैसा लगता है, सरकार की तरफ से लेकिन दूसरे लोग उनको पानी नहीं भरने देते हैं। जहां जल व्यवस्था नहीं है, वहां हरिजनों के लिए कुओं की योजना है, लेकिन वह वहां से पानी नहीं भर सकते। मैं निवेदन करता हूं कि आपको विभाग के द्वारा यह जांच करनी चाहिये कि पिछड़े हुए क्षेत्रों में हरिजनों के साथ जो ज्यादती हुई, उसके लिए कितनों को आपने सजा दिलाई। मैं आपको बताऊं कि पिछड़े हुए लोगों के साथ आज भी सामाजिक रीति रिवाज के कारण, पीने के पानी के लिए और सब तरह से छुआछूत का व्यवहार चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाज कल्याण मंत्री जी से निवेदन करता हूं, आपको सबकी डिटेल में सर्वे करानी चाहिए और कानून का पालन कराना चाहिये। आपने आदिवासियों और हरिजनों के लिए अच्छे अच्छे क्रान्तिकारी कानून बनाये हैं, लेकिन वह कागजों में ही नहीं रहें। आपने कानून बनाया कि आदिवासियों की जमीन कोई

(श्री नाथूराम)

खरीद नहीं सकता लेकिन हर तहसील का मैं उदाहरण दे सकता हूं। दूसरे लोगों ने उनकी काश्त की जमीन खरीद ली और तहसीलदार कुछ नहीं कर रहे हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर डिवीजन में तहसीलदारों ने आदिवासियों की जमीन की रजिस्ट्री की है। मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं कि या तो क्रांतिकारी कानून मत बनायें और यदि बनाते हैं तो उनका पालन करायें जिससे लोगों की हालत में सुधार हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं कुछ बांसवाड़ा जिले में विविध डिमांड के बारे में कुछ सुझाव और देना चाहता हूं। आज बांसवाड़ा जिले में ऐसी व्यवस्था चल रही है कि वहां प्राइवेट बस मालिकों को परमिट मिल जाते हैं। आज वहां बहुत धांधली पट्टी चल रही है। पुलिस वाले और यातायात विभाग के कर्मचारी रिश्वत खाते हैं। बकरी के समान लोग बस में यात्रा करते हैं। वहां ओवर लोड बसें चलाई जाती हैं। अगर उन बस मालिकों के खिलाफ शिकायत करते हैं तो उनसे पैसा खाकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। मणिलाल सुनार व उसके परिवार को दस बारह परमिट मिले हुए हैं, एक व्यक्ति को दस बारह परमिट मिलें फिर भी सरकार चुप है। यह समाजवाद की कौनसी नीति है? आप समाजवाद की नीति अपनाने जा रहे हैं और एक परिवार को दस बारह परमिट मिलें, मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से एक परिवार को इतना फायदा पहुंचाया जा रहा है—इसको बन्द किया जाय वरना भ्रष्टाचार बढ़ता हो जायगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसी तरह से आदिवासी क्षेत्र के लिए मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार ने डेयरी फार्म बनाने की जो घोषणा की उसके अनुसार बांसवाड़ा जिले में भी एक डेयरी फार्म खुलना चाहिए ताकि इस पहाड़ी क्षेत्र में जो घास पैदा होती है उसका सदुपयोग हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री **सुरेशचन्द्र शर्मा** (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष तौर से नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। आज स्वायत्त शासन संस्थाओं का मुकाबला करें तो एक तरफ पंचायतें, पंचायत समितियां और जिला परिषदें हैं तो दूसरी तरफ नगर परिषद और नगरपालिकायें हैं।

(2.01 म.प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

जहां पंचायत और पंचायत समितियां हैं वहां बहुत अधिकार हमने दे दिए, यह सही है कि उनकी हालत भी ठीक नहीं है लेकिन नगरपालिकाओं की तरफ सरकार उपेक्षित रही है। नगर परिषदों का मैं नहीं कह सकता। गोटेवाला साहब कह सकते हैं लेकिन एक नगरपालिका का अध्यक्ष मुझे भी बनने का दुर्भाग्य से मौका मिला। वहां हालत ऐसी है कि उनके पास स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है और विकास के नाम की कोई बात नहीं है। सड़कें वह नहीं बना सकते, ड्रेनेज, सफाई और रोशनी नहीं दे सकते और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि नगरपालिका के अध्यक्ष को जो वेतन मिलता है, वह है 75) रुपये। शायद किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

को भी नहीं मिल सकता। नगरपालिका के अध्यक्ष को 150) मिलते हैं। ऐसा लगता है कि आपने उनको फोर्थ क्लास के नीचे समझ लिया है। नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रस्ताव द्वारा सिफारिश की थी कि इनका भत्ता बढ़ाया जाय। भीखा भाई ने आश्वासन दिया था कि इन सिफारिशों को लागू करेंगे, पता नहीं कौनसी रद्दी की टोकरी में वह प्रस्ताव गया। सम्मेलन में राजस्थान की नगरपालिकाओं के अध्यक्ष मौजूद थे। जहां स्वायत्त शासन मन्त्री स्वयं जन प्रतिनिधियों के सामने आश्वासन दें और कहें कि तुरन्त इस सिफारिश को लागू करेंगे भगवान जाने नौकरशाही ने सिफारिश कहां गायब कर दी। मेरे क्षेत्र में जो कोटपूतली नगरपालिका है उस बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कोटपूतली नगरपालिका सबसे न्यूनतम श्रेणी में गिनी जाती है फिफ्थ क्लास में मानी जाती है जबकि आय, स्टाफ, आबादी व बजट की दृष्टि से कम से कम वह थर्ड ग्रेड में आनी चाहिए लेकिन फिफ्थ ग्रेड में ही चल रही है। इसके अलावा उसकी आय के साधन बिल्कुल नहीं, पैसा नहीं। वहां की नगरपालका की हालत दयनीय है। 10 साल पहले नगरपालिका ने प्रस्ताव पास किया कि उसकी लिमिट्स बढ़ाई जाए लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक सरकारी मशीनरी, लालफीताशाही, आज तक उस फाइल को इस स्टेज तक नहीं पहुंचा सकी कि सीमाबन्दी हो सके और कोटपूतली कस्बा जयपुर से दिल्ली राष्ट्रीय मार्ग की अजीब स्थिति है। सड़क के एक तरफ नगरपालिका है दूसरी तरफ पंचायत। लेकिन टैक्स की चोरी करने के लिए उन्होंने गोदाम दूसरी तरफ बना लिए हैं, जो सारा माल आता जाता है। टैक्स का सवाल आता है तो पंचायत कहती है कि हमारा क्षेत्र है। सरकार से कई बार कहा गया कि सीमाबन्दी करनी चाहिए और 10 साल पहले श्री एम. पी. दीवान, जिलाधीश ने मौके पर जाकर सुझाव दिया था कि यह क्षेत्र तुरन्त नगरपालिका को दिया जाना चाहिए। उस जिलाधीश का सुझाव फिर जिलाधीश जो जांच के लिए भेजा। मौके पर एक जिलाधीश जाकर जांच करे और अपना सुझाव दे, मगर आज तक सीमाबन्दी नहीं हुई, गजट नोटीफिकेशन नहीं हुआ। पता नहीं कौनसे कार्यालय में वह कागज है। फाइल नहीं मिलती है। मैंने प्रश्न भी पूछा था तो उत्तर दिया कि पत्रावली नहीं मिलती कि कब प्रस्ताव पास हुआ। सीमाबन्दी न हो, फैसला न दिया जाए, जिलाधीश स्वयं मौका देखकर निर्णय ले लें उसके बाद फिर जिलाधीश को जांच के लिए कहा जाए, इस तरह लाखों रुपये का टैक्स का नुकसान हो रहा है। वहां की नगरपालिका के कर्मचारियों की सर्विस बुक नहीं, उम्र का रिकार्ड नहीं। वहां के कर्मचारी मांग कर रहे हैं, अध्यक्ष कुछ अपने आदमी लगाना चाहते थे, उन्होंने सोचा सरकार ने स्टाफ बढ़ाने की स्वीकृति नहीं दी, तो सोचा कि उनको कैसे लगाये। उन्होंने 40 आदमियों को नोटिस दे दिया कि आप 58 साल के हो गये हैं, आपको क्यों न सेवा मुक्त किया जाए? नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया उन्होंने सोचा कि 40 को हटाना तो मुश्किल होगा। तो 7 आदमियों को तुरन्त हटा दिया जब उनसे सवाल पूछा गया बोर्ड मीटिंग में तो बोर्ड की मीटिंग एडजर्न कर दी। मुश्किल से एक मीटिंग हुई, उनसे सवाल पूछा गया कि

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

किस आधार पर हटाया, उन्होंने कहा ऐसा नजर आता है कि वे 58 साल के हो गए। अब उनकी नजर में वे 58 साल के नजर आते थे। करीब करीब सातों आदमी ऐसे हैं जो 58 साल के नहीं हैं। डायरेक्टर आफ लोकल बोडीज का 1970 का सक्यूंलर है कि फोर्थ क्लास को 60 साल तक नहीं हटाया जाए। उस सक्यूंलर को वायोलेट किया गया और विधान सभा में पूछा तो सरकार ने स्वीकार किया है कि 60 साल तक नहीं हटाया जाना चाहिए लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने उस सक्यूंलर का वायोलेशन किया है। उसके बाद कर्मचारी घर बैठे हैं और डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज के यहां चक्कर काटते रहे उन्होंने डिप्टी डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज श्री तिवाड़ी को जांच के लिए भेजा। वहां स्टाफ ने उनसे मिलना चाहा, सदस्य मिले तो कहा मेरे पास समय नहीं है। उन्होने कहा सही रूप से इनको सेवामुक्त किया है। मैंने उनसे पूछा कि आपने सक्यूंलर देखा है 60 साल वाला तो उन्होंने कहा इस दृष्टिकोण से नहीं देखा। प्रश्न यह है कि देखा नहीं तो आपने जांच क्या की? आप कानून के अनुसार काम करते हैं या तानाशाही से करते हैं? आपको लोगों की रोजी रोटी का ख्याल नहीं, आप गरीबी हटाओं की बात करते हैं, आप उनको सेवामुक्त करते हैं जो कानूनन सेवा करने योग्य है। इस बारे में मने मंत्री महोदय से निवेदन किया उनको थोड़ी सी सहानुभूति है। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से इसको देखूंगा और वास्तव में यह बड़ी गल्ती हुई है। मैं डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज से कन्सल्ट करके कोई न कोई उपाय जरूर सोचूंगा। मुझे स्वायत्त शासन मंत्री में पूरा भरोसा है जो कुछ वे कहते हैं उसको करने का प्रयास करते हैं, शायद वह हल निकालें। लेकिन अगर अधिकारियों पर छोड़ दिया गया तो कोई परिणाम नहीं निकलने वाले। मैंने डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज से सम्पर्क स्थापित किया, वह नहीं मानते हैं कि सक्यूंलर का वायोलेशन हुआ है। सक्यूंलर को फालो नहीं किया गया और बोर्ड ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर दिया, जिसमें चेयरमेन भी शामिल हैं कि हमारे पास सक्यूंलर का पता नहीं, अगर ऐसा सक्यूंलर है तो डाइरेक्टर आफ लोकल बोडीज राय जाहिर करे। जहा ऐसी हालत हो, सरकारी अधिकारी मौन रहें और फैसला न दें, यह बड़ी खेदजनक हालत है और शर्म की बात है। कम से कम उस सरकार के लिए शर्म की बात है जो गरीबी हटाने की बात करती है और समाजवादी स्वरूप बना रखा हो, उसके लिए शर्म की बात है। काम तो सारे पूंजीवादी, चेहरे नकली हैं, बाकी पैसे वाला के काम तुरन्त करते हैं। जैसे श्री गोटेवाला और दूसरे माननीय सदस्य सवाल करते हैं डो. सी. एम. से रियायत के बारे में, आलोक उद्योग, साहू जैन को क्यों टैक्स छोड़ दिया; जांच कर रहे हैं।

इस प्रकार से वहां एक जमीन है, नगरपालिका ने एक्वायर की, करीब 18 बीघा जमीन एक्वायर की, उस जमीन के बारे में वहां के भूतपूर्व विधायक थे उन्होंने जाति के आधार पर एक संगठन बनाया और जमीन के मालिक जो थे, वे गूजर थे और विधायक भी गूजर था।

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

उन्होंने गजट नोटीफिकेशन हो जाने के बाद, एक्वीजीशन की कार्यवाही शुरू हो जाने के बाद, तत्कालीन मुख्यमंत्री से कहा कि इसमें गूजर छात्रावास बनाना है, इसलिए इस जमीन को छोड़ दिया जाना चाहिए। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने स्टे आर्डर दे दिया, हाई कोर्ट में केस गया, नगरपालिका हाई कोर्ट में गई, हाई कोर्ट में तय हुआ कि जमीन नगरपालिका को दी जानी चाहिए, एक्वायर की जानी चाहिए और कम्पन्सेशन दिया जाना चाहिए। कम्पनसेशन दे दिया जाय और कब्जा नगरपालिका को दे दिया जाय। उसके बाद में भूतपूर्व विधायक, जो कि बहुत इन्फ्लूएन्शियल था, वह मुख्यमंत्री से स्टे आर्डर ले आया और उसके बाद में दूसरे मुख्यमंत्री आ गये। लेकिन न तो वहां पर गूजर छात्रावास को कुछ दिया गया और आज स्थिति ऐसी है कि दोनों ही तरफ से स्टे आर्डर आया हुआ है। सभापति महोदय, अगर उसका कब्जा नगरपालिका को दे दिया जाता तो काफी ठीक रहता। वहां पर एक ही तो अच्छी जमीन है और वहां पर काफी विकास काम हो सकता है। लेकिन आज कोई सुनने वाला नहीं है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री से निवेदन करना चाहूंगा चूंकि अभी स्वायत्त शासन मंत्रीजी हाजिर नहीं हैं और राज्य मन्त्री स्वायत्त शासन बैठे हैं। उन्हें ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप नगरपालिका को जो यह जमीन है वह नगरपालिका को दिलाने की व्यवस्था करने की कृपा करें ताकि वहां पर विकास कार्य हो सके। इसी प्रकार सभापति महोदय, नगरपालिका जिन जमीनों को बेचती है उनकी स्वीकृति के लिए जिलाधीश के कार्यालय में जाती है और वहां से स्वीकृति आने पर पट्टा दिया जाता है। लेकिन बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज कई केसेज की पत्रावलियों को दस दस साल हो गये हैं। जयपुर जिलाधीश के आफिस में पड़ी हुई हैं और आज तक कोई उन्हें स्वीकृति नहीं मिल सकी है। अगर इस तरह से जिलाधीश के कार्यालय से स्वीकृति नहीं आयेगी तो नगरपालिका की रेवेन्यू किस प्रकार बढ़ेगी। और नगरपालिका किस प्रकार से बिना रेवेन्यू के अपने वहां का विकास कर सकती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे आदेश जारी कराये जायं कि जल्दी से जल्दी ऐसी पत्रावलियों पर कार्यवाही जिलाधीश कार्यालय द्वारा होनी चाहिये। आज आपने जयपुर के लिये तो योजना बनायी है, जयपुर विकास के लिये और दूसरे शहरों के लिये भी आप विकास करवाते हैं। आज आप वहां पर यू.आई.टी. द्वारा, नगरपालिका द्वारा उन शहरों के विकास के लिये मास्टर प्लान बनाते हैं उनका विकास करते हैं लेकिन गांवों के लिए आप कोई मास्टर प्लान नहीं बना रहे हैं। उनके विकास की ओर आपका ध्यान कभी नहीं जाता है। मैं समझता हूं कि आप गांवों का विकास करना ही नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ शहरों का ही विकास करना चाहते हैं। गांवों की आप बात करते हैं, गांवों की तरफ आप मुंह करते हैं जब सन् 62 हो, सन् 67, सन् 57 हो, सन् 72 हो जबकि आपको उनसे वोट लेने होते हैं। वरना आपको गांवों का

(श्री सुरेश चन्द्र शर्मा)
ध्यान आता ही नहीं है। बाकी तो आप विकास करते हैं जयपुर की सिविल लाइन का जयपुर शहर का, जयपर शहर की ड्रेनेज का, सेक्रेटेरियेट का और शहरों के विकास के लिये आप स्कीम्स बनाते हैं। शहरों के लिये लेकिन गांवों के लिये आपके पास समय नहीं है विकास करने के लिये। आप जान बूझकर गांवों को इग्नोर कर रहे हैं। अभी अभी थोड़े समय पहले हमने सुना था कि जयपुर का विकास हो रहा है मास्टर प्लान बना है यहां पर सदन में श्री श्रीराम गोटेवाला जी बैठे हैं पता नहीं कितने करोड रुपये जयपुर के विकास के लिये खर्च करवायेंगे। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं कि जयपुर का विकास नहीं हो यहां का विकास होना भी चाहिये क्योंकि यहां पर आपके चीफ-मिनिस्टर साहब रहते हैं, मिनिस्टर्स रहते हैं, चीफ सेक्रेट्री साहब रहते हैं और सभी सेक्रेट्रीज व बड़े 2 हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट्स भी यहीं पर बैठते हैं, रहते हैं। इसलिए आप यहां का विकास तो करेंगे ही लेकिन मेरा निवेदन है कि आप को गांवों की तरफ भी तो ध्यान देना चाहिये। आपको अपने दृष्टिकोण को बदलना चाहिये, सिर्फ शहरों के विकास तक ही आपका दृष्टिकोण नहीं होना चाहिये। आपको जयपुर के विकास के साथ साथ शहरों के अलावा तहसील हैडक्वाटर्स, म्यूनिसिपल ऐरियाज के जो स्थान हैं उनकी ओर भी ध्यान देना आवश्यक है।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझे बोलने नहीं देंगे क्योंकि पहले भी आप घन्टी बजा चुके हैं। अतः मैं आपके सम्मान में अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, आज सदन में मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 39 विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन पर चर्चा चल रही है। उपरोक्त विभागों में मैंने भी मेरे कुछ कट मोशन रखे हैं। जिन पर मैं भी अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहले मैं कुछ समाज कल्याण विभागों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमने समाज कल्याण विभाग में हमारी प्रथम पंच वर्षीय योजना, द्वितीय पंच वर्षीय योजना, तृतीय पंच वर्षीय योजना और हमारे यहां की जो वार्षिक योजना में हैं यो कहिये कि सन् 71-72 के इयर्स में जो व्यय हुआ है उसके बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सन् 71-72 में वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत जो खर्च हुआ है वह करीब 20 करोड़ रुपया है और बाकी इन सभी पंचवर्षीय योजनाओं में और आज तक करीब 550 करोड़ रुपये का कुल खर्चा हुआ है। इसको देखते हुए यह राशि, जो कि बीस करोड़ रुपये की व्यय हुई है, यह करीब चार प्रतिशत आती है, जोकि बहुत ही कम है। हमारे प्रान्त के अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोग, जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उन्हें देखते हुए इसके लिए मेरा निवेदन है कि इनके लिये ज्यादा खर्चा किया जाना चाहिये। क्योंकि हमारे यहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो लोग हैं, वे इतने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पिछड़े हुए हैं कि उन्हें ऊपर उठाने में उनकी आर्थिक हालत सुधारने में हमें काफी व्यय करना पड़ेगा। आज इतनी पंचवर्षीय योजनायें हो गयी हैं लेकिन अभी तक उनकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं हो सका है। जब हमारे भारत वर्ष का संविधान बन रहा था तो हमने इनके लिए 10 वर्ष तक रिजर्वेशन विधान सभा और पार्लियामेंट के लिए सीट्स का प्रावधान रखा। लेकिन उसके बाद भी जब दस साल बीत गये तो हमने देखा कि अभी भी इनकी हालत नहीं सुधर रही हैं तो हमने उनके लिए कोन्स्टीट्यूशन में प्रोवीजन जो रखा था उसको दस साल के लिए और एक्सटेन्ड कर दिया और उसके बाद भी जब हमने इनकी हालत में कोई विशेष सुधार नहीं देखा तो हमने उनके लिए दस साल का एक्सटेन्शन और कर दिया। अब यह सन् 81 तक रिजर्वेशन हुआ है। लेकिन बाद में अगर इनकी आर्थिक और सामाजिक हालत में सुधार नहीं हुआ तो हमें आगे और दस साल के लिए एक्सटेन्शन देना पड़ सकता है। आज राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उनको प्रोग्रेस होनी चाहिए हमें ऐसे साधन अपनाने की जरूरत है उनकी सामाजिक और आर्थिक उन्नति हो। आज हमारी दूसरे लोगों के मुकाबले में उनकी हालत में बहुत कम उन्नति हुई है हालांकि हमने इनको एम.एल.ए. के लिए और पार्लियामेण्ट्री इलेक्शन में सीट्स रिजर्व कर रखी हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उनकी कोई विशेष तरक्की नहीं हो रही है। आज तीस साल होने को आये हैं, उनकी सामाजिक पोजीशन में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। अभी हमारे देश में छुआछूत जारी है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है और उनकी आर्थिक हालत में सुधार नहीं हुआ है। हमने हमारे यहां पर इनकी हालत सुधारने के लिये कानून में और योजनाओं के अन्दर सर्वप्रथम यह बात रखी है कि वीकर सेक्शन्स को मदद दी जाय। इसके लिए हमने कुछ प्रोग्रेसिव मेजर्स अपनाये हैं जैसे सीलिंग एक्ट, जो हमने पास किया है उसमें ये प्रोविजन्स रखे हैं कि पहले वीकर सेक्शन्स को शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो भूमिहीन किसान हों उनको पहले जमीन दी जानी चाहिए। ऐसे प्रोग्रेसिव मेजर्स हमने सन् 70-71 के जो सीलिंग बिल पास किया था उसमें यही प्रोवीजन्स रखे हैं कि सीलिंग के अन्तर्गत जो जमीन आये उसमें से पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग जो भूमिहीन हैं, उन्हें पहले जमीन दी जानी है। पर अभी तक भी मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को इससे कोई लाभ मिलने जैसी बात नहीं हुई और उनका भविष्य अन्धकार मय है। इसलिए उनकी हालत सुधारने के लिए हमें कुछ प्रोग्रेसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे कुछ रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने की जरूरत है और हमें रिवोल्यूशनरी स्टेप्स लेने पड़ेंगे और अगर हम उनके लिये प्रोग्रेसिव स्टेप्स नहीं लेंगे तो हो सकता है कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग हमसे नाराज हो जायेंगे। क्योंकि आज भी उन्हें मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, और आज भी उनके

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

साथ छुआछूत का बर्ताव किया जा रहा है सभापति महोदय, मुझे इस बात का डर लगता है, मुझे इस बात का भय है कि कहीं यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग अपना भविष्य हिन्दुओं के साथ में अन्धकार मय देखकर कहीं अपना अलग कोई मांग नहीं रख दे जैसे हमारे यहां पाकिस्तान बना उसी तरह ये भी अपनी अलग देश की मांग कर सकते हैं। और हो सकता है जैसे कि पहले भी कई लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, किन्हीं लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया यही सभी लोग हिन्दू धर्म को छोड़दें। इसलिये मेरा निवेदन है कि इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के विकास के लिये ज्यादा धन खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। ताकि इनकी हालत में सुधार हो सके। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि मैं कई बार इधर उधर गया हूं वहां पर मैंने ऐसा देखा है कि जो समाज कल्याण अधिकारी होता है उसको जिलास्तर पर और दूसरे अधिकारियों की तुलना में अच्छी निगाहों से नही देखा जाता है। उसको घृणा की निगाहों से देखा जाता है। सभापति महोदय, मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि समाज-कल्याण अधिकारी के पद पर सीनियर आर. ए. एस. अधिकारो को नियुक्त किया जाना चाहिये। और उसको ज्यादा पावर्स भी दिये जाने चाहिये ताकि इन जाति के लोगों की हालत में सुधार हो सके। दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि हमने इनके लिए ऐसे प्रोवीजन्स किये हैं जिनसे उन्हें सर्विसेज में रिजर्वेशन होता है उनके लिए हमने आरक्षण कर रखा है। सभापति महोदय, आरक्षण के संबंध मे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक सवाल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का है उसमें तो इन लोगों को अच्छी तरह फायदा मिला है लेकिन दूसरी श्रेणी की पोस्ट्स के लिए और गजेटेड आफिसर्स की पोस्ट्स के लिए इन्हें ज्यादा लाभ नहीं मिल सका है। जो पोस्ट्स इन्हें मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पा रही और वे इन पोस्टों का लाभ उठा नहीं सके है। राज्य सरकार ने रोस्टर प्रणाली घोषित की और वह प्रणाली 1-4-71 से चालू हुई। उसका इम्पलीमेन्टेशन हो उसके लिये एक मशीनरी भी समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक उपनिदेशक का, नियोजन शिक्षा विभाग करके एक स्कैल बनाया गया और जितने अपोइन्टिंग अथोरिटीज हैं उनको इन्स्ट्रक्शन्स दे दिये कि जो स्थान सीधी भर्ती के लिये हों उनकी सूचना दें और पूर्व भर्ती के लिए उनकी सूचना दें। लेकिन बहुत कम डिपार्टमेन्ट के अथोरिटीज ने उनको सूचना दी। रोस्टर प्रणाली के अन्तर्गत रजिस्टर मेन्टेन करना चाहिए। मैंने काफी जिलों में भ्रमण किया है और पाया है कि कोई रजिस्टर मेन्टेन नहीं करता है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। यह जो सैल रखा है उसमें या तो डाइरेक्टर समाज कल्याण विभाग को अधिकार दे दिये जांय या इसी विभाग में सीनियर अधिकारी को, आई.ए.एस. केडर के अधिकारी को इसमें रखिये जिससे कि कोई अपोइन्टिंग अथोरिटी इन्सट्रक्शन्स का पालन न करे तो

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

उनके खिलाफ सी.आर. में इसका उल्लेख हो और इस प्रकार उनको दंडित किया जाय। ऐसा करने से रोस्टर प्रणाली का इम्पलीमेन्टेशन करेंगे तो काफी अनुसूचित जाति और जन जाति को लाभ मिल सकेगा और उनको सर्विसेज मिल सकेगी।

प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने की है। राजस्थान में भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स को इसका लाभ देना चाहिए। शिडयूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के प्रोटेक्शन के बारे में जो कानूनी सहायता का उनके लिए प्रावधान किया गया है उसकी राशि बिलकुल कम है। उससे किसी प्रकार से उनके राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं होता है। आज यह स्थिति बनी हुई है कि जो लैंड उनको अलाट की जाती है उनको उसका कब्जा नहीं मिलता। उसके लिए गवर्नमेंट की ओर से कोई प्रोटेक्शन नहीं। डिपार्टमेन्ट की ओर से कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए जो अमाउन्ट निर्धारित किया गया है वह बिलकुल कम है। अगर वाकई उनके राईट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है, अनजस्टिस होते हैं, जुल्म होते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है और मर्डर किये जाते हैं, ठीक है इन केसेज में तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन होता है, लेकिन अन्य मामलों के अन्दर उनके लिए कुछ नहीं होता है इसलिये वे अपने अधिकारों से भी वंचित रह जाते हैं और अन्याय के खिलाफ न्याय प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

कुछ मांगे रखी हैं। मैंने सप्लाई डिपार्टमेन्ट के बारे में। सप्लाई डिपार्टमेन्ट के बारे में मेरा यह मत है कि यह डिपार्टमेन्ट सबसे ज्यादा अभी भ्रष्ट हो रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट भी भ्रष्ट है सप्लाई डिपार्टमेन्ट इतना भ्रष्ट है कि कोई सीमा नहीं। यहां भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच रहा है और जनता को इतना कष्ट हो रहा है कि जिसकी कोई हद नहीं। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर्स नियुक्त होते हैं। मेरे डिस्ट्रिक्ट की अनुभव करता हूं। गेहूं का राष्ट्रीयकरण, सरकारी करण सरकार करने जा रही है तो राज्य सरकार को इस ओर पहले सोचना चाहिये। सप्लाई डिपार्टमेन्ट को सोचना चाहिये कि इस डिपार्टमेंट में बहुत योग्य डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ओफिसर्स भेजेंगे तब ही यह गेहूं का सरकारीकरण सफल हो सकेगा वरना यह गेहूं का सरकारीकरण कतई सफल नहीं होगा। मुझे इसका भय है। मेरे जिले में कार्य किया जा रहा है कलेक्टर काफी सचेष्ट है, आज ही इन्फार्मेशन मिली है कि तहसीलदार को कार्य सौंपा गया। वह अनाज भंडार का निरीक्षण करने के लिये गया तो 4 हजार रुपये की राशि ले ली और कलेक्टर ने उसको सस्पेन्ड कर दिया। नायब तहसीलदार और दूसरे जो अधिकारी हैं पुलिस वगैरह, अनाज के स्टोर देखने गये थे और चैंपे लगा दिये गये उन चैंपों को तोड़ दिया गया था और अनाज लिया गया था।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इस प्रकार अनजस्टिस हो रहा है। सप्लाई डिपार्टमेंट भ्रष्टाचारी कार्य कर रहा है। कलेक्टर स्ट्रोंग स्टेप उठा रहा है। मेरा

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
कहना यह है कि यदि गवर्नमेन्ट सक्रिय नहीं होगी और सख्त कदम नहीं उठायेगी तब तक भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है।

एक मोशन रखा है बाड़मेर जिले में डेयरी योजना के विषय में।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपने काफी समय ले लिया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : दो मिनिट में समाप्त कर रहा हूं।

बाड़मेर में ड्राट प्रोन योजना बना दी गयी है। उसमें डेयरी योजना है, चरागाह योजना है, विद्युत् विकास की योजना है और जिले के विकास की योजना है। उस योजना को जल्दी से जल्दी स्वीकार करके राशि का प्रावधान करके बाड़मेर और जैसलमेर जिलों का विकास किया जाना चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार बाड़मेर और जैसलमेर जिलों जो रेगिस्तानी इलाके हैं, का विकास करें।

श्री सभापति : श्री भानुकुमार शास्त्री।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मैं दो प्रमुख और महत्वपूर्ण मांगों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक सिद्धान्ततः नगरपालिका, जिसका काम नगर का विकास करना है। उसके लिये नगर विकास के लिये नगर विकास न्यास बना कर, उसको इलेक्टेड बाडी बना कर स्वायत्त शासन के, जो मौलिक अधिकार हैं, उनकी हत्या की है। यह नगर विकास न्यास तो नगरपालिका का एक अंग होना चाहिये। जो निर्वाचित लोग हैं उनके हाथ में इसकी बागडोर होनी चाहिये। लेकिन ऐसे लोगों के हाथ में यह दे रखी है, जो राज्य सरकार के लोग होते हैं, और उनके द्वारा इनका संचालन कराते हैं, जिससे भ्रष्टाचार की काफी गुन्जाइश है। इसलिये नगर विकास न्यास को भंग करके नगरपालिका को सशक्त बना कर नगर के विकास को उसका एक अंग बना कर सब विकास के अधिकार उसको देना चाहिये।

नगर पालिका स्वायत्त शासन संस्था बनी हुई है लेकिन वह सरकार पर आधारित है। उसका नाम स्वायत्त शासन न रख कर परायुक्त शासन रखा जाय तो अनुपयुक्त नहीं होगा। जहां दो दल की नगरपालिका बन जाय एक कहता है कि प्रीआडिट बिना बजट पास नहीं हो, मुझे इसका काफी अनुभव है, प्रीआडिट के नाम पर हरिजनों तक के बिल पास नहीं किये गये। मैं कहता हूं कि राज्य सरकार अपने विभाग में क्रियात्मक रूप से इसे लागू करके, आजमा ले कि यह कितना कठिन है। इसलिये मैं इस प्री आडिट सिस्टम के विरोध में हूं।

नगर परिषद् के अध्यक्ष का अलाउन्स आपने पचास, पिचहत्तर और डेढ़ सौ रुपया रख रखा है। इतने कम पैसों में कोई भ पूरे दिन कैसे काम कर सकता है। इसलिये इसमें भी वृद्धि की जानी चाहिये ताकि

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वह नगर विकास के काम में अधिक दिलचस्पी से काम कर सकें।

दूसरी बात मुझे कहनी है स्वायत्त शासन संस्थाओं के कार्य कलापों के बारे में। उदयपुर में इन संस्थाओं में होने वाले घोटालों के बारे में मैंने कट मोशन भी रखा है, बोलना भी चाहता था, आज प्रसंग आ गया है तो कह देता हूं। वहां नगर विकास न्यास के अधिकारी और कुछ दूसरे लोगों ने मिलकर वनवासियों के साथ कैसा चीटिंग किया है इसका किस्सा सुनाता हूं। नीमच माता बस्ती में एक वनवासियों के नाम से गृह निर्माण समिति बनाकर इन लोगों ने नगर विकास न्यास से मिलकर 65 प्लाट ले लिये पर उन गरीब वनवासियों को एक भी नहीं दिया। सदस्य उनको जरूर बना लिया पर नाम मात्र के लिये। बिलकुल फोडुलर फरजी अपनी एक संस्था बनाकर थोड़ा बहुत पैसे का प्रलोभन देकर गरीब वनवासियों को पट्टा देने का झांसा देकर रजिस्ट्रार के आफिस में ले गये और वहां उनसे सेल करवा लेते हैं और इस तरह से दूसरों को प्लाट मिल गये और वे वनवासी वैसे ही धरे रह गये। आज तो हालत यह है कि गरीबों के नाम से जो चार सौ रुपये में मिलते हैं उसके 1500 रुपये लिये जाते हैं और इसकी कच्ची रसीद उनको दे देते हैं। कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध कलेक्टर के बंगले पर जाकर शिकायत की। चालीस पचास ऐसे लोगों ने कलेक्टर साहब से कहा कि हमारे साथ यह धोखा किया गया है। हमें प्लाट नहीं मिले हैं। हमारे नाम से 1500। 1500 की कच्ची रसीदें हैं कलक्टर को वे रसीदें दे आये। परिणाम यह हुआ कि प्रमाण रूप में जो रसीदें उनके पास थीं, उनको कलेक्टर ने लेकर गायब कर दिया उन लोगों के साथ सांठ गांठ करके। ऐसे कलेक्टर को आज सरकार प्रश्रय दे यह उचित नहीं है। इस मामले में तो सरकार को सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। मैं तो अब क्या बताऊं। लोग खुले आम बातें करते हैं कि इस सब में सत्ताधारी लोगों का भी हाथ है। नामोल्लेख उनका मैं नहीं करना चाहता। यह गन्दी बात है। इसकी सूचना मुख्य-मन्त्री को भी और स्वायत्त शासन मन्त्री को भी देदी गई। वहां के लोगों ने रजिस्ट्री चिट्ठियों से इन मिनिस्टरों के पास शिकायत की है। पर आज तक कोई कार्यवाही यहां से भी नहीं दी गई। जिलाधीश कार्यवाही करने को तैयार नहीं क्योंकि वह तो स्वयं उन लोगों से मिला हुआ है। मैं स्वायत्त शासन मंत्री से कहूंगा कि वे स्वयं काफी दबंग हैं, असरदार हैं, मन में जो निश्चय कर लेते हैं उसे पूरा करके छोड़ते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं वे, इसकी जांच करेंगे। आज भी यह स्पष्ट है कि नीमच माता में कम से कम सात ऐसे प्लाट हैं जो फरजी तरीके से दिये हैं और कम से कम इन पर जब तक अन्तिम जांच परिणाम सामने न आ जावे तब तक के लिये स्टे आर्डर लगा दें तो यह कठिनाई उनकी दूर हो सकती है।

समयाभाव से इस बारे में अधिक नहीं कहता हुआ दूसरे प्रसंग पर आ जाता हूं। वहां विश्व विद्यालय की एक दुग्ध वितरण शाला है। इसमें होने वाली अनियमितताओं के बारे में स्वायत्त शासन मन्त्री को, शिक्षा मन्त्री को, और मुख्य मन्त्री जी तक को भी

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

लिखा गया। राज्यपाल, जो चान्सलर हैं, उनको भी लिखा गया। शिक्षा मन्त्री जी ने कहा कि कृषि मन्त्री का इससे सम्बन्ध है। मैं कृषि मन्त्री जी से और कृषि विभाग से भी इस बारे में मिला। पर उन्होंने असमर्थता जाहिर करते हुए कहा कि क्योंकि यह विश्व विद्यालय का मामला है मैं इसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहता यह नियम विरुद्ध है।

जब देखा कि विश्व विद्यालय के नियम राज्य सरकार को ऐसे मामले में सेक्शन आठ के अन्दर जांच करने की छूट देते हैं तो इसकी जांच करनी चाहिए और अन्य गड़बड़ियां भी जो हैं उनकी भी रोक थाम करनी चाहिये। आखिर इसमें सरकार का ही काफी रुपया लगा हुआ है।

दुग्ध शाला डवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत एक सेक्शन प्रोजेक्ट में 8 लाख लेकर स्कीन दुग्ध वितरण का काम हाथ में लिया। अब वहां बैल व भैंस के नाम इस स्कीम में कुछ नहीं हैं। बुल है नहीं भैंसे हैं नहीं। पर वैटेनरी कम्पाउण्डर के नाम से वेतन दिया जाता है, 30 डाक्टर रख रखे हैं उनको पैसा लुटाया जा रहा है। कहीं कोई किसी की एप्रूवल भी नहीं इनके लिए। पर चल रहा है सब मामला। इतनी अन्धेरगर्दी जिसकी सीमा नहीं। फिर भी देखने की किसी को फुरसत नहीं। वहां का दूध कैसे बिकता है, फैट कितनी है, परसेन्टेज का कोई हिसाब किताब नहीं। लोगों से आया दूध का पैसा ग्यारह ग्यारह महीनों का लोग जेबों में रख लें तो पूछने वाला नहीं। पांच हजार का इस सीगे में घोटाला है। आडिट रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। फिर भी कोई इसकी जांच करने को तैयार नहीं। अखबारों में जब इस बारे में ज्यादा हो हल्ला मचा तो इतना किया कि एक महीने के लिये उसको सस्पेण्ड कर दिया और फिर वापिस रख लिया उसी जगह। ऐसी स्थिति में इन घोटालों का निराकरण किस तरह होगा।

इस दुग्धशाला के केन्स बाजार में बेच दिये जाते हैं। यूनिवर्सिटी की इस दुग्धशाला का एक व्यक्ति पता लगाकर मांग करता है और कहता है कि ये केन्स बाजार में पाये गये हैं। आप इसका या तो प्रतिकार करिये या कुछ कहिये। तो इसका जवाब तक नहीं देते। कन्ट्रोलर का एक पत्र तीन सितम्बर 72 का लिखा इस प्रकार है:

It was so represented that some of the canes were sent to collection centres without entry. Not only this but some of the canes have been seen in the market with some of the persons carrying no relationship.

इतना होने पर भी वहां कुछ किया नहीं जाता।

अब स्टोर में क्या सामान है, क्या नहीं है इसको कभी जांच नहीं होती। कई स्टोर इन्चार्ज बदल गये। पर जांच नहीं किसी की। चार चार स्टोर कीपर बिना अपना चार्ज सम्भलाये चलते चले गये पर स्टोर्स का चैकिंग किसी ने नहीं किया। इतनी अन्धेर गर्दी वहां है। मन्त्री महोदय को इस बारे में लिखा भी गया पर आज तक जांच नहीं। गत सत्र में मैंने भी लिखा था। पर उसका भी उत्तर नहीं।

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

वहां वाहन जो चलते हैं उनकी लॉग बुक मेन्टेन नहीं की जाती । पेट्रोल पम्प से पैट्रोल ले लिया जाता है । वह पेट्रोल पम्प का मालिक ही आता है और पांच पांच दस दस हजार तक की रकम एकूमुलेटेड अकाउन्ट का इकट्ठा लेकर चला जाता है । 68 से लेकर अब तक यही धांधली वहां चल रही है । ऐसी दुर्गति किसी भी मिल्क स्कीम में शायद नहीं होगी ।

इस तरफ सरकार का मैं पुनः ध्यान आकर्षित करते हुए आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी, और जांच कराकर जो गड़बड़ियां फैली हुई हैं उनको रोकेगी और सुव्यवस्था कायम करेगी ।

एक बात और कहते हुए अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा, आपको घंटी पुनः बजाने का अवकाश नहीं दूंगा । आडिट रिपोर्ट के साथ साथ यह भी बताया है कि जो दूध फटता है उसकी फेट का पता नहीं । दूध, घी सब में घोटाला । सरकार जांच करे और इन घोटालों के लिये जो उत्तरदायी हो उसका उत्तरदायित्व स्थिर करके उसके खिलाफ कार्यवाही करे । इतना ही कहकर अपने सीमित समय में अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री **सभापति** : श्री भंवरलाल ।

श्री **भंवरलाल भदादा** (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, आज सामाजिक विभाग की मांग पेश हुई है । इस पर मैंने भी अपना कटौती का प्रस्ताव रखा है । आज हरिजन वर्ग का जिस तरह से शोषण हो रहा है उसको देखते हुए सरकार जो विकास करना चाहती है, वह नहीं हो सकता ।

जिस विभाग द्वारा सरकार हरिजनों का विकास का काम कराना चाहती है उसी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण वह विकास रुक जाता है । आज हरिजन असहाय हैं । उसकी कहीं सिफारिश नहीं, उसे कोई सहयोग देने वाला नहीं मिलता । इसलिए इस दलित वर्ग के लिए सरकार विशेष दृष्टि से सोचे और ऐसा रास्ता निकाले जिससे इसका सही रूप में भला हो सके । सरकार हरिजनों के जो छात्रावास हैं, उन छात्रावासों में जो प्रशासक रहते हैं, वे प्रशासक वहां के काम को बिलकुल नहीं देखते हैं और अपनी रोजी रोटी पकाते हैं । छात्रावासों में जो बच्चों की सामग्री होती है, उसमें से लूण आटे की चोरी करते हैं । जो बच्चों का हिस्सा होता है उसको अपने परिवार के लिए उपयोग करते हैं । हरिजन महिलाओं के लिये समाज कल्याण विभाग ने कोई कदम नहीं उठाया। हरिजनों की महिलाओं के लिए और बच्चों के लिये शिक्षा का विशेष प्रबन्ध करना चाहिये ताकि हरिजनों की महिलायें शिक्षित होंगी और देश के कार्यों में अपना योगदान देगीं ।

समाज कल्याण के कार्यालय सभी जिलों में नहीं खोल पाये हैं यह बड़े दुख की बात है । चूरू, झुंझुनूं बड़े बड़े जिले हैं । वहां समाज कल्याण का कार्यालय नहीं है । इसके लिये मैं निवेदन करूंगा चूरू, झुंझुनूं में समाज कल्याण के कार्यालय खोले जाये और इसी के साथ हर पंचायत समिति में

(श्री भंवरसिंह)

एक समाज कल्याण प्रसार अधिकारी की पोस्ट होनी चाहिये ताकि गांवों गांवों में हरिजनों के विकास को देख सके और ग्रामीण हरिजनों की देखभाल करके सरकार तक अपनी रिपोर्ट पहुंचायें ग्रामीण हरिजनों की क्या स्थिति है, उसका अवलोकन सरकार को करायें। इसी के आधार पर हम हरिजनों और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिये एक हाऊसिंग लोन की व्यवस्था की है लेकिन उसमें मेम्बरशिप होने के लिये 100 रुपये देने पड़ते हैं। यह हरिजनों के लिये, दलित वर्गों के लिये, बहुत अधिक है। एक गरीब हरिजन और पिछड़ा वर्ग 100 रुपये वहन नहीं कर सकता है।

इसी के साथ आज जो नगरपालिकाओं की स्थिति है, उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी विकट है। नगरपालिकायें अपने कर्मचारियों को तनख्वाह समय पर नहीं चुका पाती है। इसलिये नगरपालिकाओं के सामने बड़ी भयंकर स्थिति है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा पूर्ण खर्च में से 25 प्रतिशत का अनुदान दें ताकि नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुधर सके और नगर के विकास के लिये कुछ कार्य कर सके। नगरपालिकाओं में समय पर चुनाव नहीं कराये जाते हैं और प्रशासक नियुक्त कर दिया जाता है। इससे नोकरशाही हावी होती है। इसलिये मैं मंत्री महोदय का ध्यान नहीं है लेकिन समाज कल्याण मंत्री जी विराजे हैं, मैं अनुरोध करूंगा कि नगरपालिकाओं में प्रशासक नियुक्त न करके जब तक चुनाव न हो चेयरमैन को ही रहने दें ताकि नोकरशाही हावी न हो। नगरपालिकाओं का कार्य निर्माणकारी कार्य होता है। उनको राज्य सरकार से पैसा प्राप्त नहीं होता है और पैसे के अभाव में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

नगरपालिकाओं में जो हरिजनों के लिये पट्टे गान्धी शताब्दी में, जो एक कानून पास किया था, नियम बनाया था लेकिन आज तक हरिजनों को पट्टे अवेलेबल नहीं हुये हैं, क्योंकि इस नियम में अध्यक्षों को जिलाधीश से स्वीकृति लेनी पड़ती है। जब कि मेरे क्षेत्र नवलगढ़ का उदाहरण देना चाहता हूं। फाइलें तैयार करके काफी अर्से से जिलाधीश महोदय के पास भेजी हुई हैं, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं होने से उन गरीब हरिजनों को पट्टे नहीं मिल सके। उनको लोन लेने में दिक्कतें आ रही हैं, न मकान बना सकते हैं और न लोन मिल सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनिट में मैं मेरी बात कह कर समाप्त करूंगा।

एक जो खेल-कूद का कार्यालय-स्पोर्ट्स कौन्सिल है उसके सम्बन्ध में कहूंगा। वी. एन. काक को सरकार ने इसका चेयरमैन बना रखा है, जोकि ऐसे ऐयाश आदमी है जो न तो खेल-कूद का कार्य जानते हैं और न उसमें रुचि ही रखते हैं, और न ही खेल-कूद को प्रोत्साहन देते हैं, और जब कोई जाता है तो ठीक से नहीं सुनते हैं। मैं एक बात कहता हूं मेरे जिले की जिमनास्टिक के लिए एक सिलेक्शन हुआ था तो मैं वी.एन.काक के पास गया। एक मन्त्री महोदय से फोन करवाया, उसके बाद हाजिर हुआ और

(श्री भंवरसिंह)
बताया इस बच्चे की आर्थिक स्थिति खराब है। 60 परसेन्ट इसको दिया है, इसलिए नहीं पहुँच सकेगा। उसको अधिक दिलायें। मुझे काफी बातें इधर-उधर कह कर टाल दिया। अन्त में हां की और बताया कि मिनिस्टर साहब का फोन आ गया है इसलिए रहम करूंगा, लेकिन वह रहम भी नहीं किया और बच्चे को बड़ा भारी कष्ट उठाना पड़ा बड़े दुःख की बात है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे स्थान पर बैठा रखा है जो देश के युवकों को बनाता है। आज के युग में खेल-कूद का बड़ा महत्व है। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन (लूनकरणसर): सभापति महोदय, समय की कमी के कारण संक्षेप रूप में मैं अपनी बात कहूंगा। सबसे पहले भंगी कष्ट मुक्ति योजना राज्य सरकार ने चला रखी है। सभापति महोदय, इस युग में भी इन्सान इन्सान का मैला ढोये, यह बात उचित नहीं लगती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कुछ नगरपालिकाओं को कुछ राशि दी है, लेकिन वह राशि देने के बावजूद कुछ शर्तें ऐसी लगा दी हैं जिससे नगरपालिकाएं सामान खरीदने के लिए वह पैसा काम में नहीं ले पाईं। इसलिए इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को यह मैला ढोने की जो प्रथा है वह सारे राजस्थान में समाप्त कर दे और इस दिशा में पहल कदम करके क्रियान्वित कराये। केवल धनराशि रखने से कुछ नहीं होगा उसका उपयोग न करें तो वह धनराशि बेकार है सरकार को इस प्रकार की धनराशि नहीं रखनी चाहिए जिससे उसका कोई उपयोग ही नहीं हो सके। मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार राजस्थान के अन्दर ही नहीं लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर इस बारे में उदाहरण पेश करे।

इसी तरह स्लम्स क्लियरेन्स के बारे में निवेदन करूंगा। हमारी नगरपालिकाओं के क्षेत्र में जगह जगह स्लम्स हैं जिनके बारे में राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। जिस प्रकार तामिलनाडु की सरकार ने स्लम्स के लिए अलग कारपोरेशन बना रखा है। इसी तरह अलग बना करके स्लम्स को दृढ़ता के साथ दूर करने की आवश्यकता है। जहां तक फन्ड्स की उपलब्धि का प्रश्न है एल.आई.सी. और दूसरी संस्थाओं से धनराशि मिल जायगी और नगरपालिकाओं की जो समस्या है वह दूर कर सकेंगे। इसी तरह हरिजन भाई और दूसरी पिछड़ी हुई जाति के लोग हैं उनके पास जमीन के पट्टे नहीं हैं। पुराने समय से बसे हुये हैं। मैं समझता हूं राज्य सरकार हरिजनों को और दूसरी पिछड़ी जातियों के वर्ग के लोगों को, जो पुराने जमाने से एक स्थान पर बसे हुये हैं और जिनके पास पट्टे की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए कोई न कोई सरकार डाक्यूमेंट दे जिससे हाऊसिंग सहकारी संस्था बना कर अपने मकान बनाने के बारे में कुछ व्यवस्था कर सकें।

इसी तरह हमारे बीकानेर में राज्य सरकार ने डेयरी के प्लान्ट की स्वीकृति दी है। इस प्लान्ट की स्वीकृति होने के बाद इसका जो कार्य है, जिस तेजी से चलना चाहिए वह नहीं है। मैं समझता हूं कि यह डेयरी

(श्री भीमसेन)

कई बर्षों बाद मंजूर हुई है, और उसका काम धीरे धीरे चले, यह जनता को अच्छा नहीं लगता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डेयरी का जो प्रोजेक्ट है, उसकी गति तेज होनी चाहिये। हमारे लूनकरणसर में एक चिलिंग प्लान्ट लगाने की योजना है और दूध कलेक्शन का कार्य तत्काल हाथ में लिया जा सकता है। उसको ठण्डा करने, डेयरी स्कीम को सप्लाई करने का काम तत्काल लिया जा सकता है और उसके साथ ही चिलिंग प्लान्ट का काम लिया जाना चाहिये। डेयरी की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि टाऊन में जो अच्छी नस्लों की गायें है उनको बचाना है। अकाल के अन्दर गायों को बाहर जाना पड़ता है इस लिये राज्य सरकार को डेयरी को सफल बनाना चाहिये। उनको पीने का पानी सप्लाई करने की भी जरूरत पड़ेगी और तभी डेयरी वर्क काम कर पायेगा।

इसी तरह से, सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में नापासर करीब 10 हजार की आबादी का कस्बा है। वहां पहले नगरपालिका थी और अब वहां पर पंचायत है। तो वहां के लिए काफी टाइम से करीब चार, पांच वर्षों से यह सरकार के सामने विचाराधीन मामला है, काफी लम्बा टाइम लग गया। मैं चाहता हूं कि यहां तत्काल नगरपालिका ग्राम पंचायत के स्थान पर बननी चाहिए। वहां की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर म्युनिसिपल फक्शन्स को पूरा करने के लिए जैसे सफाई है, नालियां हैं और दूसरी तरह की व्यवस्थायें हैं- नगरपालिका बनाने से ही सारा काम हो सकता है। वहां पर इस समय पंचायत है उसके पास इतने आर्थिक साधन नहीं हैं कि इन कामों को करा सके। नगरपालिका बन जाने से कुछ अनिवार्य कर लगाने पड़ते हैं उससे कुछ वहां के आर्थिक साधन बढ़ेगें और हमारी राज्य सरकार की भी कुछ इमदाद होगी और इस तरह से वहां पर समस्याओं का समाधान करने के लिए नगरपालिका बनाना आवश्यक है।

इन्हीं शब्दों के साथ जो मैंने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उनको मूव करता हूं।

श्री सभापति : श्री जयनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री जयकिशनलाल।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): आदरणीय सभापति महोदय, समाज कल्याण के सम्बन्ध में जो मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनके सम्बन्ध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। . . .

श्री सभापति : आप कृपया अपने कट मोशन्स पर ही बोलेंगे क्योंकि आज समय बहुत कम है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : 5 मिनट के अन्दर बोलूंगा।

तो, सभापति महोदय, देश को स्वतंत्र हुए आज 25 वर्ष हो गए। अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को बड़ा विश्वास पैदा हुआ था कि अब शायद हमारा भविष्य बड़ा उज्जवल होगा लेकिन इस लम्बी अवधि को पार करने के बाद भी वही

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

स्थिति है जो आज से 50 वर्ष पहले थी। हम केवल यहां विधायक बन कर आ जायें या मंत्री बन जायें या कहीं सरकारी नौकरी में चले जायें या शहरों के अन्दर अपना वातावरण उस ढंग से बना लें यही सार्थक नहीं है। अगर आप गांवों में जाकर देखें तो जिस प्रकार से रूढ़िवादिता हमारे समाज में है उसको हम सहन नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर दूं कि आज हमारी सरकार विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है और उन नियमों के अन्दर कहीं 28 प्रतिशत, कहीं किसी प्रकार का रिजर्वेशन कागजों पर कर देती है और वहीं तक सीमित रख देती है। मेरा निवेदन है कि यदि यह प्रमोशन या रिजर्वेशन, जो किया जाये वह जैसे होम डिपार्टमेन्ट है यदि उसी से रिजर्वेशन कर दिया जाये तो आगे इन जातियों के कर्मचारियों को या इन जातियों के जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको लाभ मिल सकता है। यह रिजर्वेशन किया जाता है अलग अलग विभागों से और उन अलग अलग विभागों के अन्दर इस प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं कि इन जातियों के व्यक्तियों को या तो इन्टरव्यू के लिए काल नहीं किया जाता, और यदि उन बेचारों को काल किया जाता है तो उनको अयोग्य घोषित करके छोड़ दिया जाता है या कह दिया जाता है कि कागजों के अन्दर कि इस योग्यता के व्यक्ति अनुसूचित जाति और जन जाति मे मिले ही नहीं। इस प्रकार की धांधली जो आज हमारे विभागों के अन्दर हो रही है यह बड़े दुःख की बात है, और इस प्रकार से इन जातियों का उद्धार नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारे पूज्य बापू ने जब इन जातियों का उद्धार करने की कोशिश की थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था 'Men is equal. There is no difference between he and she, अर्थात् अधिकारों के अन्दर चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो उसको अधिकार समान रूप से मिलने चाहिए। लेकिन वह अधिकार मेरी समझ में तो आज तक मिले नहीं। उसी प्रकार का दुर्व्यवहार आज इन जातियों के साथ किया जा रहा है जो कि प्राचीन समय में किया जा रहा था।

मेरा एक निवेदन है कि यदि इन जातियों का उत्थान करने की कोशिश सरकार करे तो प्रत्येक तहसील के अन्दर एक विशेष अधिकारी नियुक्त कर देना चाहिए और वह विशेष अधिकारी यही कार्य करता रहे कि इन जातियों के अन्दर किस प्रकार की कमियां हैं, कौन विद्यार्थी किस योग्य है, कौन कर्मचारी किस योग्य है या किस जाति के अन्दर किस प्रकार की कमियां हैं उन्हे दूर करने की कोशिश करें और उसको वह विशेष अधिकारी सरकार तक पहुंचाये और उनकी क्रियान्विति की जाये तभी जाकर इन जातियों का उद्धार हो सकता है।

साथ ही साथ यह और निवेदन कर दूं कि हमारी सरकार सीलिंग एक्ट ला रही है। विभिन्न प्रकार के नियम बनाती है लेकिन इन जाति के लोगों को अंशमात्र तक लाभ नहीं पहुंचता। मैं मेरे क्षेत्र की बात बताऊं या राजस्थान की बात बताऊं कि गांधी शताब्दी के उपलक्ष्य में जिन हरिजनों को जमीन अलाट की गयी थी आज

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

तक उनका कब्जा उनको नहीं मिला है। यदि मेरी नहीं मानें तो आप प्रत्येक तहसील से रिपोर्ट मंगाकर देख लें। उससे आपको स्पष्ट मालूम हो जायेगा कि इन व्यक्तियों को कब्जा नहीं दिया गया है। इस ढंग से हमारी रीति और नीति रही तो इन जातियों का उद्धार नहीं हो सकता।

दूसरा और निवेदन खेलकूद के संबंध में कर देता हूं लेकिन जो समाज के ऊंचे लोग माने जाते हैं उनकी धारणा रही है कि जिनके संस्कार इस प्रकार के हो गये है उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। लेकिन यह उनकी धारणा गलत है, क्योंकि मनुष्य को यदि सही प्रकार की सुविधायें दी जायें या उनको सब प्रकार से शिक्षा दी जाये या उनके जीवन को उन्नति की ओर ले जाने के लिए सब प्रकार के साधन जुटा दिये जायें तो आज साधारण व्यक्ति उच्च स्थान पर पहुंच सकता है। हम एक तोते या मैना को पढ़ाकर राधेश्याम, राधेश्याम, हरि कृष्ण का नाम रटा सकते हैं तो इन जातियों के लोग तो मनुष्य हैं और उस मनुष्य को यदि अच्छाई की ओर ले जाना चाहें तो आसानी से ले जा सकते है लेकिन उनके लिए सब प्रकार की सुविधायें, चाहे शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे धन की दृष्टि से हो, या समाज की दृष्टि से हो—अतः उन्हें सुविधायें दी जायें तो इस समाज के व्यक्तियों को उच्च दिमाग वाला, ऊंची बुद्धि वाला और बड़ी तेज और तीक्ष्ण विचार वाला बना सकते हो। लेकिन वातावरण ही ऐसा नहीं है। उनको सुविधायें नहीं दी जाती हैं और समाज शास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार यह भी निवेदन कर दूं कि केवल जन्म संस्कारों से या जातीय दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से व्यक्ति का उत्थान नहीं होता। धार्मिक दृष्टि से तो हम सम्भवतः मान सकते है लेकिन हम समाज को सही रूप में ऊंचा ले जाना चाहें तो हमें उस धार्मिक दृष्टि को पीछे छोड़ना पड़ेगा तभी जाकर इन निम्न तबके को ऊंचाई की ओर या अच्छाई की ओर ले जाने में हम पूर्ण रूप से सफल हो सकते हैं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि इन जातियों के प्रत्येक विद्यार्थी को यदि सही रूप में, सही हालात के अन्दर, चाहे वह स्त्री हो, वह पुरुष हो, वह विद्यार्थी हो या छात्रायें हों, यदि उनको सही रूप में सभी प्रकार की सुविधायें दे दी जायें तो हो सकता है कि मेरे वर्ग से भी अच्छे लोग बन सकते हैं, क्योंकि मानव-मानव समान हैं।

महिलाओं के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में बताऊं कि आज हमारी ऊंची जातियों की जितनी महिलाएं है सब शिक्षित हैं। अच्छाई और बुराई वह पूर्ण रूप से समझती हैं क्योंकि उनको शुरू से शिक्षा इस ढंग से दी जाती है। हरिजन जाति के लोगों की महिलायें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं अशिक्षित हैं। वह उस ढंग के वातावरण में पलती हैं कि उन्हें सही दृष्टि से शिक्षा मिलती नहीं है। इसलिए वे पारिवारिक ढांचा भी सही रूप से नहीं चला सकती। उनको सही रूप में यदि शिक्षा दी जाय, इस प्रकार की योजनाएं बना करके, एक दो स्थानों पर कहीं शिक्षण संस्थायें खोल दी जायें शिक्षा की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, सब प्रकार से उनको शिक्षा दी जाय तो वह महिलाएं भी, जो

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)

कि हमारे देश की, हमारे समाज की अंग हैं, वह इस प्रकार से भटकती नहीं फिर सकती हैं और वे भी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकती हैं ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की तरफ से जितने भी विभाग खोले हुए हैं उनकी कुछ मामूली रूप में प्रगति है लेकिन उन विभागों के अन्दर आज इस प्रकार भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि कोई देखने वाला नहीं है । क्यों नहीं है, इसलिए कि कौन किस की तरफ ध्यान दे ।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री **सभापति** : माननीय सदस्य, अपने समय का ध्यान रखें क्योंकि और भी सदस्य बोलने वाले हैं और समय कम है ।

श्री **जयकिशन लाल** तोसावड़ा : सभापति महोदय, दो मिनिट और ।

श्री **सभापति** : एक मिनिट में समाप्त कर दें ।

श्री **जयकिशन लाल** तोसावड़ा : इसीलिए तो कहता हूं दो मिनिट । एक मिनिट आपकी तरफ से और एक मिनिट अपनी तरफ का ।

श्री **सभापति** : आप ज्ञान शास्त्र की बातें कर रहे हैं जिसमें समय लगेगा । कृपया जल्दी समाप्त करें ।

श्री **जयकिशन लाल तोसावड़ा** : विभाग की तरफ से जितने होस्टल खुले हुए हैं उन होस्टलों की गतिविधियों की ओर हम देखें तो वहां पर जितने भी अध्यापक हैं, सुपरिन्टेन्डेण्ट हैं, जो भी अधिकारी हैं, विद्यार्थियों की ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं । कई सुपरिन्टेण्डेन्ट मेरे साथी हैं और उनसे कभी कभी बैठ कर वार्तालाप होता है तो यही उत्तर देकर छोड़ दिया करते हैं कि भाई कितनी भी सुविधा दी जाय यह लोग तो सुधर नहीं सकते । यह उनका ख्याल है । इस प्रकार के ख्याल इन विद्यार्थियों के प्रति हमारे रहे और उनके साथ इस प्रकार की दृष्टि रखो तो हमारे समाज को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते । और दोनों ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं । उपेक्षा की दृष्टि से इन जातियों के प्रति देखा जा रहा है ।

अन्धे, लूले, लंगड़ों के सम्बन्ध में निवेदन करूं, सभापति महोदय, कि वे तो वैसे ही अनाथ हैं, असहाय हैं, वे आगे नहीं बढ़ पायेंगे । यदि समाज कल्याण विभाग आज उनकी तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दें तो कई ऐसे विलक्षण बुद्धि के अंधे, लूले, लंगड़े हैं जो सामने आ सकते हैं और हमारे देश की योजनाओं में कामयाबी हासिल कर सकते हैं

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, अभी दो मिनिट तो नहीं हुए पर आपके आदेश को मानते हुए, आपके आदेश का पालन करते हुए मैं यही निवेदन कर देना चाहता हूं कि यदि समाज को सही रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह जो अनुसूचित जाति और जन जाति के जो लोग हैं, और यदि इस प्रकार की उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया तो हो सकता है कि

(श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा)
हमारे समाज के अन्दर कभी न कभी इस प्रकार की परिस्थिति हो जावे कि मेरे समाज की गतिविधियों में कोई हलचल हो सकती है, क्योंकि आज के युवकों के अन्दर हर प्रकार की अच्छी तरह से समाज की ओर अपनी अच्छाइयां और बुराइयां देखने की शक्ति है और वह अधिक समय तक इस अपेक्षावृत्ति को सहन नहीं कर सकेगा। इसलिये मेरा सरकार से निवेदन है कि पूर्ण रूप से जहां तक हो सके, सामाजिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार की दृष्टियों को सोच कर इस अंग को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने की बात सोचें...

(समय समाप्ति सूचक अनवरत घण्टी)

श्री सभापति : माननीय सदस्य अब समाप्त करें।

श्री जयकिशन लाल तोसावडा : तो समाज को लाभ हो सकता है।

श्री सभापति : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (खराड़ा) : सभापति महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग पर दो तीन हैं। मैं समाज कल्याण मंत्री जी को निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों की ओर वे ध्यान दें। मैं आपके मार्फत, सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उदयपुर जिले में बहुत बड़ी संख्या आदिवासियों की है। उसमें प्राथमिक शालाएं पंचायत समिति की ओर से चलती हैं लेकिन उसके साथ 2 समाज कल्याण की ओर से, जब कि यह प्रावधान है कि कन्या शिक्षा के लिए, आदिवासियों की कन्याओं की शिक्षा के लिए कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि आदिवासी गांवों में समाज कल्याण की ओर से ऐसी कन्या शालायें खोलनी चाहिए जहां आदिवासी कन्यायें शिक्षा पा सकें और उसके साथ साथ कुछ ऐसे उद्योगों की चीजें भी उनको सिखलाई जानी चाहिए। मेरा एक सुझाव यह है और माननीय मंत्रीजी इस ओर ध्यान दें तो काफी संख्या आदिवासी गांवों में जिनमें कन्या शालाएं खोली जा सकती हैं उनमें समाज कल्याण की ओर से प्रावधान होना चाहिए वहां कुछ आदिवासी कन्याएं शिक्षा पाकर अपने उद्योगों के रूप में सीख सकें।

दूसरा आज मवेशी खरीदने के लिए, अच्छे नस्ल के पशु खरीदने के लिए समाज कल्याण की ओर से धनराशि का प्रावधान होना चाहिए। आदिवासियों को अच्छे नस्ल के मवेशी खरीदने के लिए उनको पालने के लिए कुछ अनुदान मिलना चाहिये।

पंचायतों में आबादी हल्के के अन्दर जो पंचायत की जमीनें होती हैं उसमें आदिवासियों को, चमारों को, बलाइयों को और भंगियों को इन जातियों को, जो वहां पर अल्पमत और अल्प संख्या में होते हैं, वहां पर जो पंचायतों को समाज कल्याण की ओर से रियायती पट्टे देने का आदेश है वह तो न जाने कौन से कागजों में पड़ा रहता है लेकिन यह नहीं किया जाता कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को रियायती दर पर पट्टे दिए जांय। आज उनको पहले तो कोई

(श्री देवीलाल मीणा)

पट्टा देते नहीं है। बड़ी तकलीफ रहती है। कभी कई जगह हम जाते हैं और उनको कह कर पट्टे इश्यू कराते हैं लेकिन वे कहते हैं कि हमारे पास तो रियायती पट्टों के आदेश नहीं है। इससे इन जातियों को बहुत तकलीफ होती है। मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति क्षेत्रों में और पंचायत लेवल पर इन जातियों को रियायती पट्टों के आदेश होने चाहिए।

और मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जैसे उदयपुर सिटी के आस पास मेरा म्यूनिसिपल एरिया है, जिसमें मेरा चुनाव क्षेत्र है पानेरियों की मादड़ी गोवर्धन विलास आदि जिनमें आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन उनमें नल योजना नहीं लगाई जाती है। जैसा कि समाज कल्याण मंत्रीजी कहते हैं कि समाज कल्याण की ओर से इस बारे में सहयोग किया जा रहा है तो मैंने इस ओर समाज कल्याण मंत्रीजी का ध्यान भी दिलाया है। वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं दूसरी जाति लग भी रहते हैं लेकिन नल नहीं लगे समाज कल्याण विभाग को वहां की म्यूनिसिपलिटी की ओर से प्रस्ताव भी भेजा है लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए मंत्रीजी इस ओर ध्यान देकर ऐसे स्थानों पर नल लगाने का सहयोग दिलावें। इसी प्रकार किशनपोल के अन्दर भी काफी आदिवासी रहते हैं उनके भी नल योजना का प्रावधान नहीं है इसलिए मेरा कहना है माननीय मंत्रीजी को कि जो सिटी के आसपास के एरिया हैं जहां आदिवासी रहते हैं उनके अन्दर समाज कल्याण विभाग की ओर से सहयोग होना चाहिए और नल लगने चाहिए।

श्री सभापति : श्री गोपाल जोशी।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) : माननीय सभापति जी गैर सरकारी सर्वेक्षण को जो प्रोत्साहन अब तक नहीं दिया गया है और वेश्यावृत्ति के उन्मूलन में जो असफलता रही है उसके सम्बन्ध में मैं यहां अपने विचार प्रस्तुत करूंगा।

यह बात सही है कि सरकार ने सभी समस्याओं पर सर्वेक्षण का कार्य हाथ में लिया है और उससे सभी समस्याओं का समाधान होने वाला भी नहीं है इसलिए मेरा निवेदन है कि अन्य लोगों का भी इसमें सहयोग लेना चाहिये। सरकारी सर्वेक्षण से तथ्य प्राप्त होते हैं वे अधिकतर डिपेन्डेबल नहीं हैं। गैर सरकारी कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनसे कि सर्वेक्षण कार्य कराया जा सकता है ताकि सही तथ्य सामने आ सकें। इसी तरह से समाज कल्याण विभाग और कोउन्सिल फार डवलपमेंट आफ चिल्डरन ने कुछ कल्याणकारी गतिविधियां की हैं परन्तु उनके जो डेटाज हैं वे अविश्वसनीय हैं। मेरा निवेदन है कि विश्वविद्यालय के किसी विभाग या अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को इसके अध्ययन और सर्वेक्षण में लगाया जाए। हमारी जो सोशियो ऐकोनोमिक कन्डीशन है उसके अध्ययन के लिए भी गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना चाहिए।

दूसरी बात मैं वेश्यावृत्ति उन्मूलन के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री गोपाल जोशी)

सामाजिक उन्नति के लिए इसकी ओर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि नैतिक पतन की ओर ले जाने की प्रवृत्ति का कारण (mutilation of Presonality) है। इन लोगों को महिला सदन में रखा जाता है। जयपुर में जो मेन्टल हास्पिटल है उसके जो सायकट्रिस्ट है विश्व विद्यालय के जो सायकाट्रिस्ट हैं उनका भी यह कहना है कि केवल सोशियो एन्ड इकोनोमिक कन्डीशन ही इसका कारण नहीं इसका एक कारण मेन्टल हैल्थ भी है। सरकार इनको विस्थापित करने की बात सोचती है परन्तु मेरा खयाल है कि सरकार ने इसकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है। जब तक मेन्टल हैल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया जायगा तब तक यह प्रवृत्तियां बढ़ती ही जाएंगी। वेश्यावृत्ति को प्रवृत्ति के लिए कोई सोशियो इकोनोमिक कण्डीशन ही फैक्टर नहीं है अन्य फैक्टर भी हैं और इसमें मेन्टल हैल्थ एक एबनोर्मल कारण है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समाज कल्याण विभाग में सायकाट्रिस्ट को लगाना चाहिए। महिला सदन में, जो सुपरिण्टेण्डेण्ट हो, वह ट्रेन्ड होनी चाहिए इसके अलावा हाइली क्वालिफाइड भी होना चाहिए ताकि वे सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए वेश्यावृत्ति उन्मूलन में सहयोग दे सकें। इसके अलावा सभापति महोदय, मैं नगरपालिकाओं, नगर परिषदों के बारे में भी अर्ज करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, नगरपरिषदों का दीर्घ काल तीन साल का होता है लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनके लिए यह समय बहुत थोड़ा होता है। उनका यह समय प्रजातांत्रिक तरीके से विश्वास और अविश्वास के प्रस्तावों में लग जाता है। कुछ समय बचता है तो वे काम करते हैं और फिर वैसे ही चले जाते हैं। इसलिए वे इस थोड़े से समय में पूरा काम नहीं कर पाते हैं। सरकार को इस अवधि को बढ़ाना चाहिए।

दूसरी बात यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं नगरपरिषदों के अध्यक्षों को जो आनरेरियम दिया जाता है वह बहुत ही कम दिया जाता है। मैं नगरपरिषद का अध्यक्ष रहा हूं। बड़ी नगरपरिषदों के अध्यक्षों को यह डेढ़ सौ रुपया प्रतिमाह मिलता है और उससे नीचे वाली नगरपालिकाओं को 75 रुपया प्रतिमाह मिलता है। इससे अच्छा हो कि इसको लिया ही न जाए। मैं तो यह समझता हूं कि यह उनके मान और सम्मान के प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है। हालांकि नगरपरिषद् के अध्यक्ष को हम फर्स्ट सिटीजन कहते हैं, यह सम्मान उसको देते है लेकिन उस फर्स्ट सिटीजन को भी हम डेढ़ सौ रुपया देते हैं तो यह दयनीय स्थिति है। इसलिए राज्य सरकार इस पर भी थोड़ा गौर करे।

इसके अलावा एक निवेदन यह करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि डाइरैक्टर आफ लोकल बोडोज के दफ्तर में चेयरमैन या अध्यक्ष जाते हैं तो उन लोगों के सम्मान में कम से कम उनके लिए बैठने का प्रबधन

(श्री गोपाल जोशी)

होना चाहिए। उनके लिए वेटिंग रूम होना चाहिए ताकि वे ठीक ढंग से बैठ पाएं। वहां उनसे यह पूछने वाला कोई नहीं है कि उनकी तकलीफ क्या है। मारे मारे जाते हैं। इन लोगों की इस दफ्तर में बड़ी दुर्दशा होती है। कम से कम उनको इतना सम्मान दिया जाना चाहिए कि वे वहां बैठ सकें और उनके लिए कोई वेटिंगरूम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सभापति महोदय, नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है एक तरफ नगरपालिकाएं जो मनोरंजन कर सन् 51 में खुद वसूल करती थी उसको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और तीन साल की औसत पर वह उनको दे रही है। लेकिन 51 के बाद अब 73 आ गया है। इस अवधि में सरकार ने मनोरंजन की रेट भी बढ़ा दी है और आमद भी बढ गई है। इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस दर को दुबारा निर्धारित किया जाना चाहिए और अब तीन साल की क्या औसत आती है उसके रेशियो में यह राशि नगरपालिकाओं को मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिकाओं द्वारा जो छोटे छोटे टैक्स जैसे आक्ट्राय वगैरह लगायी जाती है उनमें कोई यूनिफार्मेटी नहीं है। यह कहीं पर कुछ है और कहीं पर कुछ है। इसलिए हमारे यहां पर बीकानेर, गंगाशहर और बोदासर में आक्ट्राय में यूनिफार्मेटी नहीं है, वह होनी चाहिए। इसके अभाव में लोग धोखाधड़ी करते हैं और लोग इधर से उधर सामान लाते ले जाते हैं। इसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करूंगा कि हाई कोर्ट में 6 सितम्बर, 1971 को, एक रिट पिटीशन की गई थी और उसमें हाई कोर्ट ने गवर्नमेन्ट को आक्ट्राय के लिए एक यूनिफार्म पेटर्न बनाने के लिए सलाह दी थी। हाई कोर्ट ने यह सुझाव दिया था कि सरकार को कोई यूनिफार्म पेटर्न बना देना चाहिए यदि यूनिफार्म शिड्यूल नहीं बन सके तो तो जो कोर्ट ने डाइरेक्शन दिया है गवर्नमेन्ट को कि एक एक्सपर्ट की कमेटी का फारमेशन किया जाए और वह कमेटी इस टैक्स का कोई फार्मूला इवोल्व करे ताकि सभी नगरपालिका इस यूनिफार्म के पैटर्न पर आक्ट्राय की वसूली कर सके।

सभापति महोदय, अभी अभी जो सम्पत्ति कर लगाया गया है, जो सम्पत्ति कर अचल सम्पत्ति, इम्मूवेवल प्रोपर्टी पर लगाने का निर्णय लिया गया है यह कर नगरपालिकाओं की सीमाओं में लगाया जाएगा। इसलिए इसका भी कुछ हिस्सा नगरपरिषदों और नगरपालिकाओं को मिलना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सके...

श्री सभापति : उस समय आप बोल सकते हैं...।

श्री गोपाल जोशी : अभी नगरपालिकाओं की मांगें चल रही हैं इसलिए थोड़ी बात इस सम्बन्ध में निवेदन कर देना चाहता हूं।

इसके अलावा सरकार ने कुछ उद्योगों को आक्ट्राय की छूट दे रखी है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वाटर वर्क्स

(श्री गोपाल जोशी)

टेलिफोन वाले हैं वे नगरपालिकाओं की सड़कें तोड़ते हैं और उनकी मरम्मत नहीं करते हैं। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हर महीने में अपने बिल का पैसा ले लेता है लेकिन वह जो सामान वहां पर लाता है उसका आक्ट्राय नहीं देता है। इसलिए इसका भी खुलासा होना चाहिए ताकि ये लोग आक्ट्राय समय पर देते रहें। इसी तरह से नगरपालिकाओं को, जो प्रति व्यक्ति 50 पैसा के हिसाब से ऐड दी जाती है, उसमें भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वह डाईरेक्ट उनको मिल जाए।

सभापति महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। बजट नगरपालिकाएं पास करती हैं और फिर डाईरेक्टर लोकल बोडीज को भेजती है। वहां एक महीना कम से कम सेंक्शन करने में लग जाता है। कभी एडमिनिस्टेशन सेंक्शन की वजह से रह जाता है तो कभी किसी वजह से पड़ा रह जाता है। इसलिए इसके बारे में जल्दी से तय किया जाना चाहिए ताकि बजट सेंक्सन में अधिक देरी न हो। सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यह प्रार्थना की थी कि जो ग्रांट ऐनुअली 50 पैसा प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलती है उस एड में से लोन का पैसा काट लिया जाता है। अब यह तय कर दिया है कि जिस कमेटी ने हाउस टैक्स को वसूला नहीं की है तो उसको यह ऐड नहीं मिलेगी। जो थोड़ी सी ग्रांट आप एक कमेटी को साल भर में देते हैं वह भी इस प्रकार बन्द कर रहे हैं इससे म्युनिसिपेलिटी की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरेगी बल्कि और बिगड़ेगी। मैं यह चाहता हूं कि यह ऐड नहीं रोकी जाए। जयपुर शहर के लिए इस साल बीस लाख का प्रावधान किया है। और इससे पहले पचास लाख का प्रावधान किया गया था। दूसरी भी नगरपालिकाएं हैं उनको भी इस प्रकार से मदद मिलना चाहिए। अभी माननीय भीमसेन जी ने यहां पर कहा था कि स्लम के लिए एक कारपोरेशन का गठन किया जाना चाहिए और सारे राजस्थान में स्लम की जो समस्या है वह इस कारपोरेशन के जरिए हल की जानी चाहिए, निपटायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, थोड़ी सी एक बात और ज्यादा नहीं कहूंगा वह यह है कि इतने सालों से, दो-चार सालों से जो 60 और 40 के रेशयो से और 25-75 के रेशयो से हमें मिलता था वह भी नहीं मिल रहा है। इस कारण इन लोगों की आर्थिक हालत दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। इसको कुछ करने के लिए सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए और सहयोग देना चाहिए और नहीं तो इसके लिए कुछ और करना चाहिए।

श्री **सभापति** : श्री विजयसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री बनवारीलाल।

श्री **बनवारीलाल** (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव पेश किये हैं उनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। भारतीय समाज की जो प्राचीन काल में व्यवस्था थी वह चार वर्ण व्यवस्था थी। उस व्यवस्था के

(श्री बनवारी लाल)

बारे में मैं ज्यादा न कहूंगा कि वह कैसी थी या बहुत ज्यादा एप्रिशियेबल थी। जो डाक्टर ग्राम्बेडकर साहब ने कहा है उन सब बातों के ग्रन्दर नहीं जाना चाहता। तो इस वर्ण-व्यवस्था के बाद हमारे यहां जाति-व्यवस्था ग्राई। उसने हमारे समाज का बहुत बड़ा ग्रपकार किया है। इतना बड़ा ग्रपकार किया है कि बाहर के लोगों ने बड़े ग्रालोचनात्मक ढंग से हमारे समाज को देखा है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि जिस समाज की हम व्यवस्था करना चाहते हैं, जो समाज का स्ट्रक्चर करना चाहते हैं ग्रगर उस व्यवस्था के हिसाब से देखें तो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंग, जिसके ग्रन्दर शेड्यूल्ड कास्ट्स ग्रौर शेड्यूल्ड ट्राइब्स ग्राकर मिलती हैं, वह एक ऐसा ग्रंग है जो कि पूरे शरीर के ग्रन्दर सबसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए जब कि हमारे देखने में यह ग्रा रहा है कि वह सब से ज्यादा कमजोर हालत में था ग्रौर ग्राज भी है ग्रौर निकट भविष्य में भी कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि यह सशक्त हो जाय।

ग्रभी इस संदर्भ में पिछली शताब्दि में काफी प्रचार हुग्रा ग्रौर हमारे प्रदेश पर भी उसका प्रभाव पड़ा। जब देश ग्राजाद हुग्रा तो यहां हमारे यहां बहुत ग्रच्छे विचारक थे ग्रौर उन लोगों ने इस पर नजर डाली ग्रौर हमारे संविधान में प्रावधान किया, जिनको हम फण्डामेन्टल राइट्स के नाम से पुकारते हैं। उन फण्डामेन्टल राइट्स के हिसाब से यह तय कर दिया गया कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के नाम पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं बरता जायगा लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है, जैसा कि वहां पर संकेत है। सवाल तो यह है कि यह व्यवस्था तो पूर्ण है, लेकिन यह बात देखने में ग्राई कि इस व्यवस्था के हिसाब से ग्रौर उसके बाद राजस्थान सरकार ने जो समय समय पर कानून बनाये हैं उनके हिसाब से यह था कि समाज के ग्रन्दर इस प्रकार का भेदभाव न रहे, इतनी ऊंच-नीच न रहे ग्रौर यह भी समाज-रचना करेंगे कि जो जाति के नाम से, धर्म के नाम से चला ग्रा रहा था वह न रहे, वह मिट जाये, लेकिन ग्राज इतने सालों के बाद भी स्थिति बहुत ज्यादा नहीं सुधर पा रही है। मेरे बहुत से साथियों ने यह बात कही है कि 25 साल पहले हरिजन जहां पर खड़ा था वहां से वह ग्राज भी ज्यादा फासला तय नहीं कर पाया है, ग्रौर मैं भी यही कहूंगा। इस समाज के ग्रन्दर, इस वर्ग के ग्रन्दर कुछ ऐसी जातियां थी जिनको छूग्राछूत की दृष्टि से देखा जाता था वह बिल्कुल वहीं खड़ी हुई है।

(3.24 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि उनकी स्थिति ग्रभी राजस्थान के ग्रन्दर कुछ नहीं सुधरी है। उनके ग्रलावा भी कुछ ग्रौर ऐसी जातियां है जो उस जगह की जगह पर ही हैं जैसे बागरी, भील ग्रादि यह जंगलों में रहते हैं ग्रौर इस बुरी हालत में रहते हैं कि हम यह विश्वास नहीं कर सकते हैं कि क्या लोग इस तरह से भी रहते हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि सर्दी, गर्मी, धूप ग्रौर बरसात में वे

(श्री बनवारीलाल)

बिना मकान के रह रहे हैं, बिना कपड़े के रह रहे हैं और खाने-पीने की भी कोई व्यवस्था उनकी ठीक होगी यह कहना मुश्किल है। शायद कोई जानवर मार लिया और उसको भून लिया तो उससे उनका पेट भर जाता हो। यह स्थिति बताती है कि हमारे समाज के कल्याण के लिए जो कार्य हुए हैं वह कितने सफल रहे हैं। उनमें गड़बड़ रही है जिसकी वजह से यह बहुत बड़ा वर्ग वहीं खड़ा है जहां कि 25 साल पहले खड़ा था। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इतनी संख्या के लोग आज इस देश के अन्दर इस तरह से रहें जब कि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ एक बिल्कुल ही विचित्र स्थिति है, तो यह हम सब के लिये बहुत ही शर्मनाक बात है। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे कान्क्रीट प्रोग्राम होने चाहिये जिससे उनके अन्दर कुछ बदलाव आये कुछ वह भी सुधरे और हमारे समाज का दृष्टिकोण भी उनके बारे में बदले।

उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत बुरी बीमारी है छूआछूत की। इसको मिटाने के लिये हमने कानून बनाये और इस प्रकार की व्यवस्था की, लेकिन इसके बावजूद भी आज, कुछ शहरों में स्थिति शायद सुधरी है, लेकिन गावों की स्थिति बिल्कुल नहीं सुधरी है। आज भी वहां पर हरिजनों को चारपाई पर नहीं बैठने देते हैं, चबूतरे पर नहीं बैठने देते हैं, अच्छा नहीं खाने देते हैं, अच्छा नहीं पहनने देते हैं। राज्य सरकार कानून बनाती है, इस प्रकार की रोक लगाती है लेकिन इससे काम नहीं चलता है। आज उन लोगों में काफी असन्तोष है। एक ओर तो सरकार इस तरह की बातें सोचती हैं और दूसरी ओर जो दकियानूसी किस्म के लोग हैं अन्य जो छूआछूत से प्रभावित नहीं होते हैं वह भी नाराज हैं, और इन लोगों को भी सन्तोष नहीं है। तो इस व्यवस्था में जो कुछ गड़बड़ है उसको ठीक करना चाहिये।

जो कुए बने हुए हैं पानी के लिये तो कई जगहों पर अलग कुए नहीं हैं हरिजनों के पास। तो उनको जाकर दूसरे लोगों को कहना पड़ता है पानी भरने के लिये। उनका करम हो तो वह उनको पानी भरने देते हैं। अभी तक हम यह व्यवस्था नहीं कर पाये हैं कि उनको कुछ कुए दें। हमारा टार्गेट तो यह है कि समाज के अन्दर बिना भेदभाव की व्यवस्था हो तो उसके लिए भी राज्य सरकार को व्यवस्था करना चाहिये। प्रत्येक ग्राम में समानता का बरताव करने के लिये भी कुए बनने चाहिये जिससे सब लोग समान रूप से पानी भर सकें।

इसी संदर्भ में मेरे जिले की एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। वह साधारण भेदभाव की बात नहीं है। एक गांव है लावा जिसमें एक गवांई तालाब है। उस तालाब पर बहुत पहले से नहाने के लिए एक घाट बना हुआ था। उस घाट पर हरिजनों को नहीं नहाने देते थे। जब वहां पर हरिजनों ने देखा कि उनको उस घाट पर नहीं नहाने देते हैं, तो उन्होंने अपने लिये अलग घाट बनाने की सोचा और उसके लिये चन्दा इकठा किया। जब वहां पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया तो गांव के कुछ लोगों ने सोचा कि

(श्री बनवारीलाल)

हमारे घाट के बराबर उनका घाट बन जायगा तो बहुत बुरी बात होगी । एक रात में उन्होंने जमा होकर उसको तोड़ दिया पुलिस में रिपोर्ट की गई तो वह अदालत में केस गया । अब में खास मुद्दे की बात निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो अधिकारी हैं उनके दिल और दिमाग जब तक साफ न हो तब तक कानून का पालन नहीं हो सकता है । वहां पर एस. डी. ओ. एक सरदारजी थे, तो उन्होंने क्या व्यवस्था की कि घाट का केस तो छोड़ दिया और हरिजनों को आपस में लड़ा दिया और 100-50 आदमियों के खिलाफ केस कर दिया । बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई । हरिजन आपस में ही छूआछूत करते हैं । माननीय मुख्य मंत्रीजी वहां आये तो उनके सामने यह समस्या आई तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने आफिसर साहब को बुलाकर जब यह कहा कि हरिजन आपस में छूआछूत कर रहे हैं आप ऐसी एबसर्ड बात मेरे सामने लाकर खड़ी कर देते हो, तब जाकर उनका दिमाग ठीक हुआ और उस केस को निपटाया । ऐसी परिस्थिति के अन्दर सोसाइटी में चेन्ज करना चाहते हैं तो उसके लिये हमें रचनात्मक कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ वैचारिक क्रान्ति लानी पड़ेगी ।

हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। सिर्फ कानून के बल पर ही यह नहीं हो सकता है । यह नहीं हो सकता है कि इसके लिए किसी को आप सजा दे दें । उससे यह समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए हमारी जो मंजिल है, टारगेट है, कि भेद-भाव नहीं हो, कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए हमें दुवारा सोचना पड़ेगा । कौन कौन से कारोबार हैं, जिन में उनको लगाया जा सकता है । यों तो इन 20-25 सालों में राजस्थान सरकार ने जो कार्य किये हैं, वह सराहनीय हैं । लेकिन कुछ बातें जो माननीय सदस्यों ने कही हैं कई गलत मान बैठे हैं । कोई बुराई करे और कोई एक्शन नहीं होता है । अगर ऐसा है तो हम क्या कर पाये हैं । लेकिन मैं एक और मुख्य बात निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बतलाया गया है कि जो आदिवासी और हरिजन हैं, उनके ऊपर राज्य सरकार ने जो खर्चा किया तो मैं समझता हूं कि खर्चा तो कम है । उनके बच्चों को जो स्कालरशिप दी जा रही वह बहुत ही कम है । उसके कारण हमारे अन्तर में आ रहे हैं । जो जो छात्र पढ़ना चाहते हैं, स्कालरशिप चाहते हैं तो मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि स्कालरशिप की धनराशि को ज्यादा किया जाये । हरजनों के बच्चों का खर्चा अगर वह बरदाश्त करे तो उससे इस वर्ग के समाज का भी विकास होगा । जैसी कि लोगों की मान्यता यह है । मैं इस के लिए उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि जो सर्विसेज के अन्दर फर्स्ट ग्रेड की सर्विसेज हैं, जो कम्पीटीशन से निकल कर आ[illegible] इस वर्ग के बच्चे, वह निहायत ईमानदार हैं और अच्छा वर्क देते हैं । जो विना किसी छल कपट के कार्य करते हैं । तो इस वर्ग को बढ़ावा देंगे तो अच्छा होगा । उनके एजूकेशन में पैसे की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। उसका तरी का यही हो हो सकता है कि खर्चे के लिए उनका कुल खर्चा किया जाये । श्रीमान मैं निवेदन

(श्री बनवारीलाल)

करता हूं कि समाज के डेवलमेण्ट के लिए यह बहुत जरुरी है। उनके लिए हर किस्म के जो प्रोफेशन हैं, उनमें उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वही व्यवस्था रहती है। उनके हाथ का कोई पान नहीं खाता है कि कोई चीज छूले तो वह चीज नहीं खरीदते हैं। बिजनेस माइण्डेड लोग ऐसा डर कर देते हैं। इसलिए मैं उपाध्यक्ष महोदय, यह रखना चाहता हूं कि उद्योगों के बारे में हम कहां जा रहे हैं। उद्योगों का जो वेल्युएशन है, उसमें अनुसूचित जाति के 37.0% अनुसूचित जनजाति के 68.15% खेतिहर 34.46%. लगाये गये हैं। इसी प्रकार से कई व्यापार वाणिज्य है। इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं, व्यापार में 1.14%. अनुसूचित जाति की तथा 0.39%. और शिड्यूल ट्राइब्स की स्थिति है। श्रीमान यह बड़े खेद की बात है। जब तक उनका इकोनामिक विकास नहीं होगा तब तक उनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो सरकार को ऐसे तरीके अपनाने चाहिये जिनके माध्यम से यह बिजनेस के अन्दर, व्यापार के अन्दर लगेंगे, जिससे उनकी भी तरक्की हो, समाज की और राज्य की तरक्की हो। वह भी फुलफिल होने लगेंगे। श्रीमान् भंगी-कष्ट मुक्ति के बारे में अभी माननीय सदस्यों ने कहा है। बात तो बहुत ही अफसोस-नाक है। इस दौर के अन्दर एक आदमी का मैला दूसरा आदमी सर पर उठाकर चले इस व्यवस्था को तोड़ने का तरीका, जैसा कि राज्य सरकार ने सोचा है, किसी दूसरे में डालकर ले जाया जाये तो उसके लिए पैसा बहुत खर्चा होगा। लेकिन ईमानदारी की बात तो यह है कि इसके लिए म्यूनिसिपेलिटीज जिम्मेदार है जो इस चीज को एक्जीक्यूट कर सकें। वह इसके अन्दर बेईमानी करती है। बेईमानी यह करती है कि जो पैसा इसके लिए दिया है, वह उसमें खर्च नहीं करते हैं, दूसरे कामों में खर्च करते है। इसके लिए मैं डेटा देना चाहता हूं। 69-70 में जो नगरपालिकाओं को राशि आवण्टित की गई है, 80 हजार यान्त्रिक औजार, टोकन, बाल्टी, 20.54 लाख

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

इसमें सिर्फ खर्चा बताया है, कुल होता है, 47.00 जिसमें से 20.37 जो कठिनाई से खर्चा हुआ है। 15.35 में से 8.34 हुआ है। 10% के विरुद्ध 7.34%. हुआ। तो राज्य सरकार से मेरा यह निवेदन है कि जो एक प्रोग्राम है, उसको सख्ती से पालन किया जाना चाहिये। नहीं है तो उसका प्रावधान होना चाहिये।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

श्रीमान् मेरा निवेदन है कि यह मेरे वर्ग से सम्बन्धित है। इसलिए मुझे और बोलने का अवसर दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए आप को विशेष अवसर दिया है।

श्री बनवारीलाल : रिजर्वेशन की बात है।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए विशेष ध्यान रखते हुये, समय दिया है।

श्री बनवारीलाल : अब मुझे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों की भर्ती के बारे में निवेदन करना है। पहले तो इसके अन्दर बहुत गड़बड़ियां

Page No 120

(श्री बनवारीलाल)

हुई। इनका कोटा पूरा नहीं होता था। अब राज्य सरकार ने रोस्टर सिस्टम अच्छा बनाया है, उससे राहत मिलेगी चूंकि पिछले दिनों मेरा काम पड़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि रोस्टर सिस्टम के लिए रजिस्टर्स नहीं थे। इसके लिए समाज कल्याण विभाग के अन्दर एक सेल होना चाहिये जहां पर एम्पलाइमेंट एक्सचेंज में शिड्यूल कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का वर्गीकरण हो, जिसकी इनको सूचना मिलनी चाहिये और उस सूचना के साथ जब किसी विभाग में जगह हो, उसकी भी समाज कल्याण विभाग को सूचना जानी चाहिये और शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी को एपाइन्ट करना चाहिये। एक जिले से दूसरे जिले में जाना पड़े तो वह समाज कल्याण विभाग कर सकता है, इसकी स्टेट लेविल पर व्यवस्था होनी चाहिये।

इस संदर्भ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। हमारा कोटा फिक्सड है। लेकिन जिस स्पीड से चल रहे हैं और बीच बीच में बैन लगाकर चल रहे हैं तो अगले 50 वर्षों में भी कोटा पूरा नहीं होगा इतने सालों से रिजर्वेशन होते हुए भी। आप फिगर्स देखें तो कहीं 4 प्रतिशत कहीं 5 प्रतिशत। मैं राज्य सरकार से इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय जो हमारे इन्टरैस्टस को वाच करे। आप सरकारी अधिकारियों को दे देते हैं, वे ठीक तरह से उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। उसके लिए जिला स्तर पर जन प्रतिनिधि होने चाहिये और राज्य स्तर पर भी संगठन होना चाहिये जो सब बातों की देखभाल कर सके और जहां कहीं ऐसी बात देखे तो राज्य सरकार को अवगत करें। और रोस्टर सिस्टम, जो आपने रखा है वह तो ठीक है, लेकिन इसमें पेनल क्लाज लागू किए बिना वह पूर्णतः लागू नहीं हो सकेगा। वह कहते है हमारी जानकारी में नहीं था कब चालू किया है तो गड़बड़ होती है तो पेनल क्लाज अधिकारियों के लिए रखना चाहिये। हम सजा नहीं दिलवाना चाहते, हम हमारे अधिकार मांग रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिये।

अभी हाल ही में मुख्य मंत्री ने सदन में बात कही थी कि हम सर्विसेज में इन लोगों के लिए प्रोमोशन्स रिजर्व रखेंगे। यह तो बहुत सराहनीय बात है लेकिन इसके अन्दर थोड़ी गड़बड़ हो सकती है और वह यह जब तक आप कैबिनेट में तय करें, कुछ नियम बनायें, उससे पहले पहले तो जितनी जगह हैं प्रोमोशन वाली, वे सब पर लेंगे और 5-7 साल की छुट्टी हो गई। इसके लिए जब तक आप फाइनलाईज न करें तब तक प्रोमोशन्स पैंडिंग रखें और जिस समय प्रोमोशन्स करें तो हमारे केसेज को कन्सीडर करें।

गांधी शताब्दी वर्ष में राज्य सरकार ने आदेश निकाले थे कि नगर परिषद् या नगरपालिका क्षेत्र में जहां हरिजनों को आवासीय भूखण्ड नहीं है, उनको सस्ती दरों पर या फिक्सड रेट पर या जो 40 साल से रह रहे हैं उनको उसी जगह दिया जाए और ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे समस्या का समाधान हो जाए। राज्य सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी करके तेजी से काम किया लेकिन नगरपालिकाओं ने सिर्फ

(श्री बनबारी लाल)
उन केसेज को देखा जो 40 साल से एक जगह बैठे हुए थे और बहुत नगरपालिकायें ऐसी थीं जिन्होंने भूखंड नहीं दिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतंत्रता की रजत जयन्ती चल रही है तो सक्यूलर निकाला जाए जिससे इन जाति के लोगों की, जो आवास समस्या शहरों के अन्दर है, उसका समाधान इस रजत जयंती वर्ष में किया जा सके। इसी संदर्भ में जो गांधी·····

श्री उपाध्यक्ष : दुबारा घंटी बजानी पड़ेगी ?

श्री बनवारी लाल : गांधी शताब्दी वर्ष में जयपुर में यू. आई. टी. ने कुछ अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को जिनके अंदर कुछ अधिकारी, कुछ कार्यकर्ता लोग भी थे, प्लाट्स एलाट किए। अब पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई सदन में बहुत हंगामा मचाया गया, भारी अन्याय हो गया, पता नहीं किन हालात में सरकार ने कैंसिल करने के आदेश दिए। मेरा निवेदन है कि उस सारे मामले पर दुबारा विचार किया जाना चाहिए और उनको जो उस समय प्लाट्स एलाट किए थे, जिनके पास आपके पत्र मौजूद हैं कि आपको फलां नंबर प्लाट एलाट किया जाता है। अगर वह प्लाट किसी दूसरे को एलाट किया जाए तो उसको दूसरी जगह दिया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो राज्य सरकार के लिए ठीक बात नहीं है। हम लोगों के लिए तो बुरी बात है ही। जो कमी गांधी शताब्दी वर्ष में रह गई वह इस रजत जयन्ती वर्ष में पूरी कर सकें तो अच्छा होगा।

(श्री चेतराम और कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : आज साढ़े चार बजे मुखबंद है इसलिए····

श्री चेतराम : समाज कल्याण विभाग के कार्यों में सरकारी मशीनरी उपेक्षा करती है, कार्यपालिका उपेक्षा करती है, सदन भी उपेक्षा कर रहा है। जब और डिमांड्स के लिए रात को 10 बजे तक सदन का समय बढ़ाते हैं तो क्यों नहीं समाज कल्याण विभाग की मांगों पर बहस के लिए भी समय बढ़ाया जाए ?

श्री केदारनाथ : दो दिन शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर डिबेट है।

श्री उपाध्यक्ष : जब से मांगों पर बहस चल रही है आप यह जानते हैं कि आसन का रुख रहा है कि जितना समय सदन ने चाहा है उसके अनुसार समय बढ़ाया है, लेकिन नियमों में प्रावधान है, 4.30 पर मुखबंद का प्रयोग किया जाता है, उसके विपरीत आसन के आदेश नहीं हो सकते इसलिए मेरी मजबूरी है।

श्री चेतराम : मेरा निवेदन है कि समय बढ़ाया जाय।

(3.48 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

शासकीय वक्तव्य

नागौर में दिनांक 21 मार्च, 1973 को एक छात्र की हत्या से उत्पन्न स्थिति

श्री अध्यक्ष : गृह राज्य मंत्री का वक्तव्य। श्रीमती कमला बेनीवाल।

Page No 122

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, गृह) : दिनांक 21-3-73 की रात को करीब साढ़े आठ बजे नागौर पुलिस थाने में इत्तला मिली की एक लड़के की लाश सरावगियों की गली, मुख्य मार्केट के पास पड़ी हुई है। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची जहां पर उनको रामेश्वर पारासर पुत्र जगन्नाथ सेवक, निवासी नागौर, उम्र करीब 20 साल की लाश मिली। लाश पर छुरे के जखम थे। पुलिस ने तुरन्त मुकदमा दर्ज कर तफतीश शुरू की।

तफतीश से ऐसा प्रतीत होता है कि दिनांक 21–3–73 को दिन के करीब साढ़े तीन बजे एक विद्यार्थी श्री रामेश्वर पुत्र जगन्नाथ सेवक निवासी नागौर और श्री अलीमुद्दीन तथा उनके तीन साथियों के बीच गाली गलौच और झगड़ा हुआ था लेकिन रास्ते चलते व्यक्तियों ने इन्हें झगड़ा करने से रोक दिया और वे चले गये। शाम के करीब 4 बजे सर्व श्री अलीमुद्दीन और उसके साथी मोहम्मद यूसुफ ने श्री रामेश्वर को साईकिल पर जाते हुए को सदर बजार के पास पकड़ लिया और छुरे से दो वार कर उसे घायल कर भाग गये और श्री रामेश्वर की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गयी।

पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी हेतु शहर में गश्त व नाकेबन्दी की जिसके फलस्वरूप रात के करीब 1 बजे दोनों मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया तथा मुलजिम यूसुफ की निसादेही से छुरा भी उसी रात बरामद किया।

दिनांक 22–3–73 को सुबह मृतक रामेश्वर की लाश का पोस्ट मारटम करवा कर करीब साढ़े आठ बजे लाश को वास्ते दाह संस्कार मृतक के रिश्तेदारों के सुपुर्द कर दिया। तत्पश्चात् करीब चार पांच हजार व्यक्ति मृतक विद्यार्थी की अर्थी का जुलूस लेकर शहर में से होते हुए श्मशान के लिये रवाना हुए। जलूस के साथ लोगों ने नारे लगाये और जुलूस के साथ लगे हुए कुछ शरारती व्यक्तियों ने धान मन्डी में समसुद्दीन की घासलेट की दुकान के बराबर रखे हुए घायल के ड्रम को फोड़ कर आग लगा दी। पुलिस ने घटना स्थल पर ही मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया तथा स्थिति को नियन्त्रण में रखा। जुलूस जब मोतावाड़ी और लोहियों के चौक में पहुंचा तो कुछ शरारती लोगों ने सर्व श्री युसुफ और मूसा की साईकिलों की दुकानों को लूट लिया। पुलिस ने घटना स्थल पर ही मुलजिमानों को गिरफ्तार कर लिया तथा स्थिति को नियन्त्रण में रखा। जुलूस के आजाद चौक और नकास गेट से गुजरते समय कुछ व्यक्तियों ने रास्ते में मुसलमानों के घरों के दरवाजे, खिड़कियों और वहां पड़ी दो तीन साईकिलों को तोड़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने शीघ्र ही कार्यवाही कर स्थिति को नियन्त्रण में रखा। जुलूस के स्टेशन के पास पहुंचने पर कुछ व्यक्ति सर्व श्री मोहम्मद खान और सदीक खान कलालों की अंग्रेजी शराब की दुकानों की खिड़कियां तोड़ कर अन्दर घुस गये और तोड़फोड़ की। पुलिस ने घटना स्थल पर ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। जुलूस के अस्पताल के पास में गुजरते समय कुछ व्यक्तियों ने सैयद वजीर अली की दवाइयों की दुकान में घुस कर तोड़फोड़ की और आग लगादी। पुलिस

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

ने अपराधियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और स्थिति पर नियन्त्रण रखा। जुलूस के मिश्रोवाड़ा में से लेकर गुजरते समय कुछ व्यक्तियों ने मोहम्मद हुसैन पर घर में घुस कर तोड़फोड़ की और सामान व कपड़ों में आग लगा दी। पुलिस ने शीघ्र ही कार्यवाही कर मुलजिमानों को घटना स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया और स्थिति पर नियन्त्रण रखा। शरारती व्यक्तियों के द्वारा तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने तथा शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु जिलाधीश, नागौर ने शहर में धारा 144 जाब्ता कानून फौजदारी 1.30 बजे दिन से तीन बजे दिन के लिए लागू कर दी इसके बाद दो तीन दिन के लिए धारा 144 जाब्ता फौजदारी और आगे लगा दी गई जिससे शहर में शान्त रहे। लेकिन शरारती व्यक्तियों ने चैनार गांव के पास अकबर खान के चूने के भट्टे को तोड़फोड़ डाला। पुलिस में इत्तला मिलने पर फौरन मुकदमा कायम किया जाकर तफतीश शुरू की गई।

दिनांक 23-3-73 को खाटू से नागौर आती हुई बस को कुछ शरारती लोगों ने रोक कर लोगों की तलाशी ली तथा डेगाना की बस को चैनार गांव के पास रोक कर मोहम्मद जफर को लूटा और मारपीट की। इन दोनों घटनाओं की सूचना मिलने पर पुलिस ने फौरन मुकदमे दर्ज कर मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। कुछ शरारती लोगों ने लाखसर गांव के पास गुलाम मुस्तफा के मकान व खड़ी फसल को भी नुकसान पहुंचाया। जिस पर मुकदमा कायम किया जाकर तफतीश शुरू की गयी।

करीब 7 बजे दो व्यक्तियों ने बडली मोहल्ला के पास एक छोटी झोंपड़ी को आग लगा दी। गश्त के सिपाहियों ने फौरन आग को बुझा दिया तथा मौके पर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया इन घटनाओं के फलस्वरूप नागौर शहर में दिनांक 22 व 23-3-73 को बजार बन्द रहा। अब शहर में स्थिति पूरी नियन्त्रण में है तथा पुलिस और आर. ए. सी. की टुकड़ियां शान्ति व्यवस्था हेतु शहर में गश्त लगा रही हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मेरा सबसे पहला निवेदन तो यह है कि नागौर में जो कार्यवाही पुलिस द्वारा की जा रही है, वहां पर अन्धाधुन्ध तरीके से लोगों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं, उसे तुरन्त रोका जाना चाहिये। दूसरी बात आज वहां पर पुलिस द्वारा अत्याचार किया जा रहा है, उसे तुरन्त रोकने के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिये जाने चाहिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, आज वहां पर जनसंघ के लोगों के द्वारा लोगों को लूटा जा रहा है, आग लगायी जा रही है, लोगों का मारा जा रहा है और यह कहते हैं कि पुलिस वहां पर कोई कार्यवाही नहीं करे। यह सब जनसंघ के लोगों द्वारा किया जा रहा है, यह इनकी पार्टी है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी पार्टी द्वारा वहां पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसके पीछे मुस्लिम लोग का हाथ है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : Hon Minister will look to that.

Page No 124

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इनका राजोरिया काण्ड में हाथ या और पुलिस ने इनकी मदद की थी।

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे इजाजत दे तो मैं जनसंघ के पर्दे फास करूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, पुलिस द्वारा जो अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां की जा रही हैं उसे रोका जाना चाहिये। दूसरा मेरा निवेदन है कि वहां पर जो जनता पर अत्याचार हो रहा है उसे तुरंत बन्द किया जाना चाहिये और तीसरा मेरा निवेदन है कि इस प्रकार वहां पर कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जिन निर्दोष व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोडा जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आजकल मुस्लिम लीग इस प्रकार की बहुत ही कार्यवाही करा रही है और नागौर में जो यह काण्ड हुआ है उसके पीछे मुस्लिम लीग का हाथ है। और पुलिस मुस्लिम लीग से मिली हुई है।

श्री खेतसिंह : मुस्लिम लीग नहीं जनसंघ द्वारा कार्यवाही हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी मैं जनसंघ के काले कारनामे खोलूंगा तो ...

(सर्व श्री गिरधारीलाल भार्गव और प्रद्युम्नसिंह दोनों के एक साथ जोर जोर से बोलने पर अश्रव्य शोरगुल, अश्रव्य।)

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोले कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है, मैं बोलूंगा। गृह मन्त्रीजी ने जो वक्तव्य दिया है वह मेरे स्थगन प्रस्ताव पर दिया है इस लिये मैं प्रश्न पूछूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अभी राज्य मन्त्री, गृह द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था उसमें यह कहा गया कि एक रामेश्वर नामक सेवक का कत्ल नागौर में हुआ है और यह कत्ल मुसलमानों द्वारा किया गया है और वहां पर मुस्लिम लीग के लोगों के द्वारा आतंक मचाया जा रहा है और पुलिस पूरी व्यवस्था नहीं कर पायी है। आज वहां पर जो कुछ भी शरारतें की जा रही हैं उसके पीछे मुस्लिम लीग का हाथ है। इस प्रकार पहले भी कई बार सदन में स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनमें यह मालूम हुआ कि मुस्लिम लीग यह काम करवा रही है।

श्री खेतसिंह : जनसंघ थी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : ऐसी घटनायें जनसंघ नहीं कराती है। यह घटनायें आज कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबन्धन है इसलिए मुस्लिम लीग कर रही है।

श्री श्रीराम गोटेवाला : यह तो सब जनसंघ कर रहा है।

(सदन में तीन चार सदस्यों एक साथ के बोलने पर शोरगुल अश्रव्य)

एक माननीय सदस्य : मुस्लिम लीग और जनसंघ ने समझौता कर लिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : हमने तो किया नहीं है आपने समझौता कर लिया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको जरा माद्दा रखना चाहिये। खोटे धन्धे करते हैं तो सुनो भी।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप खोटे धन्धे करते हैं, आप ही ने खोटे धन्धे कर बाये हैं राजोरिया कान्ड में आपका ही हाथ था··

श्री प्रद्युम्नसिंह : वह तो पता चल गया कौन था।

(श्री प्रद्युम्नसिंह और भानुकुमार शास्त्री के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष :Do no't disturb the proceedings आप एक एक कर के बोलें। आप बैठिये।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं एक दो बात स्पष्टीकरण के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप भी दो तीन सवाल कर लीजिये। भाषण नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही थोड़ा निवेदन करूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि नागौर में आज तक इस दंगे के कारण कितनी गिरफ्तारियां की गयी हैं। दूसरे आज वहां पर कितने मुसलमान लोगों की दुकानों को लूटा गया और कुल कितना नुकसान हुआ तीसरे क्या यह सही है कि इसके पीछे जनसंघ या मुसलिम लीग के लोगों का हाथ है। इसमें जनसंघ फिरका और मुस्लिम फिरका परस्ती लोगों ने क्या कार्य ऐसे किये जिससे यह घटना हुई। क्या यह सही है कि उस घटना के पहले जनसंघ की मीटिंग वहां हुई थी और हिन्दु फिरका-परस्ती लोगों और मुसलिम लीग के फिरका-परस्ती लोगों ने जो यह घटनायें की हैं उसमें इस दोनों फिरकापरस्ती लोगों के खिलाफ क्या गवर्नमेंट करने जा रही है क्योंकि यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। इसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा क्या कार्य-वाही हुई है इसका जवाब मुझे दिलाया जाये।

तीसरे, ऐसी जगह पर, जहां झगड़ा हुआ, सिक्योरिटी एक्ट के मातहत गिरफ्-तारियां की गई या नहीं? क्या यह सही है कि वहां के जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने जानबूझ कर मुसलमानों की दुकानों को लुटवाया और वह ऐसे तत्व हैं जिनका ताल्लुक जनसंघ से है? मैं इन सबका जवाब चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मेरे चार पांच क्वेश्चन हैं, आपकी आज्ञा हो तो पूछ लूं?

श्री मूलचन्द सामरिया : मेरा एक सवाल है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया··

श्री अध्यक्ष : एक बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : इन लोगों को अरेस्ट कब किया? और इनके नाम बताने की कृपा करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : क्या यह बात सही है कि यह जो इन्सीडेंट हुआ था, जिसको

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

लेकर आर. एस. एस. वालों ने उधम मचाया, यह इन्सीडेंट आपसी नाराजी और नाइत्तफाकी के कारण हुआ, इसको लेकर छुरेबाजी हुई ? क्या सरकार की जानकारी में है कि छुरेबाजी की घटना के होने के बाद आर. एस. एस. के लोगों और जन संघ के कार्यकर्त्ता, जो पदाधिकारी हैं, की एक मीटिंग हुई ? उस मीटिंग के अन्दर तय हुआ कि राजनैतिक लाभ उठाने की दृष्टि से जरूरी है कि हिन्दु-मुस्लिम झगड़ा यहां खड़ा किया जाय। जिन लोगों ने आर. एस. एस. और जनसंघ के लोगों ने मीटिंग में भाग लि । क्या सरकार को उनकी जानकारी है ?मेरे पास सूचना है वहां इस प्रकार की मीटिंग हुई। क्या सरकार ने मीटिंग में भाग लेने वाले, जनसंघ के पदाधिकारी और आर.एस.एस. के लोगों के खिलाफ कार्यवाही की ? क्या इन लोगों में से किसी को गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया ? पहली बात। दूसरी बात, जो मेरी जानकारी में है, उस इलाके में मुसलमानों के पन्द्रह मकान जलाये गये, जिसके कारण चार पांच लाख का माली नुकसान हुआ, तीन साईकिल की दुकान, एक शराब की दुकान, एक सैयद मैडिकल स्टोर, इन सबमें तीन चार लाख का माल था, वह जला दी गई। जो सामान बचा हुआ था,उसे वह लोग लूट कर ले गये। जिन लोगों ने उस माल को लूट लिया, जिन्होंने सैयद मैडिकल स्टोर, साईकिल की दुकान और शराब की दुकान को लूटा, क्या उनको गिरफ्तार किया गया है ? यदि गिरफ्तार नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है ? सबसे बड़ी चीज यह है, जिन लोगों ने, जनसंघ के पदाधिकारियों और आर. एस. एस. के लोगों ने, इन्स्ट्रीगेट किया है, (व्यवधान) आप सुनने की हिम्मत रखिये··

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप सही बात कहने की हिम्मत रखें। गलत बात क्यों कहते हैं ?

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : इस सबकी जिम्मेदारी आप पर है··

श्री भानुकुमार शास्त्री : सारी जिम्मेदारी कांग्रेस पर है, कांग्रेस की नीति पर है। कांग्रेस की नीति ने ही हिन्दुस्तान के टुकड़े करवाये।

(शोरगुल)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं यह सरकार से कहता हूं कि सरकार इन पर अंकुश रखे।

(शोरगुल)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : हिन्दू-मुस्लिम दंगों की जिम्मेदारी कांग्रेस के ऊपर है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आपस में क्यों लड़ते हैं। आपस में चों चों क्यों हो रही है ?

(श्री प्रद्युम्नसिंह से) आप समाप्त करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने इतनी बात कह दी··

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप इस तरह की बातें कहेंगे तो फिर सुनेंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जनसंघ और आर. एस एस. . . .

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : माननीय राज्य मंत्री !

श्री केदारनाथ : एक निवेदन। मान्यवर, 21 तारीख को साढ़े आठ बजे स्टेबिंग का केस हुआ, उस सिलसिले में कितने आदमियों को गिरफ्तार किया गया ? 22 तारीख को जुलूस निकला, कम्युनल फ्रेन्जी वहां फ्लेअर अप हुई, झगड़ा बढ़ गया, तो जब कम्युनल वायोलेन्स या इन्सीडेंट होता है तब पुलिस वहां पहुंचती है। उसके पहले सामाजिक, सोशल, पालिटिकल बेसिस पर कभी इस एलीमेंट को निकालने की कोशिश नहीं की। इसमें सरकार फेल रही है। आल इन्डिया बेसिस पर सरकार फेल रही है। जब इन्सीडेंट होता है, कम्युनल फ्रेन्जी फ्लेअर अप होती है, तब सरकार देखती है। 21 तारीख के मामले को लेकर अनसोशल एलीमेंट, बेड प्रेक्टिस वाले और कम्युनल फ्रेन्जी फैलाने वाले कितने लोगों को गिरफ्तार किया, प्रिकाशन के रूप में। उसमें मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, उसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए, बेड एलीमेंट क ? इन्सीडेंट हो गया, कम्युनल फ्रेन्जी फ्लेअर अप हो गई और इन्नोसेन्ट आदमी मर गये, जिनका कुछ लेना-देना नहीं है, न मुस्लिम लीग के वह मेम्बर हैं। वह मारे गये। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की है। जिनका पार्टी से लेना देना नहीं था, वह इन्नोसेन्ट आदमी मर जाते हैं, उनके घर जलाये गये, दुकानें जलाई गई और दुकानों में घुस कर लोगों ने उन्हें लूट लिया। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और आयन्दा के लिए प्रिकाशन लेना चाहिए। अच्छा होता, आप जुलूस का रास्ता तय करते, रात को उसकी घोषणा करते और रात को ही बेड एलीमेंट को राउण्ड अप करते, जिससे पीस मेन्टेन हो जाती और कंट्रोल में जुलूस चलता।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। मैं समझता हूं कि यह जो घटना नागौर में हुई है, वह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार की नीति सेक्यूलर सिद्धान्त की है, वह भी मैं समझ सकता हूं। मेरे पूर्व वक्ताओं ने अमुक बातों की जानकारी प्राप्त करने के लिए निवेदन किया है। यदि माननीय मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं हो, तो मैं यह जानना चाहूंगा, क्या अब भी 144 धारा नागौर में है या नहीं ? एक। दो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनके नाम क्या हैं ? अगर मंत्री महोदय, कहना उचित समझें तो सदन को कान्फीडेंस में इस सम्बन्ध में लें। दो, तीन, जो माल दुकानात के अन्दर जलाया गया है, अनुमानतः कितनी मालियत का था ? माननीय सदस्य, प्रद्युम्नसिंह ने कहा, चार पांच लाख का था। इस सम्बन्ध में क्या मंत्री महोदय कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे और पांचवां प्रश्न मेरा यह है कि जो शव यात्रा के लिए जुलूस निकाला गया

(श्री लक्ष्मणसिंह)
वह पूर्ववत् निर्धारित मार्ग के ऊपर निकाला गया या मनमाने तौर पर निकाला गया ?

श्री अध्यक्ष : राज्य मंत्री, गृह !

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा जो आपत्तियां की गईं, कुछ प्रश्न किये गये, कुछ जानकारी चाही गई-- उसके बारे में सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राज्य सरकार की और भारत सरकार की और इस देश की रीति-नीति है धर्म निरपेक्षता की। उसके मुताबिक हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं और आगे भी किये जाते रहेंगे। किसी प्रकार इस देश की सामाजिक व्यवस्था, इस देश का कार्य संचालन में साम्प्रदायिक तत्व कोई तरह बाधा बन कर उपस्थित नहीं हो। इस सम्बन्ध के अन्दर हमेशा पुलिस ने चेष्टा की है, प्रारम्भ से लेकर अन्त तक किसी प्रकार कम्युनल फीलिंग, साम्प्रदायिक भावना में किसी प्रकार उभार नहीं आये। जो भी गलत काम करते हैं, चाहे हिन्दू हों, चाहे मुसलमान हों, उनको पुलिस ने उसी वक्त गिरफ्तार किया है। जो लूट का काम था, जो आगजनी का काम था, उसको वहीं का वहीं समाप्त करने की चेष्टा की है। मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगी, पुलिस को पूर्ण व्यवस्था की हुई थी और जिस वक्त में यह घटना घटी है उस घटना के तुरन्त बाद में ही नागौर में जो अस्सर जवान वहां पर तैनात थे और एक आर. ए. सी. की कम्पनी लगी हुई थी, उसको तुरन्त इस घटना को सम्भालने में लगा दिया गया था। उसके बाद जोधपुर से एक कम्पनी नागौर भेज दी। उसके बाद 22 तारीख को डी. आई. जी. स्वयं नागौर पहुंचे और आज तक नागौर में हैं, स्थिति को वहां सम्भालने के लिए। वह अपने साथ पचास जवान और लेकर आये थे। इसके साथ पुलिस महा निरीक्षक को जरूरत महसूस हुई कि और फोर्स की जरूरत पड़ सकती है इसलिये अजमेर से एक कम्पनी और भेजी गई। इसलिए यह कहना कि पुलिस का इन्तजाम शायद सही नहीं हुआ इस लिये यह स्थिति इतनी उभर गयी यह सर्वथा गलत है। पुलिस को सारे हथियार बरतने चाहिये थे उसको उसने बरतने की चेष्टा की।

दूसरा यह भी कहा गया कि पुलिस ने स्वयं ने इस तरह की कार्यवाही कराई, कोई भी जिम्मेदार माननीय सदस्य इस सदन में कहे यह कतई तौर पर वाजिब नहीं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस वक्त तक कितने गिरफ्तार किये गये? प्रो. केदार यह पूछ रहे हैं।

श्रीमती कमला बेनीवाल : 61 को गिरफ्तार किया।

श्री केदारनाथ : 21 तारीख को ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : रात को पता लगा कि एक व्यक्ति को फलां जगह पर छुरे से मार कर डाला हुआ है उसको देखने के लिये, लाने के लिये शहर में गश्त की गयी। दो मुल्जिम को मारने वाले थे उनको 21 को ही पकड़ा गया। अर्थी के साथ जब पुलिस रवाना हुई तो जहां जहां

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

भी इस प्रकार के काम हुए उस वक्त गिरफ्तारियां ज्यादा हुई और शहर के बाहर सिटी के इर्द गिर्द जो घटनायें हुई वे भी पढ़ कर सुनायीं। 28 को बेल पर छोड़ दिया। 11 पर क्रिमनल केसेज चल रहे हैं। 33 में से 19 पुलिस कस्टडी में और 14 ज्युडिशियल लोक-अप में है।

यह पूछा गया कि कितनी दुकानें लूटी गयीं और कितने माल का नुकसान हुआ। अभी यह सारी जानकारी तफतीश के दौरान चल रही है इसलिये यह कहना कि माल एक लाख का, दो लाख का या तीन लाख का था, संभव नहीं है। कितनी दुकानों को लूटा, कितनी साइकिलों को तोड़ा यह मैंने आपको अपने निवेदन में स्पष्ट किया। जिस जिस रास्ते पर जुलूस चलता गया, दुकानों का नुकसान किया। अन्दाज कितनी तादाद में नुकसान हुआ अभी नहीं बता पाऊंगी। तफतीश जारी है।

दूसरी गम्भीर बात यह है कि इस स्थिति का राजनैतिक लाभ लेना चाहें, इस प्रकार के तत्व समाज में काम करते हैं यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है। इस मामले में बहुत जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व के साथ बोलना चाहिए, कहना चाहिए और समझना चाहिये। हम यह कह दें कि यह घटना मुस्लिम लीग के कारण से हुई या जन संघ के कारण से हुई। मैं समझती हूं मुस्लिम लीग के बनने से और जन संघ के पहले के जमाव से इन घटनाओं को तथ्यहीन नहीं कह सकते। हम सब का यह फर्ज है और जिम्मेदारी है। हम मुस्लिम लीग का नाम लेकर यह कहना चाहें कि मुस्लिम लीग के बनने से ये घटनायें घटी, यह जिम्मेदारी हमारी है और किसी की नहीं। हमको इस प्रकार की गैर-जिम्मेदाराना बात कहने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। राजनैतिक लाभ हम लेना चाहते हैं इसलिए मुस्लिम लीग कह कर, जनसंघ कह कर लाभ उठाना चाहते हैं तो वातावरण को विषाक्त बनाना है उसको सही करने की दशा में कदम नहीं है।

नागौर में जो स्थिति बनी है उसको गम्भीरता के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के सहयोग से मिटाने की चेष्टा करना चाहिये और आगे यह चेष्टा करनी चाहिए कि देश के और राज्य के किन्हीं क्षेत्रों में इस प्रकार की घटनायें न घटें, इसके लिये जिम्मेदारी से सब को काम करना चाहिये।

एक बात पूछी गयी कि जनसंघ की बैठक वहां पर हुई और उसके उपरान्त में ये सारी घटनायें घटीं। मेरी जानकारी में जो अब तक आया है वह यह है कि एक पुराना झगड़ा था। पहले पेट्रोल पंप के झगड़े को लेकर दोनों के बोलना हुआ, झगड़ा भी हुआ और नाराजगी भी। कोई वक्त देख कर उसने सोचा कि उसका बदला लेना है उसी क्रम में यह घटना घटी। जनसंघ की मीटिंग की उत्तेजना के कारण से हुई हो तो जांच करवा रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जनसंघ की जांच हो रही है, ताली बजा रहे हैं। अपनी जांच कराओ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जो गिरफ्ता

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

रियां हो रही हैं उसको बन्द करना चाहिए।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने अंधाधुंध कहा था।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अन्धाधुन्ध बोला नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : इस प्रकार गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको रोकें...

(श्री प्रद्युम्नसिंह और श्री गिरधारीलाल के दोनों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्रीमती कमला बेनीवाल : इस तरह करने से न हमें आनन्द आता है और न किसी को। किसी शरीफ आदमी को तंग करके गिरफ्तार करना गलत बात है। इस प्रकार की बड़ी घटना घटी है और पुलिस ऐतिहात बरतती है और जांच करती है और अपराधियों को पकड़ती है तो आप कहते हैं..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अवश्य अपराधियों को पकड़िये और सजा दीजिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : जिस आधार पर आपने बयान किया है..

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अपराध किया हो अपराधी को अवश्य पकड़िये हम इसके लिये आपके साथ हैं। लेकिन निर्दोष व्यक्ति पुलिस द्वारा पकड़े जायं उसके लिए निवेदन किया कि निर्दोष को न पकड़िये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : बिना किसी आधार के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी तथ्यपूर्ण आधार के आप यह लांछन लगाते हैं कि पुलिस अन्धाधुन्ध गिरफ्तारियां कर रही है, निर्दोष व्यक्तियों को पकड़ा है यह बिलकुल गलत तरीका है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पुलिस ने थाने में ले जा कर डंडे मारे हैं मंत्राणी जी चाहें तो लोगों को पेश कर सकता हूं मेरे कार्यालय में बैठे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला: आपका कार्यालय ही सारे झगड़े की जड़ है।

श्री अध्यक्ष : उनका आप जवाब मत दीजिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं सदन के सामने निश्चित तौर पर आश्वासन देना चाहती हूं कि किसी व्यक्ति को जिसने अपराध किया उसको छोड़ा नहीं जावेगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होगी। आप से भी निवेदन है कि आप भी इसी भावना के साथ में इसको खत्म करने की चेष्टा करेंगे तो स्थिति में सुधार आवेगा और राजनैतिक लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे तो सुधार नहीं आवेगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक उत्तर दिला दीजिये...

श्री अध्यक्ष : उनका उत्तर सुन लीजिये।

एक माननीय सदस्य : पुलिस की व्यवस्था के बारे में......

(शोरगुल)

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने निवेदन किया कि आर. ए.सी. की कम्पनियां

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
लगा रखी थीं और 50 जवान और लगाये थे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिस मार्ग से जुलूस जा रहा था...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

माननीय मंत्रीजी।

मांग संख्या 25-व 13 पर अग्रेतर विचार व उनका पारण

श्री ओंकारलाल चौहान (समाज कल्याण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण विभाग की मांग प्रस्तुत हुई...

श्री अध्यक्ष : Let us be brief and try to finish it by 4.29.

श्री ओंकारलाल चौहान : उसमें 66 कट मोशन्स प्रस्तुत हुए और 12 माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : 4 बज कर 20 मिनिट तो ठीक नहीं। थोड़ा और बढ़ा दें।

श्री अध्यक्ष : किसी को यही याद रहता है तो मैं क्या करूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अधिक दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृपया समय का सदुपयोग करें।

श्री ओंकारलाल चौहान : अनुदान की मांग पर बहस हुई। 66 कटमोशन्स प्रस्तुत हुए। 12 माननीय सदस्यों ने उसमें भाग लिया। माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूं कि उन्होंने काफी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।

सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि पोलिसी के मामले, नीति के मामले में आलोचना की। कुछ माननीय सदस्यों ने सीधा प्रहार भी किया और तीखी आलोचना भी। यह स्वभाविक है, तीखी आलोचना होनी चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ जो सरकार ने काम किये हैं, जो सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं और एक अर्से से शोषित और पीड़ित वर्ग के लोगों को जो राहत 25 वर्षों में दी है उसकी सराहना भी होनी चाहिए। मैं कुछ माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राज्य सरकार के माध्यम से जो कार्य किये गये उनकी उन्होंने सराहना की।

सबसे पहले हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य ने आपत्तियां प्रस्तुत की उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। उन्होंने ओल्ड एज पेंशन के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये। कुछ न्यूट्रिशन सेंटर्स जो राज्य सरकार ने राजस्थान मे चालू किये उनकी भी आलोचना की। जहां तक वृद्धावस्था पेंशन का प्रश्न है इस सदन में इस पर कई बार चर्चा हुई है।

श्री केदारनाथ : दो दिन इस पर डिबेट होनी है तो इस समय तो जनरल पालिसी की बातों पर आप थोड़ा निवेदन कर दें इन नौ मिनिटों में तो अच्छा रहेगा।

Page No 132

श्री अध्यक्ष : आपकी सलाह पर विचार कर लें।

श्री लक्ष्मणसिंह : आप तो जो आप कहना उचित समझें कह दीजिये। जो ठीक लगे वह कह दीजिये।

श्री ओंकारलाल चौहान : विगत 25 वर्षों में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से 20 करोड़ रुपया खर्च हुआ है जिसके द्वारा खास खास चीजें, जो इसके माध्यम से हुई हैं, मैं समझता हूं उनका उल्लेख करना इसमें आवश्यक है।

सबसे पहले मैं साक्षरता की तरफ आऊंगा। सन् 61 में जनरल लिटरेसी हमारे यहां 15.21 थी जो बढ़ कर सन् 71 में 18.71 परसेन्ट हो गई। इसके मुकाबले में शिड्यूल्ड कास्ट्स की 61 में 6.23 से बढ़ कर 71 में 19.14 परसेन्ट तक पहुँची, व ट्राइब्स की सन् 61 में जहां 3.96 परसेन्ट थी वहां 71 में वह 6.01 परसेन्ट हो गई तो इससे स्पष्ट है कि प्रगति तो हुई है।

आज जितनी बाधायें हैं, उनके बीच में रहते हुए जो कुछ भी यह किया गया है यह भी कम नहीं समझा जाना चाहिए। यह भी सही है कि समाज के अन्दर आर्थिक विषमताएं हैं, समाज के अन्दर शोषण है, और आज बना हुआ चला आ रहा है सदियों से उसमें एक साथ परिवर्तन आना भी सम्भव नहीं है। जो पुरानी रूढ़ियां हैं वे भी पूरी तरह टूटी नहीं हैं अभी।

इस दृष्टि से वर्तमान समाज के ढांचे को मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं होगा। जैसे जैसे समाज प्रगति करता जावेगा, हम भी प्रगति करते जावेंगे। जो रफ्तार समाज के बदलने की है, उसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते जावेंगे। आज यह पिछड़ा दलित वर्ग, कुचला हुआ है, उत्पीड़न से जर्जर है और इसी कारण जो 25 वर्षों में हम आशा करते थे उतना नहीं कर पाये। इस वजह से नहीं कर पाये कि समाज का सारा दृष्टिकोण अभी बदल नहीं पाया है।

भंगी कष्ट मुक्ति के सम्बन्ध में काफी आलोचना की गई। इसके लिये नगरपालिकाओं को जो हमने काफी धनराशि दी है। प्रगति भी कुछ हुई है। पर नगरपालिकाओं को जो धनराशि दी जाती है, उसका भी पूरा उपयोग वे नहीं कर पाती है। नगरपालिका को हमने आगे यह भी निर्देश दे दिये हैं कि कोई भी नया भवन निर्माण का काम तभी स्वीकार करें जब उसके अन्दर फ्लश की तहारत का प्रोविजन हो। इससे भी इस काम में राहत मिलेगी।

हाउसिंग सोसायटियों का काम जो हुआ इस बारे में मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि 12 लाख रुपया राज्य द्वारा सबसिडी के रूप में दिया गया था वह समाप्त हो गया है। तीन लाख की और मांग कर रहे हैं। वित्त मन्त्रीजी ने शायद कृपा करके इसकी भी स्वीकृति दे दी है यह मैं मान लेता हूं। तो इस प्रकार हम करीब करीब 15 लाख रुपयों में पांच हजार मकान की व्यवस्था इस साल कर रहे हैं जो सराहनीय कदम है।

(श्री ओंकारलाल चौहान)

इसमें कुछ आपत्तियां की गई है और वे एक सीमा तक वाजिब भी हैं । कहीं पट्टों की आपत्ति है, कहीं कुछ है । यह भी कहा गया कि जो शेयर सौ रुपये का है वह भी राज्य सरकार दे । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस शेयर कैपिटल के सम्बन्ध में तीन सौ रुपया पहले से ही शेयर कैपिटल राज्य सरकार देती है । सौ रुपया ही हम उससे लेते है । इस तरह 400 रुपया पर चार हजार का लोन विदाउट इन्टरेस्ट मिलता है तो यह अनुचित नही कहा जा सकता । आज के दिन इतना भी मकान चाहने वाला व्यक्ति न कर सके तो यह चल नहीं सकता । सारी सुविधा राज्य सरकार ही प्रदान कर दे तो यह भी उचित नहीं होगा । थोड़ा बोझा उस पर भी आना चाहिये । वह थोड़ी मेहनत करे, स्वयं मेहनत के रूप में भी इसमें योगदान दे ताकि वह मकान बनाने की स्थिति में हो जावे ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनटचेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया । यह सही है कि इस प्रथा को हमें समाप्त करना है । पर यह केवल कानून से दूर होने वाली बुराई नहीं है जो सदियों से हमारी समाज की जड़ में बैठी हुई है । समाज जब तक नही बदलेगा यह बुराई नहीं जावेगी । जैसे जैसे समाज बदलता जावेगा, यह बुराई भी धीरे धीरे मिटती जावेगी । कानून के अन्तर्गत हम चालान भी करते हैं, पर गवाहियों के अभाव में चल नहीं पाते । इसलिये मैं आप से भी निवेदन करना चाहूंगा कि व्यक्तिशः आप भी इसमें लोगों को समझावें इसका प्रचार करें और लोगों के अन्तःकरण को जगावें । मनुष्य का हृदय परिवर्तन जब तक नहीं होगा यह बुराई जड़ से दूर नहीं होगी । मैं मानता हूं कि गांवों में यह बुराई किसी न किसी रूप में आज भी है । राज्य सरकार इससे पूरी तरह से अवगत है । मैं इस कलंक को समाज के माथे से दूर करने के लिये आपका सहयोग भी चाहूंगा ।

शिक्षा और प्रशासनिक गठन में हिस्सा लेने के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि हमने विश्व विद्यालय के माध्यम से एक क्लास चला रहे है जिसमें आर.ए.एस. और आई. ए. एस के लिये कोचिंग इन्स्टीट्यूट की तरह चलावेंगे । इसमें चालीस दलित वर्ग के लड़कों को हम प्रवेश देंगे । तो इस दृष्टि से हम आगे बढ़े ।

इस तरह से 25 वर्षों में हमने प्रगति की दिशा में कदम अवश्य बढाया है । पर जितना होना चाहिये, नहीं हुआ यह हम भी मानते हैं । इसमें कोई संशय की बात नहीं है । यह बिल्कुल स्वीकार करने की बात है । इसका भी कारण है । सामाजिक स्थिति, जो आज है, वह कारण है । राजनैतिक कारण भी है रूढीवादिता अभी समाज से टूटी नहीं है । यह भी कारण है । जाति पाति का भेदभाव जो कारण है । हमारा समाज अभी इस घुटन में जकड़ा हुआ है । इससे अभी अलग नहीं हो पाया है, जैसे जैसे अलग होता जावेगा हम प्रगति करते जावेंगे, हमारी प्रगति की रफ्तार भी वैसे वैसे बढ़ती जावेगी ।

हम चुने हुए प्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है मुझे कभी कभी देखने को मिलता

(श्री ओंकारलाल चौहान)

है कि माननीय सदस्य चाहे इस तरफ के हों चाहे उस तरफ के हों, इस विषय में जितनी रुचि नहीं लेने के कारण भी हम थोड़े पीछे हैं। इसलिये मेरा निवेदन आप से भी है कि आप भी इसमें रुचि लेकर इस सामाजिक काम को आगे बढ़ाने में हमारा हाथ बटावें।

श्री अध्यक्ष : अब मैं मुख बन्द का प्रयोग निम्नांकित मांगों को मत देने के लिये रखता हूं :–

प्रश्न यह है मांग संख्या 25 मुख्य शीर्षक 39-विविध सामाजिक तथा विकासीय संगठन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,94,41,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 13 मुख्य शीर्षक 26–विविध विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,30,79,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(4.31)

मुख बन्द प्रयोग

शेष अनुदान की मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 8 मुख्य शीर्षक 18 संसद, राज्य।संघ–राज्य क्षेत्र विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 58,44,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 मुख्य शीर्षक 36-उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 83,36,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या···

श्री केदारनाथ : एक नाम है, भूल नहीं पाये·····

श्री गिरधारी लाल भार्गव : हम विरोधी नहीं है, इसलिये क्यों ताली बजाते है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24 मुख्य शीर्षक 38 श्रम और नियोजन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

Page No 135

(श्री अध्यक्ष)

1,24,32,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29—मुख्य शीर्षक 64 दुर्भिक्ष सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 64,68,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक 65—निवृत्ति वेतन और अन्य निवृत्ति लाभ—72—निवृत्ति वेतनों का संराशिकरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,92,41,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 मुख्य शीर्षक 66—प्रादेशिक तथा राजनैतिक निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 5,50,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 मुख्य शीर्षक 68—लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,18,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 36—मुख्य शीर्षक 76—अन्य विविध क्षतिपूर्ति और अभिहस्तांकन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 86,73,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 मुख्य शीर्षक 92—भूमिधारकों आदि को जमींदारी प्रथा की समाप्ति के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के देय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 50,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 40 मुख्य शीर्षक 96–औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,78,35,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 43 मुख्य शीर्षक 109–अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 मुख्य शीर्षक 120 निवृत्ति वेतनों के संराशिकृत मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 45 मुख्य शीर्षक 124–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय की के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,67,69,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 मुख्य शीर्षक 125–संभाव्यता निधि का विनियोग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,00,00,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

विधायी कार्य

राजस्थान विनियोग (संख्या) विधेयक, 1973 का पुरःस्थापन

वित्त मंत्रीजी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 को पुरः स्थापित करने के लिये आज्ञा का प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 19 3 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

Page No 137

(श्री अध्यक्ष)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1973 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुर:स्थापित हुआ।

सदन की कार्यवाही दिनांक 27 मार्च, 1973 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 4.38 म. प. मंगलवार दिनांक 27, मार्च, 1973 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई)।

———

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 741 की सूची)

हिण्डोन सब-डिविजन जिला सवाई माधोपुर में सन् 71–72 में आवंटित की गई भूमि का विवरण

सन्	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल	अनुसूचित जाति		जन जाति	
				संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
1971	हिण्डौन	वनकी	100 बीघा	25	47 एकड़	25	15 एकड़
1972	„	गुढापोल	182 बीघा 16 बिस्वा	14	19 एकड़	51	95 एकड़
1972	„	करई	115 बीघा	–	–	–	–
1972	„	रैवई	10 बीघा 10 बिस्वा	–	–	–	–
1972	महुवा	बड़ागांव	25 बीघा	–	–	–	–
71–72	टोड़ाभीम	–	–	–	–	–	–
कुल योग			433 बीघा 6 बिस्वा	39	64 एकड़	76	110 एकड़

परिशिष्ठ 2

(ता. प्र. सं. 765 की सूची)

क्षतिग्रस्त भूमि की सूची

पंचायत समिति लाडपुरा	क्षतिग्रस्त क्षेत्र एकड़ों में
(1) कुनाड़ी ड्रेनेज स्कीम	400
(2) नान्ता	2500
(3) रायपुरा	545
(4) सूर सागर	915
(5) नागपुरा	55
(6) च[illegible]पुरा कंथून	600
(7) मथुरापुरा	1300
(8) काला तलाओं	580
(9) कंवरपुरा	300
(10) सोगरिया चन्द्रेसल	1780
(11) छतर बिलास बाग	140
	9115 एकड़

पंचायत समिति सुलतानपुर	क्षतिग्रस्त क्षेत्र एकड़ों में
(1) उम्मेदपुरा सनेजा बावड़ी बोरी स्कीम	1395
(2) भौंरा ड्रेनेज स्कीम	2760
(3) डाबर बोरी	2500
(4) सालोला मोती कुआं	500
	7155 एकड़
कुल योग	16270 एकड़

Page No 140

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 766 की सूची)

तहसील पाली की अधूरी सड़कें

क्र.सं.		नाम सड़क	नाम पद	वर्तमान स्थिति
1.	डामर रोड	रोहट से जालोर	डी.पी.ए.पी.	कार्य प्रगति पर है।
2.	एम. आर.	पाली से खेरवा	सी.आर.एस.ई.	प्रस्तावित की गई है। अधिशासी अभियन्ता, पाली के पत्र संख्या 11713 दिनांक 25-11-72 तादाद 1,19,620)
3.	डामर रोड	पाली सुमेरपुर	अकाल कार्य में स्वीकृति है	——
4.	एम. आर.	रामसिया से बूसी		——
5.	ग्रवल रोड	लाम्बीया से पंचपदारीया		——
6.	डामर रोड	पाली से कुलथाना	——	——
7.	एम. आर.	पाली से मनिहारी	——	——
8.	एम. आर.	गोमती गलावास	——	——
9.	एप्रोच रोड	मंदीया ग्राम	——	——

सहायता कार्यों में पूर्ण की गई सड़कें जो विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं।

1. ग्रेविल खेरवा से हूली
2. ग्रेविल रोड रोहट से खारा भीरा
3. पाली से पुनायता

Page No 141

परिशिष्ट 4

(तारांकित प्रश्न संख्या 769 की सूची)

ग्राम गोरख्या तहसील माण्डल में भू आवंटन

क्र.सं.	नाम आवंटिति	आवंटन का दिनांक	आराजी नं.	रकबा
1.	श्री चांदू पुत्र कालू हरिजन नि. गोरख्या तहसील माण्डल	22-10-71	1608	10) बीघा
2.	श्री प्रभू पुत्र छीतर हरिजन नि. गोरख्या तहसील माण्डल	22-10-71	1104	10) बीघा

परिशिष्ट 5 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या 411 की सूची)

भूमि विकास बैंकों की सूची जिनका चुनाव वर्ष 72–73 में हो गया है।

क्र.सं.	नाम भूमि विकास बैंक		दिनांक
(1)	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,	बीकानेर	2–9–72
(2)	,, ,, ,,	भीलवाड़ा	30–12–72
(3)	,, ,, ,,	जोधपुर	5–1–73
(4)	,, ,, ,,	टोंक	20–1–73
(5)	,, ,, ,,	सीकर	22–8–72
(6)	,, ,, ,,	भरतपुर	9–3–73
(7)	,, ,, ,,	गंगानगर	17–2–73
(8)	,, ,, ,,	हनुमानगढ़	8–8–72
(9)	,, ,, ,,	रायसिंहनगर	22–12–72
(10)	,, ,, ,,	अजमेर	7–10–72
(11)	,, ,, ,,	ब्यावर	16–9–72
(12)	,, ,, ,,	बांसवाड़ा	29–7–72
(13)	,, ,, ,,	जालोर	5–2–73
(14)	,, ,, ,,	जयपुर	4–2–72

परिशिष्ट (ब)

केन्द्रीय सहकारी बैंक जिनके चुनाव वर्ष 72–73 में हो चुके है की सूची

क्र.सं.	नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक			दिनांक
1.	बांसवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., बांसवाड़ा			22–7–72
2.	पाली	,,	,, पाली	21–2–73
3.	जयपुर	,,	,, जयपुर	2–3–73
4.	जालौर	,,	,, जालौर	15–3–73
5.	सवाईमाधोपुर	,,	,, सवाईमाधोपुर	5–8–72
6.	बीकानेर	,,	,, बीकानेर	2–3–73
7.	जोधपुर	,,	,, जोधपुर	22–12–72
8.	कोटा	,,	,, कोटा	23–12–72
9.	टौंक	,,	,, टौंक	8–10–72
10.	चित्तौड़गढ़	,,	,, चित्तौड़गढ़	19–9–72
11.	डूंगरपुर	,,	,, डूंगरपुर	4–10–72

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 394 की सूची)

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक प. 7 (36) राग्र/67 दिनांक 22-5-67 ओर
से अतिरिक्त मुख्य सचिव, (राजस्व), राजस्व (ग) विभाग,
राजस्थान जयपुर को।

विषय :—काश्तकारों को राहत देने के लिये भू-राजस्व में छूट।

जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53(1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि थी, उनसे खरीफ की फसल से भू-राजस्व नहीं लिया जावे।

प्रतिलिपि आदेश क्रमांक: प. 7 (83) राग/67 दिनांक 5-12-1967 और से उप राजस्व शासन सचिव, राजस्व (ग्र) विभाग, राजस्थान, जयपुर को।

विषय:- काश्तकारों को राहत देने के लिये भू-राजस्व में छूट।

इस विभाग की आज्ञा सम संख्यक दिनांक 22 मई, 1967 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि जिन काश्तकारों के पास 1 अप्रेल, 1967 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम कृषि भूमि निर्धारित की गई है उस सीमा तक या उससे कम कृषि भूमि पर उनसे आगामी खरीफ से भू-राजस्व नहीं लिया गया।

किन्तु इस विषय पर राज्य सरकार के पास पुनः प्रस्ताव विचाराधीन है अतः निर्देशानुसार लेख है कि उपरोक्त आज्ञा को फिलहाल स्थगित माना जाकर उपरोक्त धारा के अन्तर्गत आने वाले काश्तकारों से भी लगान की वसूली की जावे तथा इस प्रकार के काश्तकारों से वसूल होने वाली रकम का हिसाब अलग रखा जाय जिसके लिये आवश्यक आदेश बाद में दिये जायेंगे।

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक प. 7 (83) राग।67।जयपुर, दिनांक 12–3–68 ओर से राजस्व सचिव, राजस्व (ग) विभाग, राजस्थान जयपुर ने वास्ते समस्त जिलाधीश को एवं प्रतिलिपि विकास आयुक्त, राजस्थान जयपुर को।

विषय.–काश्तकारों को राहत देने के लिये भू-राजस्व में छूट।

निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार की सम संख्यक आज्ञा दिनांक 5–12–67 द्वारा निर्देश दिये गये थे कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन् 1955 की धारा 53 (1) के अन्तर्गत नियमों में जो न्यूनतम निर्धारित कृषि भूमि के काश्तकार हैं उनसे भी उनके कृषि भूमि का लगान खरीफ के लगान के साथ वसूल किया जाय। इस प्रकार के काश्तकारों से वसूल होने वाली रकम का हिसाब अलग रखा जाय।

इस प्रकार के लगान के प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार से निम्न नीति निर्धारण की है:–

(1) यह प्राप्त राशि संबंधित पंचायत समिति व जिला परिषद् दोनों से प्रस्ताव प्राप्त हो तो किसी अधिक कृषि योजना, ग्रामीण विद्युतिकरण योजना अथवा ग्रामीण पेयजल योजना के प्रयोगनार्थ खर्च करना चाहे तो उतना धन संबधित पंचायत क्षेत्र के लिये आवंटन किया जावें।

(2) यदि इस प्रकार के प्रस्ताव जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों से प्राप्त न हो तो अगली दो खरीफ के लगानों में उपरोक्त वसूल शुदा रकम संबंधित काश्तकारों को लगान में छूट कर लौटा दी जायेगी।

(3) अगली खरीफ की फसल से इस न्यूनतम कृषि के कृषकों से भी उनकी भूमि का लगान यथावत वसूल किया जायेगा।

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न सं. 396 की सूची)

क्रम सं.	नाम जिला	31 जनवरी, 1973 तक वितरित पास बुकें
1.	अजमेर	56,020
2.	अलवर	52,566
3.	बांसवाड़ा	16,583
4.	बाड़मेर	47,418
5.	भरतपुर	1,14,773
6.	भीलवाड़ा	64,772
7.	बीकानेर	37,657
8.	बून्दी	13,692
9.	चित्तौड़गढ़	97,029
10.	चूरू	50,669
11.	डूंगरपुर	26,743
12.	गंगानगर	49,964
13.	जयपुर	92,665
14.	जैसलमेर	6,131
15.	जालोर	58,193
16.	झालावाड़	25,720
17.	झूंझनू	38,296
18.	जोधपुर	30,367
19.	कोटा	80,743
20.	नागौर	71,211
21.	पाली	37,814
22.	सवाई माधोपुर	54,911
23.	सीकर	31,822
24.	सिरोही	29,909
25.	टोंक	21,727
26.	उदयपुर	67,144
	योग :—	12,75,039

नोट:–जिला जोधपुर एवं टोंक की सूचना प्राप्त नहीं हुई। अतः इन जिलों की 31 दिसम्बर, 1972 तक पास बुक वितरण की सूचना दी गई है।

जिलाधीश को वितरित की गई पास बुकों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	जिलाधीशों को दी गई पास बुकें
1.	अजमेर	1,20,600
2.	अलवर	1,50,000
3.	बांसवाड़ा	26, 00
4.	बाड़मेर	57,000
5.	भरतपुर	94,500
6.	भीलवाड़ा	89,500
7.	बीकानेर	46,500
8.	बून्दी	24,700
9.	चित्तौड़गढ़	1,39,500
10.	चूरू	84,500
11.	डूंगरपुर	41,500
12.	श्री गंगानगर	1,26,000
13.	जयपुर	1,68,800
14.	जैसलमेर	10,500
15.	जालौर	83,234
16.	झालावाड़	78,250
17.	झुंझुनू	67,000
18.	जोधपुर	63,000
19.	कोटा	1,22,300
20.	नागौर	84,000
21.	पाली	58,750
22.	सवाईमाधोपुर	1,25,000
23.	सीकर	80 400
24.	सिरोही	59,500
25.	टोंक	51,000
26.	उदयपुर	1,57,500
	योग :—	22,10,034

परिशिष्ट–8

(अतारांकित प्रश्न सं. 398 की सूची)

क्र. सं.	नाम	आ. नं.	कब से	किस्म तामीर
1.	पुखराज माथुर मावली	645।1	7–8–72	कोट. पत्थर का
2.	उदा खटीक मावली	645।1	,,	थूर की बाड़
3.	गोविन्दनारायण मावली	645।2	,,	मकान
4.	हरदेव खटीक	645।1	,,	मकान
5.	सूरजमल खटीक मावली	645।2	,,	मकान
6.	थालू खटीक मावली	645।2	,,	
7.	उदयलाल खटीक मावली	645।2	,,	
8.	मोहनलाल कुम्हार मावली	645।1	,,	
9.	मांगीलाल कुम्हार मावली	645।1	,,	बाड़ छड़ियों की
10.	भंवरलाल नाई मावली	645।1	,,	मकान
11.	रामू बलाई मावली	645।1	,,	मकान
12.	दौलत राम खटीक मावली	645।1	,,	मकान
13.	लालचन्द आदि मावली	662।4	,,	मकान
14.	मुरारीलाल मावली	637।2	,,	मकान

परिशिष्ट—9

(अतारांकित प्रश्न सं. 404 की सूची)

धौलपुर क्षेत्र में सिंचाई दर पुराने बंधात 165 को जरीब को दर से

नाम जिन्स	दर प्रति बीघा	दर प्रति एकड़
1. गन्ना	13·75	22·00
2. सब्जी, सिंघाडा, सजिका तम्बाकू, अफीम	10·31	16·50
3. गेहूं, जौ, गोजरा	6·87	11·00
4. चना, मिर्च, सरसों	8·25	13·20
5. मक्का व चना एक पानी पर	4·81	7·70
6. जीरा, कपास	8·94	14·30
7. चावल	6·00	9·62

Page No 151

Water Rates notified vide Govt, No. F. 13 (6) Irg/6A dt. 10-3-1970, amended vide Govt. Notification No. F. 13 (6) Irg/66 dt. 16-6-70 and further amended vide Govt. Notification No. F. (6) Irg/66 dated 26-4-1972.

(Rates per acre)

S.No.	Name of Crop.	Rate on Gang Canal Bhakra, Ghaggar. Canal & Raj. Canal. (Irrig. Under Perennial Channels).	Rate in Chambal Canal area and all works Constructed after 1st Jan. 52 & all works in the area former States of Banswara, Dungarpur, & Partapgarh.
1	2	3	4
1	Sugarcane	Rs. 30-00	Rs. 30.00
2	Rice	Rs. 14-00	Rs. 14-00
3	Cotton	Rs. 20-00	Rs. 20-00
4	Garden	Rs. 34 00 per Yr.	Rs. 34-00 per Yr.
5	Maize	Rs. 8-00	Rs. 7-00
6	Jawar	Rs. 7-00	Rs. 7-00
7	Bajara	Rs. 7-00	Rs. 7-00
8	Pulses	Rs. 12-00	Rs. 12-00
9	Simmhemp & grass	Rs. 4-00	Rs. 12-00
10	Jowar	Rs, 12-00	Rs. 12-00
11	Vegetable	Rs. 14-00	Rs. 14-00
12	Spices, Drugs & all other Kharif Crops not otherwise specified.	Rs. 12-00	Rs. 12-00
13	Oil Seeds	Rs. 12-00	Rs. 12-00
14	Water Nuts	„ 15-00	„ 17-00
15	Indigo & other dyes.	„ 12-00	„ 12-00
16	Tobacco	„ 12-00	„ 15-00
17	Lucern & Poppy	„ 15-00	„ 15-00
18	Palewa	„ 4-00	„ 4-00
19	Wheat	„ 12-00	„ 12-00
20	Barlea & Oats	„ 7-00	„ 7-00

1	2	3	4
21	Fodder	Rs. 4-00	Rs. 12-00
22	Bejar & Gochani	Rs. 12-00	Rs. 12-00
23	Melons, Fiberes & all other Rabi crops not otherwise specified.	Rs. 12-00	Rs. 12-00
24	Gram if only one watering is given.	Rs. 7-00	Rs. 7-00
	Gram with two & more watering.	Rs. 12-00	Rs. 12-00
25	Zeera	Rs. 13-00	Rs. 13.00

Non—Perennial channels for Gang Canal & Rajasthan Canal areas.

1	All Kharif Crops	Same rates as for perennial channels.
2	All Rabi Crops.	
	(a) For First watering.	Paewa rates would be charged.
	(b) For Second & subsequent watering,	Full rates as applicable to Perennial Channels would be charged.

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 406 की सूची)

* (फहरिस्त बाबत चलने नहर एफ. व एच. फसल खरीफ 68 से रबी .72·73 तक गंग नहर उत्तर खंड, श्री गंगानगर) *

क्र. सं.	फसल व समय नहर चलने का	कितने दिन नहर चली		विवरण
		एफ.	एच.	
1.	खरीफ, 68 (15-4-68 से 14-10-68)	173	164	
2.	रबी, 68-69 (15-10-68 से 14-4-69)	149	135	
3.	खरीफ, 69 (15-4-69 से 14-10-69)	171	170½	
4.	रबी, 69-70 (15-10-69 से 14-4-70)	83	78½	
5.	खरीफ, 70 (15-4-70 से 14-10-70)	129	135½	
6.	रबी, 70-71 (15-10-70 से 14-4-71)	92½	92½	
7.	खरीफ, 71 (15-4-71 से 14-10-71)	130	134½	
8.	रबी, 71-72 (15-4-72 से 14-10-72)	87	93	
9.	खरीफ, 72 (15-4-72 से 14-10-72)	148½	141½	
10.	रबी, 72-73 (15-10-72 से 12-3-73)	87	87	
	योग	1250	1232	

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं. 407 की सूची).

पंचायत समिति पदमपुर (श्री गंगानगर), में भूमिहीन व हरिजन परिवारों को आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित की गई, उसकी पंचायत वार सूची ।

क्र. सं.	नाम पचायत	परिवारों की सख्या जिन्हें निःशुल्क आबादी भूमि दी जा चुकी है।
1.	4 जे.जे.	54
2.	तामकोट	15
3.	नरसिंहपुरा	19
4.	डेलवां	02
5.	राजपुरा	50
6.	पदमपुर	107
7.	रिडमलसर	52
8.	7 डी डी	45
9.	घुड्साला	23
10.	16 बी बी	84
11.	35 बी बी	23
12.	रत्तेवाला	4
13	39 आर बी	63
14.	4 बी बी	26
15.	जोधनदेसर	15
16.	ममडवाली	2)
17.	जोडकिया	21
18.	1 पी एस	38
19.	20 बी बी ए	38
20.	जलूका	23
21.	8 एम एन ए	87
	योग	839

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न सं. 409 की सूची)

क. सं.	नाम व्यक्ति	दिनांक	राशि	उद्देश्य	कार्य पूर्ण किया गया अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रतनसिंह पुत्र श्री बाबसिंह महमदपुर	24-11-71	200–00	भू-संरक्षण कार्य हेतु	कार्य आरम्भ किये जा चुके है। जन सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। कार्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं।
2.	,, जसवन्तसिंह पुत्र दानसिंह महमदपुर	,,	500–00	,,	
3.	,, प्रेमकुमार पुत्र दानसिंह अहमदपुर	,,	180–00	,,	
4.	,, ज्वालासिंह पुत्र पालसिंह अहमदपुर	,,	350–00	,,	
5.	,, महेन्द्र सिंह सरपंच कुदिन्ना	25-3-72	2000–00	मरम्मत तालाब सोने का गुर्जा	
6.	,, महेन्द्रसिंह ,, ,,	,,	4000–00	कूप मरम्मत बाबूवाला।	
7.	,, महेन्द्रसिंह ,, ,,	,,	6000–00	नये कूप निर्माण सोने की गुर्जा।	
8.	,, महेन्द्रसिंह ,, ,,	28–3–72	5000–00	तालाब मरम्मत महारानपुरा।	

1	2	3	4	5	6
9. ,,	रामस्वरूप सरपंच रूपसपुर	25-3-72	1000-00	मरम्मत कूप उना-बटीपुरा ।	
10. ,,	रामस्वरूप ,, ,,	,,	2000-00	नलकूप निर्माण ग्राम जरारी	
11. ,,	रामस्वरूप ,, ,,	31-3-72	1000-00	नलकूप निर्माण जरारी	
12. ,,	कन्हैयालाल सरपंच विरामपुर	30-3-72	1500-00	नलकूप निर्माण विरामपुर	
13. ,,	देवीसिंह सरपंच पिदावली	,,	1500-00	नलकूप निर्माण	
14. ,,	देवीसिंह ,, ,,	,,	1500-00	नलकूप निर्माण गड़रपुरा	
15. ,,	हीरासिंह ,, वसईडांग	,,	2000-00	नलकूप निर्माण छतरी का पुरा	
1[illegible]. ,,	हीरासिंह ,, ,,	,,	1500-00	मरम्मत घटिया	
[illegible] ,,	हीरासिंह ,, ,,	31-3-72	1500-00	कूप मरम्मत वसईडांग	
18. ,,	हीरासिंह ,, ,,	,,	1000-00	कूप मरम्मत वेरीपुरा	

वर्ष 1972–73 दिनांक 15–3–73 तक

19.	श्री हाकिमसिंह सरपंच रूपेरा	11–4–72	4000–00	कूप निर्माण रहे
20.	„ सोवरनसिंह „ न. दुल्हेखां	30–11–72	750–00	नवकूप निर्माण नगखाडूल्हेखां
21.	„ सोवरनसिंह „ „	„	750–00	नवकूप निर्माख जाटवान
22.	„ सोवरनसिंह „ „	„	250–00	मरम्मत घाट न. दुल्हेखां
23.	„ सांवरनसिंह „ „	„	750–00	नवकूप निर्माण अब्दुलपुर
24.	„ सांवरनसिंह „ „	„	750–00	नवकूप निर्माण जाटवान अब्दुलपुर ।

परिशिष्ट—13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 412 की सूची)

तहसील हिन्डोली व नैनवा क्षेत्र में निर्मित सड़कों की सूची

1.	बूंदी देवली रोड से माडॅन फार्म	8 मील
2.	मील 8 से भलोद ग्राम	1 मील
3.	लिंक रोड हिन्डोली पैलेस	1½ मील
		10 मील

तहसील नैनवा

1.	बूंदी नैनवा रोड पक्की सड़क से डामर (नैनवा तहसील में)	25 मील
2.	जैतपुर से तलवास	5 मील
		30 मील

परिशिष्ट–14

(अतारांकित प्रश्न सं 415 की सूची)

उन तहसीलों की सूची जहां सिवाय नगरपालिका मुख्यालय के किसी अन्य गांव में बिजली नहीं दी गई है ।

क्र. सं.	तहसील का नाम	जिला
1.	कुशलगढ़	बांसवाड़ा
2.	पोकरन	जैसलमेर
3.	सांचोर	जालोर
4.	फुलोदी	जोधपुर
5.	किशनगंज	कोटा
6.	बाड़ोद	कोटा
7.	गंगधार	झालावाड़

सूची 'अ'

1. रामगढ़
2. मूखारका
3. दाईदास
4. भगवान
5. तोपरिया
6. धमारका
7. फेफाना
8. ढानी भराईया
9. रामसर
10. जसाना
11. गुडिया
12. पदमपुरा

परिशिष्ठ—15

(अतारांकित प्रश्न सं. 416 की सूची)

List 'A'

TEHSIL CHHABRA

1. Barai
2. Chawel Kheri
3. Ancheli
4. Kediaban
5. Kotri
6. Baori Khera
7. Reenchra
8. Dohni
9. Nipaniya
10. Maheshpura
11. Balharpur
12. Kheri
13. Googor
14. Kishopura
15. Dehri

Non-Remunerative

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न सं. 419 की सूची)

बस्सी तहसील के स्वीकृत गांवों की सूची

(1) बावदा	विद्युतिकरण हो चुका है।
(2) पारासोली	"
(3) तैतरा	"
(4) बस्सी	"
(5) कानोता	"
(6) विजय मुकन्दपुरा	"
(7) हरदयानपुरा	"
(8) बरला	"
(9) सामरिया	"
(10) तूंगा	"
(11) देवगांव	"
(12) दनाऊ कलां	"
(13) दनाऊ खुर्द	"
(14) मूण्डली	"
(15) डूदली	"
(16) झर	"
(17) नीमोड़ा	विद्युतिकृत
(18) जेतावाला	–
(19) श्रीरामपुरा	–
(20) कल्यावास	–
(21) बास खेड़ि (महापुर)	–

परिशिष्ट 17

(अतारांकित प्रश्न सं. 423 की सूची)

(सूची खाद का कोटा जो बूंदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बूंदी द्वारा वर्ष 72–73 में (1–4–72 से 28–2–73) प्राप्त हुआ

क्र. सं.	किस्म खाद	खाद का कोटा जो प्राप्त हुआ (मात्रा टनों में)
(1)	यूरिया	2670
(2)	डी.ए.पी.	390
(3)	एन.पी.के. ।। 14: 36: 12	408
(4)	एम.पी.के. 12: 32: 16	466
(5)	एम.ओ.पी.	20

सूची खाद जो बूंदी क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. बूंदी द्वारा वर्ष 72–73 में (1–4–72 से 28–2–73) तक वितरण की गई

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति केन्द्र जहां खाद वितरण की गई	प्रतिशत कुल खाद का जो वितरण किया गया	यूरिया	डी.ऐ.पी.	एन.पी.के. 14:36:12	एन.पी.के. 12:32:16	एम.ओ.पी.
(1)	पंचायत समिति पाटन	53%	863.00	65.25	499.75	35.70	1.20
(2)	पंचायत समिति तालेडा	35%	711.59	67.40	200.85	—	2.70
(3)	पंचायत समिति हिन्डौली	10%	277.05	16.85	29.20	—	—
(4)	पंचायत समिति नैनवर	2%	46.40	0.45	3.00	—	—
(5)	डिपोसपर खुवरा	—	750.00	132.00	86.00	383.00	6.10@

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 1973)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
2	नीचे से 8	ा ूनिया	पूनिया
,,	नीचे से 13	तो	श्री
40	नीचे से 13	रशि	राशि
47	शीर्ष	1 73	1973
61	नीचे से 11	सघ	संघु
76	नीचे से 6	सेल व	सेव भण्डार व
83	ऊपर से 10	adourndment	adjournment
85	नीचे से 1	gi—	given
89	ऊपर से 10	न्दनमल बद	चन्दन मल बैद
93	ऊपर से 11	सुज्मनगढ	सुजानगढ
110	ऊपर से 8	1 0	100
165	ऊपर से 14	10 15	10-15
	ऊपर से 15	819	8-9
176	नीचे से 8	सेर्स	सेंटर्स
180	ऊपर से 11	उनमें	उन्होंने
194	नीचे से 4	जाति	जन जाति
	ऊपर से 8	विभागों	मांगों
	नीचे से 18	में—	—
	नीचे से 8	हमारी	हमारे
196	ऊपर से 12	पहले	—
	ऊपर से 16	के	के अन्दर
197	ऊपर से 7	कहीं	—
198	ऊपर से 1	जिनसे उन्हें	जिनमें जैसे
199	नीचे से 9	होते	होती
202	नीचे से 16	परायुक्त	परायत
204	नीचे से 19	दी	की
204	नीचे से 12	नीमत	नीमच
209	ऊपर से 9	हम	हमने
	नीचे से 6-7	इसलिये में	—
210	नीचे से 7	न ही	न कहीं
211	ऊपर से 11	श्यान	स्थान
215	नीचे से 7	है कि	है

		2		
1	2		3	4
221	ऊपर से	9	अपेक्षावृत्ति	उपेक्षावृति
223	,,	13	न्यूनिसिपल	म्यूनिसिपल
227	,,	5	जाते	फिरते
229	नीचे से	16	एडमिनिस्टेशन	एडमिनिस्ट्रेटिव
	,,	6	वसूलन	वसूली
236	ऊपर से	16	रहो	रहो है
	,,	17	अन्तर में आ रहे हैं	और उनमें अन्तर आ रहा है
237	,,	9	डर	डर पैदा
238	नीचे से	9	उपायध्यक्ष	उपाध्यक्ष
240	नीचे से	16	पर	भर
246	नीचे से	12	पं	पंच
263	नीचे से	16	9.14	19.14
268	ऊपर से	9	(स्वीत्त)	(स्वीकृत)
272	,,	13	रशि	राशि
279	ऊपर से	7	जोधा र	जोधपुर
282	,,	3	पशतकारों	काशतकारों
283	नीचे से	9	संबन्ध	सम्बन्धित
286	नीचे से	1	मूरारोलाल	मुरारीलाल